लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

6th

LOK SABHA DEBATES

[तीसरा सत्र
Third Session]

[खंड 7 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. VII contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : चार रुपये

Price : Four Rupees

विषय सूची/CONTENTS

अंक 9—सोमवार, 28 नवम्बर, 1977/7 अग्रहायण, 1899 (शक)

No. 9—Monday, 28 November, 1977/Agrahayana 7, 1899 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	Oral Answers to Questions—	1-13
तारांकित प्रश्न संख्या 162, 164 से 166 और 170	Starred Questions Nos. 162, 164 to 166 and 170	
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	Written Answers to Questions—	13-29
तारांकित प्रश्न संख्या 163, 167 से 169 और 171 से 182	Starred Questions Nos. 163, 167 to 169 and 171 to 182	
अतारांकित प्रश्न संख्या 1564 से 1570, 1572 से 1675, 1677 से 1724, 1726 और 1728 से 1732	Unstarred Questions Nos. 1564 to 1570, 1572 to 1675, 1677 to 1724, 1726 and 1728 to 1732.	29-127
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the Table	127-129
राज्य सभा से संदेश	Message from Rajya Sabha	129
लोक लेखा समिति—	Public Accounts Committee	129
चौदहवां प्रतिवेदन	Fourteenth Report	
ग्रेशम एण्ड क्रवन आफ इंडिया (प्राइवेट) लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) विधेयक के बारे में याचिका	Petion *re.* Gresham and Craven of India (Private) Ltd. (Acquisition and Transfer of Undertakings) Bill.	129
कार्य मंत्रणा समिति— सातवां प्रतिवेदन	Business Advisory Committee Seventh Report	129-130
उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीश संख्या) संशोधन विधेयक—पुरःस्थापित	Supreme Court (Number of Judges) Amendment Bill—Introduced	130

*किसी नाम पर अंकित यह †इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

*The sign † marked above the name of a member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

1—341 L S S/ND/77

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) उपकर विधेयक—	Water (Prevention and Control of Pollution) Cess Bill	130-143
विचार करने का प्रस्ताव—	Motion to consider——	130-139
श्री सिकन्दर बख्त	Shri Sikanddar Bakht	130-131 139
श्री पी० राजगोपाल नायडू	Shri P. Rajgopal Naidu	131-132
श्री दुर्गा चन्द	Shri Durga Chand —	132
डा० सरदीश राय	Dr. Saradish Roy	132
श्री विजय कुमार मल्होत्रा	Shri Vijay Kumar Malhotra	133-134
श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे	Shri Annasaheb P. Shinde	134-136
श्री शंभुनाथ चतुर्वेदी	Shri Shambhu Nath Chaturvedi	136-137
श्री चित्त बसु	Shri Chitta Basu	137
श्री ए० मुरुगेसन	Shri A. Murugesan	137
डा० रामजी सिंह	Dr. Ramji Singh	137
श्री लक्ष्मी नारायण नायक	Shri Laxmi Narain Nayak	138
श्री के० ए० राजन	Shri K. A. Rajan	138
श्री उग्रसेन	Shri Ugrasen	138
श्री राममूर्ति	Shri Ram Murti	138
श्री युवराज	Shri Yuvraj	138-139
खंड 2 से 17 तथा 1	Clauses 2 to 17 and I	140-143
पास करने का प्रस्ताव—	Motion to Pass— —	140-143
श्री चित्त बसु	Shri Chitta Basu	141-142
श्री सिकन्दर बख्त	Shri Sikandar Bakht	143
अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक—	Advocates (Amendment) Bill	143-152
विचार करने का प्रस्ताव—	Motion to consider	144-151
श्री शांति भूषण	Shri Shanti Bhushan	143-144
डा० मो० ए० सईद वीहम्मद	Dr. V. A. Seyid Muhammad	148-151 144-145
श्री गंगा सिंह	Shri Ganga Singh	145
श्री शशांक शेखर सान्याल	Shri Sasankasekhar Sanyal	145
श्री दुर्गा चन्द	Shri Durga Chand	145-146

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
श्री ए० मु गेसन	Shri A. Murugesan	146
डॉ० रामजी सिंह	Dr. Ramji Singh	146
चौधरी बलवीर सिंह	Chowdhury Balbir Singh	146-147
श्री सौगत राय	Shri Saugata Roy	147
श्री कंवर लाल गुप्त	Shri Kanwar Lal Gupta	147
श्री मनोहर लाल	Shri Manohar Lal	147
श्री जगन्नाथ राव	Shri Jagannath Rao	147
खंड 2 से 8 तथा 1—	Clauses 2 to 8 and 1—	151-152
पास करने का प्रस्ताव—	Motion to pass—	151
श्री शांति भूषण	Shri Shanti Bhushan	152
स्मिथ, स्टेनी स्ट्रीट एण्ड कंपनी लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन तथा अन्तरण) विधेयक—	Smith, Stanistreet and Company Limited (Acquisition and Transfer of Undertakings) Bill—	152-156
विचार करने का प्रस्ताव—	Motion to consider—	152-154
श्री एच० एन० बहुगुणा	Shri H. N. Bahuguna	152-154-155
श्री सौगत राय	Shri Saugata Roy	152-153
डा० सरदीश राय	Dr. Saradish Roy	153-154
श्री ए० मुरुगेसन	Shri A. Murugesan	154
खंड 2 से 34 तथा 1—	Clauses 2 to 34 and 1—	155-156
पास करने का प्रस्ताव—	Motion to pass—	156
श्री एच० एन० बहुगुणा	Shri H. N. Bahuguna	156
इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी (शेयरों का अर्जन) संशोधन विधेयक—	Indian Iron and Steel Company (Acquisition of Shares) Amendment Bill—	156-158
विचार करने का प्रस्ताव—	Motion to consider—	156
श्री बीजू पटनायक	Shri Biju Patnaik	156
खंड 2 से 5 तथा 1—	Clauses 2 to 5 and 1—	157-158
पारित करने का प्रस्ताव, संशोधित रुप में—	Motion to pass, as amended—	158
श्री बीजू पटनायक	Shri Biju Patnaik	158

लोक-सभा
LOK SABHA

सोमवार, 28 नवम्बर, 1977/ 7 अग्रहायण, 1899 (शक)
Monday, November 28, 1977/*Agrahayana* 7, 1899 (*Saka*).

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

राज्यों की प्राथमिक कक्षाओं में अनिवार्य शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता

*162. श्री पी० राजगोपाल नायडु :
श्री एम० ए० हनान अलहाज :

क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में प्राथमिक कक्षाओं में अनिवार्य शिक्षा लागू करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इसे कब कार्यान्वित किया जाएगा; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस बारे में राज्यों को वित्तीय सहायता देने का है?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख) : प्रारम्भिक शिक्षा (6–14 आयु वर्ग के लिए कक्षा I–VIII) विशेषकर प्राथमिक स्तर पर (6–11 आयु-वर्ग के लिए कक्षा I–V) बहुत से राज्यों में पहले से ही अनिवार्य है। जिन राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में अनिवार्य शिक्षा अधिनियम लागू है, उनके नाम दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये एल० टी० संख्या 1184/77]

यह निर्णय किया गया है कि अगली योजना (1978–83) में सर्वोच्च प्राथमिकता वाले तीन कार्यक्रमों में से सर्वव्यापी प्रारंभिक शिक्षा एक होगी।

(ग) इस कार्यक्रम के लिए रखी गई धनराशि राज्य सरकारों की योजना के अन्तर्गत उपलब्ध की जाएगी।

श्री पी० राजगोपाल नायडु : मंत्री जी ने बताया है कि अनेक राज्यों में अनिवार्य शिक्षा अधिनियम हैं जैसे आन्ध्र प्रदेश में गत 15 वर्ष से यह अधिनियम है लेकिन उसे कार्यान्वित नहीं किया गया। क्या मंत्री जी ने ऐसा न किये जाने के कारणों की जांच की है?

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के बारे में सदस्य महोदय की चिंता में समझता हूं। उन्होंने आन्ध्र प्रदेश का जिक्र किया है। सभा पटल पर रखी गई सूची में मैंने देखा है कि यह अधिनियम 1961 में अनुसूचित क्षेत्रों को छोड़ कर सारे आन्ध्र प्रदेश में 6 से 11 वर्ष के छात्रों के लिए लागू किया गया था। यह सच है कि इन मामलों में आन्ध्र प्रदेश पिछड़ा हुआ है। मेरा उत्तर जैसा कि सदस्य महोदय जानते हैं यही है कि यह राज्य का विषय है और हम सीधे हस्तक्षेप नहीं कर सकते। फिर भी मैंने विभिन्न राज्यो और संघ राज्य क्षेत्रों के मंत्रियों से बात की है वे सभी सहमत थे कि प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक प्रचार को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जायेगी।

अध्यक्ष महोदय : यह केवल कागज पर ही अनिवार्य है।

श्री पो० राजगोपाल नायडु : यह बहुत भारी काम है और उसके लिए बहुत धन की जरूरत है। केन्द्रीय सरकार जब तक धन उपलब्ध नहीं कराती ये अधिनियम लागू नहीं किये जा सकते। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार पूरा व्यय-भार वहन करेगी या उसका एक भाग ही देगी ?

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : माननीय सदस्य की बात बिल्कुल ठीक है। पिछली पांच वर्षीय योजना में जब समूची शिक्षा योजना पर विचार किया गया तो 3300 करोड़ रुपये के लिए कहा गया था लेकिन केवल 1200 करोड़ रुपये ही दिये गये। अतः योजना लागू नहीं हो सकती थी। मैं योजना आयोग के उप चेयरमेन से मिला और अब शिक्षा मंत्रालय तथा योजना आयोग में पृथक ग्रुप बनाये गये है विस्तार से विचार हो रहा है ताकि प्राथमिक, वयस्क और बीच में शिक्षा छोड़ने वालो के लिए अनौपचारिक शिक्षा की व्यापक व्यवस्था हेतु योजना में उचित आवटन किया जा सके।

Shri Om Prakash Tyagi: Sir, As is clear from the statement made by the hon. Minister this Act has not even been enacted in Manipur, Meghalaya, Mizoram, Orissa etc. Have you tried to find out the causes therefor ? If so, what are the reasons ?

Dr. Pratap Chandra Chunder: We are not aware of the reasons but I have told you that in August, 1977, the representatives of these States had also attended Education Ministers' Conference. This question was raised there and they had agreed that education should be made compulsory.

Shri M. A. Hannan Alhaj: May I know if he has any proposal to help West Bengal ?

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : वर्तमान योजना के अधीन किसी राज्य को पर्याप्त सहायता देने का कोई प्रश्न नहीं। लेकिन जैसा मैंने कहा है कि राज्य योजना के अधीन पर्याप्त धन देने की व्यवस्था के लिए योजना आयोग से बात की गई है ?

Chaudhary Balbir Singh: Sir, May I know from the hon. Minister the reasons for non implementation of Acts when it is enshrined in the Constitution that education will be compulsory and many States have such Acts ? Does the Central Government not give directives to State Governments in this respect ? There are many people whose children do not go to school. Will Government take any step to ensure schooling for such age-group of children for which education is compulsory and Act exists in the State ?

Dr. Pratap Chandra Chunder: He is quite right. It is enshrined in the Constitution that education will be compulsory upto 14 years of age but there is also a provision to the effect that education is a State subject.

Secondly economic condition plays an important part. Many families do not send children to school because of economic reasons. The Act does not say that it may be enforced forcibly. However we are trying to get the things done.

श्री पी० जी० मावलंकर : यह बात मंत्री जी ने उत्साहजनक कही है कि सरकार ने छठी योजना में अनिवार्य शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। आपने यह भी कहा है कि अनिवार्य शिक्षा केवल कागजो पर है। यद्यपि यह राज्यों का विषय है तथापि भारी केन्द्रीय सहायता मिले बिना बहुत से राज्य इसे कार्यान्वित नहीं कर पा रहे हैं। क्या केन्द्र ऐसे आर्थिक दृष्टि से कमजोर राज्यों की सहायता करेगा जो स्वयं शिक्षा कार्यक्रम को लागू नहीं कर सकते। दूसरे लड़कियों, हरिजनों, आदिवासियों तथा शहरी क्षेत्रो में मजदूरों तथा अन्य वर्गों के जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे उनके लिए सरकार क्या उपाय कर रही है ?

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : मैंने माना है कि पांचवीं योजना में पर्याप्त वित्त की व्यवस्था नहीं की गई। प्राथमिक शिक्षा के व्यापक प्रचार में यह बहुत बड़ी कमी है। फिर भी कुछ राज्यो ने शिक्षा के लिए स्वयं पर्याप्त राशि रखी है। जसे कि केरल ने राज्य बजेट का 40 से 46% भाग शिक्षा के लिए रखा है। इसलिए वहां निचले स्तर पर शतप्रतिशत बच्चे स्कूल जाते हैं। अतः यदि राज्य सरकार चाहे तो ऐसा कर सकती हैं। पिछली स्कीम की कमियो का मुझे पता है। इसलिए मैंने योजना आयोग को बता दिया है और आशा है कि आगामी योजना में राज्यों की मदद के लिए उचित व्यवस्था की जायगी। यह सच है कि कुछ राज्यो में अनिवार्य शिक्षा सम्बन्धी अधिनियम हैं लेकिन राज्य उस उपबन्ध को लागू करके दोषी माता-पिता को सजा नहीं दे रहे। उस व्यवस्था को बलपूर्वक लागू नहीं कर रहे।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : लड़कियों और हरिजनों के बारे में क्या किया जायेगा ?

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : यह बात हमारे ध्यान में है और उनके लिए उचित उपाय किये जाने हैं।

Shri S. S. Das: May I know if he is aware that education has now been included in the concurrent list ? I want to know whether he is in a position to direct State Governments to help them suitably financially because uptill now it is in the concurrent list. For the present it is not solely in the State List.

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : सदस्य महोदय को पता होना चाहिये कि यह विषय समवर्ती सूची में होते हुए भी केन्द्रीय सरकार तब तक अधिनियम नहीं बना सकती जब तक संसद द्वारा संविधान कानून न पास हो जाय। ऐसा अधिनियम पास नहीं किया गया है।

Shri Ram Murti: Sir, 70 percent of our people are uneducated because children upto 11 years of age belonging to this percentage cannot go to school. We cannot spend money on higher education. Will we consider spending less on higher education and the money thus saved may allocated for primary education ?

Dr. Pratap Chandra Chunder : So far as the syllabus is concerned, we had set up a committee under the chairmanship of Shri Iswari Das Patel which has submitted its report and we are considering it. We have to see how we can lessen the burden of syllabus and we are trying for that.

श्री हीतेन्द्र देसाई : अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों की स्थिति बिल्कुल खराब है। क्या उनके बारे में ठोस उपाय करने का भी प्रस्ताव है ?

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : मैं इस प्रश्न का पहले उत्तर दे चुका हूं। इस बारे में विशेष सावधानी बरती जायेगी ।

श्री हीतेन्द्र देसाई : सरकार क्या ठोस उपाय कर रही है ?

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : इस बारे में कार्यक्रम बनाया जा सकता है क्योंकि काफी धन भी खर्च होता है ।

Shri Sharad Yadav: We are very careless towards primary education in the name of funds and budget. Had we as well as the Janata Party not promised that education will be brought at equal level ? Are there any legal obstructions in achieving this objective? If so why any step is not being taken to remove them? At present education of two types is being imparted. One for those studying in public schools to prepare them for administrative job and the second type of education is being given through ordinary Government schools. Will we try to bring education on equal footings as promised by us.

Dr. Pratap Chandra Chunder: We also want to remove this inequality but we are unable to do it because of the protection given to linguistic and religious minorities under Article 30 of the Constitution. However we have consulted legal opinion and it has been suggested that we are unable to do anything, even in regard to Article 19 also. We are still engaged in the exercise to remove these hurdles.

Shri Gauri Shankar Rai: Whether Government propose to give priority to the improvement of existing arrangements of primary education before extending primary education facilities to new areas. Even today two third schools in villages have no roof even of straw and children sit under the sky and trees. Will Government try to provide financial help to State Governments for this purpose? The State Governments cannot arrange even for the teachers. May I know if you have any scheme to improve educational facilities at the national level to remove the drawbacks.

Dr. Pratap Chandra Chunder: The Government are aware that even now there are 27 thousand primary schools where children sit under the trees. It is a matter of scheme. But we require lot of funds. We are taking up the matter.

श्री ए० ई० टी० बैरो : क्या वह संविधान को बदलने का विचार कर रहे हैं ?

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : इस प्रश्न पर विचार हो रहा है कि अनुच्छेद 30 को ध्यान में रखते हुए इस समस्या को कैसे सुलझाया जाये। यदि संसद चाहे कि सभी वर्गों के लोगों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने के लिए उसमें कुछ बदला जाये तो वह भी किया जा सकता है।

चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण

*164. श्री के० लक्कप्पा :

श्री ओ० वी० अलगेशन :

क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सहित कुछ राज्य सरकारों ने 1975 और 1977 में केन्द्रीय सरकार को पत्र लिखे थे जिनमें उत्तर प्रदेश और अन्य चीनी उत्पादक राज्यों में चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने की सिफारिश की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो उनके अनुरोध पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानुप्रताप सिंह) : (क) केवल उत्तर प्रदेश सरकार से ही 1977 में प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

(ख) विशेषतया उत्तर प्रदेश सरकार से निरन्तर मांग प्राप्त होने पर, भारत सरकार ने चीनी उद्योग को राष्ट्रीयकरण के प्रश्न का जांच करने के लिए एक जांच आयोग स्थापित किया था। चीनी उद्योग जांच आयोग ने अपनी रिपोर्ट फरवरी, 1974 में प्रस्तुत कर दी थी। रिपोर्ट तथा उस पर की गई कार्यवाही से संबंधित ज्ञापन की प्रतियां अगस्त, 1974 में सभा के पटल पर रख दी गई थीं। राष्ट्रीयकरण के प्रश्न पर आयोग के सदस्यों के अलग-अलग दृष्टिकोण तथा अन्य जटिलताओं और भारी वित्तीय परिव्यय को ध्यान में रखते हुए, इस प्रश्न पर कोई और कार्यवाही करने से पूर्व राज्य के नियंत्रणाधीन पहले से चल रही चीनी मिलों के कार्य का अध्ययन करने का प्रस्ताव है।

श्री के० लक्कप्पा : इस चीनी उद्योग के प्रश्न से देश की सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था का सम्बन्ध है। अब देश भर में अर्थ-व्यवस्था के में गड़बड़ी है। मंत्री जी ने कहा है कि भार्गव समिति का प्रतिवेदन सरकार के विचाराधीन है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने ऐसा नहीं कहा।

श्री के० लक्कप्पा : उन्होंने कहा है कि अलग-अलग विचार व्यक्त किये गये लेकिन 325 से अधिक संसद सदस्यों और अनेक राज्यों ने सरकार से गत 5 या 6 वर्षों में कई बार आग्रह किया है कि देश की सभी चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण किया जाये और यह उद्योग भारत सरकार के पूर्ण नियंत्रण में चले। शायद वह विचारों में भिन्नता कह कर जिम्मेदारी से बच सकते हैं। ये तो चीनी मिल मालिक ही ऐसा न करने के लिए दबाव डाल रहे हैं। सरकार मिल मालिकों के हाथों में खेल रही है। चीनी उद्योग के राष्ट्रीयकरण के बारे में सरकार का निश्चित मत क्या है।

श्री भानु प्रताप सिंह : यदि पिछली सरकार चाहती तो चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने का उनके पास काफी समय था। रिपोर्ट सितम्बर, 1974 में दी गई थी और वे मार्च, 1977 तक सत्ता में रहे (व्यवधान) विचारों की भिन्नता हो केवल समिति तक ही सीमित थी।

श्री के० लक्कप्पा : सरकार की नीति क्या है ?

श्री भानु प्रताप सिंह : केवल राष्ट्रीयकरण के लिए चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण नहीं करेंगे। यह हमारी नीति है।

श्री के० लक्कप्पा : राष्ट्रीयकरण के बारे में वर्तमान सरकार का मत क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीयकृत क्षेत्र के कार्यकरण की जांच हो रही है।

श्री भानु प्रतापसिंह : यह सरकार केवल राष्ट्रीयकरण के लिये ही चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण नहीं करेगी। हम रुग्ण मिलों को सम्भालेंग और रुग्ण मिलों में से उन्हीं मिलों को चुनेंगे जो चालू करने योग्य हैं और जो चालू करने योग्य नहीं है उन्हें छोड़ देंगे।

श्री के० लक्कप्पा : आपने स्वीकार किया है कि आपने चीनी उद्योग के राष्ट्रीयकरण के महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार भी नहीं किया है। यह सरकार चीनी उद्योग के राष्ट्रीयकरण के प्रश्न को इसलिये टाल रही है क्योंकि उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े चीनी उद्योगपति आदि श्री चरण सिंह के जरिये दबाव डाल रहे हैं कि चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण न किया जाये। क्या यह बात सही है ?

श्री भानु प्रताप सिंह : माननीय सदस्य ने जो आरोप लगाया है मैं उसका कड़ा विरोध करता हूं।

श्री ओ० वी० अलगेसन : ऐसा लगता है कि सरकार राष्ट्रीयकरण के पक्ष में नहीं है। यह ठीक नहीं है क्योंकि सभा इस प्रश्न पर कई वर्षों से विचार करती रही है। उत्तर प्रदेश सरकार इस उद्योग के राष्ट्रीयकरण के लिये आग्रह करती रही है। अतः इस उद्योग के राष्ट्रीयकरण को पेचीदगियों और भारी वित्तीय बोझ की बात अब नहीं करनी चाहिये। उत्तर प्रदेश में बहुत सी चीनी मिलें बहुत पुरानी हैं। उनकी मशीनरी भी बहुत पुरानी है। इसलिये उनको दिये जाने वाला मुआवजा भी बहुत अधिक नहीं होगा। क्या इस बात का हिसाब लगाया गया है कि यदि राष्ट्रीयकरण किया गया तो कितना धन मुआवजे आदि के रूप में देना होगा ? इस समय सरकार के नियंत्रण में कितनी मिलें हैं ? क्या उनका राष्ट्रीयकरण किया जा सकता है ?

श्री भानु प्रताप सिंह : अपने उत्तर में मैं ने कहा है कि इस मामले में कोई कार्यवाही करने से पहले हम उन चीनी मिलो के कार्यकरण का अध्ययन करेंगे जो सरकार के नियंत्रण में हैं। हम इन मिलों के कार्यकरण का अध्ययन कर रहे हैं। सरकारी क्षेत्र की सात फैक्टरियां पिछले चार साल से उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम के नियंत्रण में हैं और उनकी हालत बहुत खराब है। उनमें बहुत घाटा हो रहा है। इसीलिये हम राष्ट्रीयकरण नहीं करते।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : माननीय मंत्री ने कहा है कि वह केवल राष्ट्रीयकरण के लिये ही राष्ट्रीयकरण नहीं करना चाहते। मैं उनकी इस बात से सहमत हूं। लेकिन मुख्य प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश में चीनी उद्योग का भविष्य क्या होगा क्योंकि वहां पर अगर चीनी मिलें ठीक प्रकार से नहीं चलेंगी तो इसका असर सारे देश के चीनी उद्योग पर पड़ेगा। जब हमने चीनी उद्योग के राष्ट्रीयकरण की बात सोची थी तो इसका कारण यह था कि हम चीनी उद्योग को अधिक आकर्षक बनाना चाहते थे, गन्ना उत्पादकों को अधिक मूल्य दिलाना चाहते थे और इस उद्योग को अधिक आधुनिक बनाना चाहते थे ताकि यह राष्ट्रीय चीनी उद्योग की एक सम्पत्ति बन जाये। आपको भी यह बात स्पष्ट करनी चाहिये कि आप चीनी उद्योग को आधुनिक बनाने, गन्ना-उत्पादकों को अधिक मूल्य दिलाने आदि के लिये क्या करने का विचार रखते हैं ?

श्री भानु प्रताप सिंह : मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश और बिहार में चीनी उद्योग की हालत बहुत खराब है। लेकिन उसका इलाज केवल राष्ट्रीयकरण ही नहीं है। मैं वैज्ञानिकों का एक सम्मेलन शीघ्र बुलाऊंगा जो इस समस्त प्रश्न पर विचार करेगा ?

श्री के० लक्कप्पा : यह कोई जवाब नहीं है । माननीय मंत्री गलत उत्तर दे रहे हैं ।

Choudhary Prabhu Prakash : I have been observing for the last 15 years or so that the opposition always demands nationalisation and the Government does not approve of it. The Janata Government should now fulfil their promise of nationalisation as its leaders, when they were in opposition were constantly demanding nationalisation. Will the Conference proposed to be called by the Hon'ble Minister also consider the question of handingover these sugar mills to the cooperative sector as neither the public sector nor the private sector is able to manage the affairs of these mills?

Shri Bhanu Pratap Singh : We never promised for nationalisation. I agree that the performance of the cooperative sugar mills has been commendable and half of the total sugar available in the country is produced in the cooperative sector. We are trying our best to set up maximum number of cooperative sugar mills in the country. It is possible that while considering the question of sick mills, we may think in terms of converting them into cooperative mills.

श्री हरिकेश बहादुर : उत्तर प्रदेश की बहुत सी चीनी मिलों में किसानों और मजदूरों दोनों का शोषण होता है । उनकी कार्यकुशलता और उनका उत्पादन बहुत कम है । अतः क्या सरकार इस समस्या पर पुनर्विचार करेगी और उत्तर प्रदेश में चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने पर विचार करेगी ?

Shri Bhanu Pratap Singh : As I have stated, nationalisation will not help improve the performance of these mills. As a matter of fact, the sugar mills in U.P. and Bihar have become very old, that is why their performance is not up-to the mark. Mill-owners did not modernise them for fear of their nationalisation. U.P. is backward because its old mills have not been modernised. Their efficiency and production cannot increase unless their outmoded machinery is changed and they are modernised.

श्री ज्योतिर्मय बसु : चीनी आयोग के दस सदस्यों में से पांच ने राष्ट्रीयकरण की बड़ी जोरदार सिफारिश की है । लोक लेखा समिति ने भी अपने एक प्रतिवेदन में बताया है कि किस प्रकार भारतीय चीनी उद्योग सरकार को, उपभोक्ताओं और गन्ना उत्पादकों को लूट रहा है और उनका शोषण कर रहा है । इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार इस मामले पर पुनर्विचार कर राष्ट्रीयकरण करेगी क्योंकि इसी से इस समस्या का हल हो सकता है ?

श्री मोरारजी देसाई : मेरे माननीय मित्र हर चीज का राष्ट्रीयकरण करने के पक्ष में हैं । मैं वहां राष्ट्रीयकरण चाहता हूं जहां जरूरी है और जहां पर राष्ट्र के हित में है । केवल राष्ट्रीयकरण के लिये राष्ट्रीयकरण करने में मैं विश्वास नहीं रखता । उत्तर प्रदेश और बिहार में यह समस्या गन्ने के कम उत्पादन के कारण अधिक जटील है । उन्होंने उत्पादन बढ़ाने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की । वे चीनी के लिये अधिक मूल्य मांगते रहते हैं । इस में मामला और भी खराब हो रहा है । इस पर गहराई से विचार करना होगा ।

Shri Manohar Lal : The Previous Congress Government had acquired seven sugar mills in U.P. They were sick mills. The U.P. Government had paid them a large amount of compensation, though those mills deserved no

compensation. Those sugar mills gave large amount of donations to the Congress Government. Will the present Government look into the matter and take action against persons responsible for giving huge compensation to those sugar mills which did not deserve it?

अध्यक्ष महोदय : इसका मूल प्रश्न से सम्बन्ध नहीं है ।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की बैठक

*165. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की कोई बैठक मई, 1977 और अक्तूबर 1977 के बीच हुई थी;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या आगामी दो महीनों में इसकी बैठक का कोई कार्यक्रम बनाया जा रहा है; और

(घ) क्या इस परिषद के कार्य की पर्याप्तता की जांच की जायेगी ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) जी नहीं ।]

(ख) परिषद ने अपनी पिछली बैठक में अपने अध्ययन बोर्डों के गठन में संशोधन किया । बोर्डों का पुनर्गठन दिसम्बर, 1976-जनवरी, 1977 तक पूरा किया गया और उन्होंने कार्य शुरु कर दिया है । परिषद ने कुछ महत्वपूर्ण मामलों पर विचार करने के लिए कुछेक विशेष समितियां भी नियुक्त की । यह वांछनीय समझा गया कि अध्ययन बोर्डों और समितियों द्वारा सौंपे गए विशिष्ट मामलों से सम्बन्धित कार्य पूरा कर लेने के बाद परिषद की बैठक आयोजित की जाए ।

(ग) नई पंच वर्षीय योजना के लिए प्रस्ताव तैयार करने के उद्देश्य से एक तकनीकी शिक्षा कार्य दल बनाया गया है जो तकनीकी शिक्षा के लिए उपलब्ध सुविधाओं की स्थिति की आलोचनात्मक जांच करेगा और आगामी 10 वर्षों में देश की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भविष्य के कार्यक्रमों के लिए सुझाव सुझाएगा । कार्य दल की रिपोर्ट जनवरी-फरवरी, 1978 तक उपलब्ध हो जाने की संभावना है । अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की बैठक इसके बाद आयोजित की जाएगी ।

(घ) अभी विभिन्न क्षेत्रीय समितियों और अध्ययन बोर्डों के माध्यम से परिषद का कार्यकरण इस समय काफी सन्तोषजनक पाया गया है । किसी प्रकार की जांच का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री डी० डी० देसाई : क्या माननीय मंत्री बतायेंगे कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, जो कि एक महत्वपूर्ण निकाय है और जिसे अन्य शिक्षा संस्थाओं के लिये उदाहरण प्रस्तुत करना है, अपनी बैठकें आयोजित नहीं कर रही हैं और विश्वविद्यालय परिसर में बेरोजगारी, पाठ्यक्रम

में "संशोधन" और अनुशासनहीनता चल रही है । यह परिषद् ऐसी ही अपनी बहुत सी जिम्मेदारियों को नहीं निभा सकी है । इसके क्या कारण हैं और इन कठिनाइयों को दूर करने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : परिषद की पिछली बैठक मई, 1976 में हुई थी । परिषद ने अध्ययन बोर्ड के गठन में कुछ फेरबदल किया और विशेष समितियां नियुक्त की गई । ये विशेष समितियां और बोर्ड उन समस्याओं को हल करने की कोशिश कर रहे हैं जिनका माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है । हमें इन समितियों और बोर्डों के विचार जनवरी, 1978 में मालूम हो पायेंगे । उसके बाद परिषद उन पर विचार करेगी ।

श्री डी० डी० देसाई : मंत्री महोदय ने यह नहीं बताया है कि परिषद अपनी बैठकें कितने कितने समय बाद करेगी । यदि सरकार विकेन्द्रीकरण में विश्वास रखती है तो वह कैबिनेट की बैठकें कब कब बुलाती है साल में एक बार या तीन साल में एक बार ? बैठकें बलाना मंत्री का काम है । इसे अधिकारियों पर नहीं छोड़ना चाहिए ।

भारत को पिछले 30 वर्षों में कोई नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है । इसका कारण यह है कि हमारे विश्वविद्यालय और अनुसंधान संस्थायें अपना दायित्व निभाने में असमर्थ रही हैं । वास्तव में यह जिम्मेदारी परिषद की है । यदि हमारे विश्वविद्यालयों में सुधार हो जाये तो वह बहुत अच्छा काम कर सकते हैं । लेकिन हमारे विश्वविद्यालयों में अनुसंधान और विकास कार्य के लिये आवश्यक सामग्री नहीं है । हमें अपने विश्वविद्यालयों में आवश्यक सुधार करना चाहिये ।

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : माननीय सदस्य ने परिषद की केबिनेट से तुलना करके कोई तर्कसंगत बात नहीं कही है । केबिनेट कार्यकारी कृत्य करती है जबकि परिषद केवल सर्वेक्षण और शोध कार्य करती है । परिषद की 1966 से 1976 तक छः बैठकें हुईं । इसलिये माननीय सदस्य यह नहीं कह सकते कि परिषद की हाल में कोई बैठक नहीं हुई ।

जैसे ही हमें प्रतिवेदन प्राप्त होगा हम परिषद की बैठक बुलाएंगे ।

श्री किशोर लाल : इस समय तकनीकी शिक्षा का कुछ भाग शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत है और बाकी भाग भारत सरकार के श्रम मंत्रालय के अंतर्गत है । क्या सरकार का विचार उन्हें एक मंत्रालय के अंतर्गत लाने का है ।

श्री प्रताप चन्द्र चन्द्र : ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

मांस के निर्यात का भैंसों की संख्या पर प्रभाव

166. **श्रीमती अहिल्या पी० रांगणेकर :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कृषि मंत्रालय में तकनीकी विशेषज्ञों ने सरकार को सचेत किया है कि अमीर देशों को अच्छे किस्म के मांस का निर्यात करते समय सरकार को यह अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए कि कहीं इससे देश में भैंसों की नस्ल समाप्त न हो जाए; और

(ख) यदि हां, तो भैंसों की नस्ल की रक्षा के लिए, चूंकि वे विश्व में सर्वोत्तम समझी जाती है; क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) देश में भैंसों की आबादी की सुरक्षा और उनमें सुधार लाने को सुनिश्चित करने के लिए भैंस के मांस, मांस के लिए जीवित भैंसों के काफी सीमित पैमाने पर निर्यात की अनुमति दी गई है ।

(ख) निर्यात नीति की समय समय पर संवीक्षा की जाती है । भारत सरकार और राज्य सरकारों ने देश में भैंसों की अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना, केन्द्रीय और राज्य भैंस प्रजनन फार्मों, चुनींदा फार्मों में झोटों के संतति परीक्षण और मुर्रा तथा सुर्ती नस्लों के केन्द्रीय यूथ पंजीयन योजना जैसे भैंस उत्पत्ति के सुधार के अनेक कार्यक्रम शुरु किए हैं । देश के विभिन्न भागों में किसानों के पशुओं के लिए सेवा सुविधाएं प्रदान करने के हेतु कृत्रिम वीर्याधान केन्द्रों में 1000 से भी अधिक उन्नत नस्ल के झोटे मौजूद हैं ।

Shrimati Ahilya P. Rangnekar: Buffaloes are being exported in large scale from Bombay. I would like to know from the hon. Minister the number of buffaloes exported during last two years.

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : वर्ष 1975-76 में 86 भैंसे निर्यात की गई और 1976-77 में कुल 3110 भैंसे निर्यात की गई ।

Shrimati Ahilya P. Rangnekar: The statement would reveal that in the year 1973, 86 buffaloes had been exported while in the year 1976-77 the number rose to 3110, that is why the officers of Agriculture Ministry have expressed their concern over it and therefore it needs to be stopped. These are the official figures. In Bombay the export business is being done stealthily, whether any action will be taken to stop it.

Shri Surjit Singh Barnala : Only useless cattles are exported. Milching cattles and other useful cattles are not exported.

अध्यक्ष महोदय : आपने उनके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है । बम्बई से चोरी छिपे निर्यात किया जा रहा है ।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : हम मामले की जांच करेंगे और यदि ऐसा किया जा रहा है तो हम इसे रोकने की कोशिश करेंगे ।

Shri Ram Kanwar Baruwa: The Hon. Minister has just stated that the Government is taking adequate steps in this direction. In the cattle farms held in Rajasthan the dealers purchase large heads of cattles and they carry them to Bombay and Goa. A farmer has to pay four to five thousand rupees for a pair of bullocks. Previously the farmer used the buffaloes for agricultural purposes but it is now difficult for him to get even buffaloes for this purpose. I have got personal experience in this regard on my visit to Goa. I happened to see a butchery. I had the impression that cattles are butchered with the aid of machines but instead I found the same being strangulated for about 25 minutes and slaughtered mercilessly.

I would like to know if the Government has any such law under contemplation which will prevent the dealers to purchase and carry useful animals to butchery.

Shri Surjit Singh Barnala : The Hon. Member has stated that the number of buffalo live stock is reducing the statistics reveal that in 1961 the total population of buffalo live stock was 51 million; in 1966 it was 52.95 and in 1972 it was 47.43 million. It is therefore clear that this number is not reducing.

डा० वसन्त कुमार पंडित : क्या मंत्री महोदय सदन को यह बताने की कृपा करेंगे कि अप्रैल, 1977 से अब तक कुल कितने पशुओं का निर्यात किया गया है और क्या भैंस शब्द में गोजातीय और दुधारी पशु भी शामिल हैं। क्योंकि यहां बैल शब्द का प्रयोग किया गया है और बैलों का भी निर्यात किया गया। क्या कोई ऐसी प्रणाली है जिसके जरिए यह पता लगाया जाता है कि आया कोई पशु निर्यात योग्य है अथवा नहीं। बम्बई में एक गिरोह द्वारा कमजोर पशुओं को मार मार कर नकारा बनाया जाता है और उनका चोरी से तथा अवैध रूप से निर्यात किया जा रहा है।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : जैसा कि मैंने पहले बताया कि 1976-77 में कुल 3110 भैंसों का निर्यात किया गया।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य यह कह रहे हैं कि सरकारी तौर पर निर्यात के अतिरिक्त भी चोरी छिपे पशुओं का निर्यात किया जा रहा है। क्या आप इसे रोकने के लिए कुछ करेंगे।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : हम इस मामले की जांच करेंगे। यदि चोरी छिपे पशुओं का निर्यात किया जा रहा है तो हम इसे रोकने के लिए हर संभव उपाय करेंगे।

Shri Motibhai R. Chaudhri : May I know from the Hon. Minister whether there is any plan for the improvement of Mahsani breed. It is a cross breed of Marra and Surti and it is a very good breed.

Shri Surjit Singh Barnala : There are two kinds of buffalo breeding centres. We have two centres. One is in Dharmar and the other is in Udaipur for improvement of this breed.

Shri Motibhai R. Chaudhry : In Mahsana district this particular-breed of Mahsani is available and the buffaloes of this breed give milk in more quantity as compared to others.. Efforts are going on there for the improvement of this breed, why centres for improvement of this breed are there at Udaipur and Dharmar? Why a centre is not opened at Mehsana.

श्री शंभुनाथ चतुर्वेदी : इस अवधि के दौरान कितना गोश्त निर्यात किया गया।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : वर्ष 1976-77 के दौरान 8,290 टन भैंसे का गोश्त निर्यात किया गया।

सीमांत कृषकों को भूमि का आवंटन

170. **श्री एम० एन० गोविन्दन नायर :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार फालतू भूमि का आबंटन भूमिहीन खेतिहर मजदूरों के स्थान पर सीमांत कृषकों को करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने सब राज्य सरकारों को उक्त नीति अपनाने का निदेश दिया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की नीति में ऐसे परिवर्तन के क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी नहीं ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं होता ।

अध्यक्ष महोदय : श्री गोविंदन नायर आप कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछना चाहते ?

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : सीमांत किसानों के किसी भी कार्यक्रम को वह पूरा नहीं कर पाए क्योंकि सीमांत किसान कौन होता है इसकी परिभाषा वह निर्धारित नहीं कर पाए थे । क्या मंत्री महोदय इस सदन को बताएंगे कि सीमांत किसान की क्या परिभाषा है ताकि भविष्य में हमें पता लग सके कि उनके लिए कौनसे कार्यक्रम क्रियान्वित किए जा रहे हैं ।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : सीमांत किसान वह किसान है जिसके पास एक एकड़ भूमि है ।

श्री चित बसु : क्या सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि किसान की न्यूनतम जोत तीन एकड़ की होनी चाहिए । क्या तीन एकड़ की न्यूनतम सीमा निर्धारित की जाएगी ।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : कुछ मामलों में तो तीन एकड़ से कम है । लेकिन कितनी भमी वितरित की गई है उसकी औसत 1.5 एकड़ पड़ती है ।

श्री चित बसु : क्या सरकार 3 एकड़ जोत को न्यूनतम सीमा निर्धारित नहीं करने जा रही है ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : तीन एकड़ की सीमा निर्धारित करनेका हमारा कोई विचार नहीं है। यह सीमा थोड़ी अधीक भी हो सकती है और थोड़ी कम भी ।

Dr. Sushila Nayar : May I know from the Hon. Minister whether he is aware of the fact that there are thousands of persons who have been allotted land by the previous Government but not given possession thereby. They are receiving large bills for the payment of the land revenue with the result they are running from door to door. I want to know whether the hon. Minister will take any action in this regard or he would simply reply that it is a state subject and the Government is not concerned with it. Is he also aware of this fact that number of farmers have been allotted barren land instead of the one they made arable by investing money and putting in hard labour.

Shri Surjit Singh Barnala : It has come to my notice that few persons have been allotted land of which possession has not been delivered to them. We are taking action in this regard. You will be surprised to know that it was after the lapse of 7 years. The meeting of central committee on land reforms was held wherein all concerned ministers were invited and told that allottees of the land have not been given possession over the lands allotted to them. It also came to light in some cases. The delivery of possession was stayed by court. We discussed the matter for two days and advised that steps need be taken for delivery of possession as early as possible even in such cases . . . *(interruption)*.

Dr. Sushila Nayar: May I know from the Government as to what the Government is proposing to do regarding the alloted lands which are not fit for cultivation.

Shri Surjit Singh Barnala: The lands which had been declared by the landowners as surplus were the lands which were not fit for cultivation. No provision was made for the improvement of such land. We are trying to distribute barren lands after making improvement.

Shri Laxmi Narayan Nayak: Lot of lands are lying vacant in many states. I would like to know from the Hon. Minister, if any time limit is being fixed for the distribution and allotment of such land will the Government advise the State Governments for the distribution of such land to landless within a stipulated period.

Shri Surjit Singh Barnala: It is not possible to fix any time limit in this regard as the states have different laws under which the lands are declared surplus and then distributed therefore it is very difficult to fix any time limit.

श्री कुमारी अनन्तन : देश के कुछ भागों में भूमिहीन खेतीहर श्रमिकों को ऐसी भूमि दी गई है जो या तो पहले ही किसी के पास गिरवी रखी हुई या किसी को बेच दी गई है । इसलिए भूमिहीन खेतीहर शहरों में जमीन पाने के लिए फिर दरखास्ते देने आ रहे हैं । यह चक्र सा बन गया है क्या सरकार लोगों का एक ऐसा मंच बनाने पर विचार करेगी जिसमें भूमिहीन श्रमिकों तथा कृषि क्षेत्र के बेरोजगार स्नातकों को रोजगार दिया जा सके ।

श्री सूरजीत सिंह बरनाला : ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Link Roads in Rural Areas

*163. **Shri Daya Ram Shakya:** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) whether a provision of Rs. 20 crores has been included in the Central Budget for construction of link roads in rural areas;

(b) if so, whether Government will consider the possibility of allocating larger portion of this amount to backward States; and

(c) the points to be kept in mind while building rural roads and whether Government propose to provide roads to religious places?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture & Irrigation (Shri Bhanu Pratap Singh): (a) Yes, Sir.

(b) While allocating funds to the State/Union Territory for the construction of rural link roads during 1977-78, the needs of the backward States have been taken into consideration.

(c) In the building of rural roads under this programme, the points to be kept in mind are that :—

(i) villages or clusters of villages with population of 1500 are linked with market centres/main roads/railway stations ;

(ii) production potential of the area, so opened, is developed and its economy improved ;

(iii) roads are constructed according to the technical specifications under the supervision of qualified engineers of the States ;

(iv) roads constructed are all weather roads ; and

(v) roads made are properly maintained in future. This scheme does not specifically provide for road links to religious places.

आवास तथा नगरीय विकास निगम द्वारा नई परियोजनाएं

*167. श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में आवास समस्या को देखते हुए आवास और नगरीय विकास निगम मांग की पूर्ति लिये नई परियोजनाएं प्रारम्भ करने के प्रश्न पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो मार्च, 1978 तक की अवधि के दौरान कितने नगरों में परियोजनाएं प्रारंभ की जायगी; और

(ग) इस अवधि में कितने रिहायशी एककों का निर्माण किया जायेगा ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां ।

(ख) तथा (ग) : आवास तथा नगर विकास निगम ने अपना कार्य आरम्भ करने से लेकर 31-10-1977 तक 16 राज्यों तथा 4 संघ राज्य क्षेत्रों के 189 नगरों की 654 योजनाएं मंजूर की हैं। जहां तक मार्च, 1977 तक की अवधि के दौरान संभवतः शामिल किये जाने वाले अतिरिक्त नगरों का संबंध है, आवास तथा नगर विकास निगम की वित्त सहायता से तैयार की जाने वाली योजना पेश करना राज्य सरकार की एजेन्सियों का उत्तरदायित्व है। अतः आवास तथा नगर विकास निगम द्वारा विभिन्न नगरों की जिन अतिरिक्त योजनाओं की वित्त-व्यवस्था की जानी है उनके बारे में पहले से बताना संभव नहीं है ।

वर्ष 1976-77 तक कुल 1,82,360 रिहायशी मकान मंजूर किये गये हैं जिनमें से 45,810 मकान 31-3-77 तक बनाए जा चुके थे। वर्ष 1977-78 के दौरान जिन मकानों के लिये आवास तथा नगर विकास निगम द्वारा वित्त व्यवस्था की जानी थी उनकी संख्या लगभग 79,000 है। यह 10,867 रुपये प्रति मकान औसत लागत पर आधारित है जो आवास तथा नगर विकास निगम ने वर्ष 1976-77 में मंजूर की है तथा वर्ष 1977-78 के दौरान मंजूर किये जाने वाले ऋण की मात्रा निर्धारित की है। मंजूर किये गये/मंजूर किये जाने वाले मकानों में से वर्ष 1977-78 के दौरान पूर्ण होने वाले मकानों की वास्तविक संख्या ऋण लेने वाली एजेन्सियों द्वारा योजनाओं के कार्यान्वयन की गति पर निर्भर होगी ।

गन्दी बस्तियां हटाने और नगरीय विकास योजनाएं

*168. **श्री के० माया तेवर :** क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गन्दी बस्तियां हटाने और नगरीय विकास सम्बन्धी योजनाओं के लिये सार्थक मार्गदर्शन प्रदान करने के लिये सरकार ने क्या ठोस कदम उठाये हैं ;

(ख) क्या गन्दी बस्तियां हटाने के काम में प्रगति जमीनें और संसाधन प्रदान करके ही की जा सकती है; और

(ग) यदि हां, तो इस दिशा में अब तक, किये गये प्रयत्नों का सारांश क्या है तथा शीघ्र और व्यापक क्रियान्विति के लिये यदि कोई निश्चित मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किये गये हैं तो उनका ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) एक विवरण लोक सभा के पटल पर रखा है ।

(ख) तथा (ग) : आवास स्थलों एवं सेवा सम्बन्धी योजना जिसमें स्वयं-सहायता और/अथवा संवृद्धि आवास के लिए विकसित स्थलों की व्यवस्था हैं, गन्दी बस्ती निवासियों और समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिये आवास समाधानों में से एक है । केन्द्रीय सरकार ने आवास स्थलों एवं सेवा सम्बन्धी परियोजना के लिये वित्त व्यवस्था के लिये कोई योजना नहीं बनाई है ।

तथापि, आवास तथा नगर विकास निगम ने गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तर प्रदेश राज्यों में 5.089 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली आवास स्थलों एवं सेवाओं की 14 परियोजनाएं मंजूर की हैं। आवास तथा नगर विकास निगम ने पहले ही ऐसी योजना की वित्त व्यवस्था के प्रश्न को अन्य राज्यों के पास उठाया है। विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त परियोजनाओं के अंतर्गत, इसी प्रकार के कार्यक्रमों को मद्रास और कलकत्ता में आरम्भ किया गया है।

विवरण

नगर विकास और गन्दी बस्ती उन्मूलन राज्य के विषय हैं। केन्द्रीय सरकार ने इन क्षेत्रों में त्वरित विकास को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित योजनाएं प्रारम्भ की :—

(क) गन्दी बस्ती उन्मूलन :

केन्द्रीय क्षेत्र की गन्दी बस्ती उन्मूलन सुधार योजना मई, 1956 में प्रारम्भ की गई थी और यह केन्द्रीय सेक्टर में 31 मार्च, 1969 तक रही। मौजूदा स्थलों पर अथवा इसके समीप ही गन्दी बस्ती निवासियों को फिर से बसाना और पर्यावरणीय स्वास्थ्य संबंधी न्यूनतम स्तर की व्यवस्था करना इस योजना की मूल विशेषता थी। इस अवधि के दौरान राज्य सरकारों को 34.318 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी गई ।

इसके बाद यह योजना राज्य क्षेत्र में हस्तान्तरित कर दी गई जिसकी वित्त व्यवस्था राज्य प्लान योजनाओं के अन्तर्गत समेकित की जायेगी ।

आवास तथा नगर विकास निगम जो एक केन्द्रीय सरकारी उपक्रम है ने अब तक गुजरात तथा तामिलनाडु के दोगन्दी बस्ती उन्मूलन बोर्डों की 28 आवास योजनाओं की मंजूरी दी है और 419,161 लाख रुपये के ऋण को स्वीकृति प्रदान की है। इससे 6285 आवास एककों का निर्माण होगा।

(ख) गंदी बस्ती सुधार :

गन्दी बस्ती क्षेत्रों में रहन-सहन की स्थिति में सुधार के लिये पर्यावरणीय सुधार की केन्द्रीय सेक्टर योजना 1972–73 में प्रारम्भ की गई थी जिसके अन्तर्गत देश के 20 चुनिन्दा शहरों में पर्यावरणीय सुधार की परियोजनाओं के निष्पादन के लिये राज्य सरकारों को शत प्रतिशत अनुदान दिया गया था। यह केन्द्रीय सेक्टर की योजना 1973–74 तक चलती रही। तत्पश्चात् राज्य प्लान निधियों से वित्त व्यवस्था किये जाने के लिये इसे राज्य सेक्टर में हस्तान्तरित कर दिया गया। इस अवधि के दौरान राज्य सरकारों और संघ राज्य प्रशासनों को 20.11 करोड़ रुपये की राशि दी गई है।

(ग) नगर विकास :

(i) तीसरी योजना के दौरान प्रमुख महानगर केन्द्रों, राज्य की राजधानियों, बन्दरगाही शहरों, द्रुत गति से बढ़ने वाले औद्योगिक क्षेत्रों और संसाधन क्षेत्रों के लिये विकास योजनाएं/बृहत योजनाएं तैयार करने के लिये यह योजना केन्द्रद्वारा प्रवर्तित योजना के रूप में प्रारम्भ की गई थी। इस योजना के अन्तर्गत 72 बृहत् योजनाएं तैयार करने के लिये राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी।

अब तक उपलब्ध सूचना के अनुसार 500 से अधिक शहरों तथा कस्बों के लिये बृहत् योजनाएं/विकास योजनाएं तैयार की गई हैं।

(ii) पांचवीं योजना के दौरान दो निम्नलिखित केन्द्रीय योजनाएं प्रारम्भ की गई हैं :—

(1) महानगरों तथा राष्ट्रीय महत्व के क्षेत्रों में एकीकृत नगर विकास योजना; और

(2) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र विकास योजना।

इन योजनाओं के अन्तर्गत शहरों तथा कस्बों के विकास के लिये केन्द्रीय ऋण सहायता दी जा रही है। एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 19 कस्बों के लिये अब तक 38.38 करोड़ रुपये और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अन्तर्गत 4 कस्बों के लिये 2.55 करोड़ रुपये दिये गये हैं।

(iii) आवास तथा नगर विकास निगम ने 657 योजनाओं के लिये 280.90 करोड़ रुपये की कुल ऋण राशि भी दी है। इन योजनाओं के अन्तर्गत आवासों का निर्माण, शापिंग सेन्टर, कार्यालय भवन और प्लाटों का विकास स्वतः हो, नगर विकास में सहायक सिद्ध होंगे। इन में से, 19 परियोजनाएं हैं जो आवास, वाणिज्यिक अथवा औद्योगिक विकास के रूप में या तो मौजूदा नगरों के अधिक विस्तार में या नए कस्बों में विकास प्रक्रिया को आरम्भ करने में सहायक सिद्ध होगी।

पुनर्वास उद्योग निगम, कलकत्ता को बन्द करना

*169. **श्री के० जो० बेतरो :** क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पुनर्वास उद्योग निगम, कलकत्ता को बन्द करने का है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) पुनर्वास उद्योग निगम को व्यवहार्य बनाने के लिये सरकार उपायों पर विचार कर रही है और इस सम्बन्ध में निगम से प्रस्तावों की प्रतीक्षा है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

लघु कृषक विकास एजेन्सी से किसानों को लाभ

*171. **श्री धर्मवीर वशिष्ट** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी योजना अवधि के दौरान लघु कृषक विकास एजन्सी के अन्तर्गत राज्यवार कितने किसानों को लाभ हुआ और किस प्रकार का लाभ हुआ; और

(ख) इसी संदर्भ में सहायक व्यवसाय कार्यक्रम की क्या स्थिति है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) और (ख) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

चौथी योजना के दौरान लघु कृषक विकास एजेंसी तथा सीमान्त कृषक और कृषि श्रमिक एजेंसी कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यवार लाए गए लाभभोगियों की संख्या को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है । पहचाने गए भागीदारों को अधिक उपज देने वाली किस्मों तथा बहुशस्योत्पादन अपनाने, निवेश-उपदान, प्रदर्शन, बागवानी, भू-संरक्षण, भूमि विकास, लघु सिंचाई जैसे कार्यक्रमों तथा डेरी, मुर्गी-पालन, सूअरपालन, भेड़ और बकरी पालन तथा मछलीपालन, ग्रामीण कारीगरी तथा ग्रामीण निर्माण कार्य जसे सहायक व्यवसायों के अन्तर्गत लाभान्वित किया गया । सीमान्त कृषक तथा कृषि श्रमिक एजेंसियों द्वारा केवल सीमान्त कृषकों और कृषि श्रमिकों के लिए ग्रामीण निर्माण कार्यों का कार्यक्रम कार्यान्वित किया गया था ताकि उन्हें गैरमौसमी मजदूरी रोजगार सुलभ किया जा सके । भागीदारी को कार्यक्रम के लिए संसाधन उपदान के रूप में (लघु कृषकों को 25 प्रतिशत तथा सीमान्त कृषकों और कृषि मजदूरों को 33⅓ प्रतिशत) तथा शेष राशि संस्थागत साधनों से ऋण के रूप में उपलब्ध कराई । सामुदायिक लघु सिंचाई कार्यक्रम के लिए उपदान की दर 50 प्रतिशत थी ताकि कमजोर वर्गों के बीच सामूहिक गतिविधि को प्रोत्साहित किया जा सके । एजेन्सियों द्वारा पहचाने गए लघु/सीमान्त कृषकों तथा कृषि श्रमिकों के नामांकन के लिए सहकारी सोसायटियों के सदस्यों के रूप में ब्याज रहित अंश-पूंजी ऋण भी सुलभ किया गया, ताकि वे सहकारी सोसायटियों से उधार ले सकें । . . . . . .

सहायक व्यवसाय, एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित किए गए कार्यक्रमों के महत्वपूर्ण घटक में से एक था । सहायक व्यवसायों के अन्तर्गत सीमान्त कृषकों तथा कृषि श्रमिकों को प्राथमिकता दी गई । ऐसे कार्यक्रमों को ऐसे सधन क्षेत्रों में शुरू किया गया था जिनमें दूध, अण्डे आदि जसे पशु-उत्पाद के एकत्रीकरण तथा विपणन के लिए आवश्यक आधारभूत ढांचा था ।

विवरण

चौथी योजना अवधि के दौरान लघु कृषक के विकास एजेंसी/सीमान्त कृषक तथा कृषि श्रमिक परियोजना के अन्तर्गत लाभभोगियों का विवरण

क्रम सं०	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	लाभभोगियों की कुल संख्या			सहायक व्यवसायों के अन्तर्गत लाभभोगियों की संख्या		
		ल० कृ० वि० ए०	सी० कृ० तथा कृ० श्रमिक	कुल	ल० कृ० वि० ए०	सी० कृ० तथा कृ० श्रमिक	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आन्ध्र प्रदेश . .	51,816	26,509	78,325	3,580	2,310	5,890
2	असम . . .	27,792	7,271	35,063	62	17	79
3	बिहार . . .	225,945	93,455	319,400	1,560	832	2,392
4	गुजरात . .	54,444	37,774	92,218	7,377	2,399	9,776
5	हरियाणा . .	98,377	43,758	142,135	5,153	5,643	10,796
6	हिमाचल प्रदेश . .	31,671	16,573	48,244	717	663	1,380
7	जम्मू तथा काश्मीर .	76,779	5,915	82,694	990	828	1,818
8	कर्नाटक . .	125,006	46,537	171,543	2,432	3,745	6,177
9	केरल . . .	24,356	36,156	60,512	2,928	69	2,997
10	मध्य प्रदेश . .	87,389	34,928	122,317	565	1,143	1,708
11	महाराष्ट्र . .	50,871	14,626	65,497	3,167	1,570	4,737

12	मणिपुर	..	6,066	6,066	..	1,089	1,089
13	मेघालय	..	7,283	7,283	..	322	322
14	नागालैंड	58,796	..	58,798	1,123	..	1,123
15	उड़ीसा	63,271	41,091	104,362	3,125	2,449	5,574
16	पंजाब	20,886	25,080	45,966	2,128	5,561	7,689
17	राजस्थान	47,113	40,816	87,929	1,594	2,955	4,549
18	तमिलनाडु	110,487	49,147	159,634	10,730	9,257	19,987
19	त्रिपुरा	..	5,555	5,555	..	43	43
20	उत्तर प्रदेश	169,580	42,680	212,260	9,144	2,612	11,656
21	पश्चिम बंगाल	22,314	18,029	40,343	173	418	591
22	दिल्ली	..	1,371	1,371	..	863	863
23	गोवा, दमन दीव	..	8,580	8,580	..	686	686
24	पांडिचेरी	..	4,712	4,712	..	2,623	2,623
	कुल	1,346,895	613,912	1,960,807	56,548	47,997	104,545

कृषि प्रशासन में सुधार

172. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कृषि प्रशासन में सुधार लाने के लिये किये गये निर्णय का ब्यौरा क्या है ;

(ख) इसको क्रियान्वित करने के लिये क्या मार्गदर्शी सिद्धान्त बनाये गये हैं; और

(ग) क्या इस नीति के बारे में राज्य सरकारों से बातचीत की गई थी, और यदि हां, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया थी ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) राज्यों में कृषि प्रशासन के पुनर्गठन को मोटे तौर पर निम्न प्रकार से चलाने का प्रस्ताव है :—

(1) प्रमुख सिंचाई प्रणालियों जैसे सघन क्षेत्रों में मोटे तौर पर 500 कृषि परिवारों के दल और अन्य क्षेत्रों में 800 कृषि परिवारों के दल के लिये कृषि विस्तार कार्य हेतु एक ग्राम सेवक की व्यवस्था की जानी चाहिए। 8 ग्राम सेवकों की देख-रेख के लिये एक कृषि विस्तार अधिकारी की आवश्यकता होगी ।

(2) विशेषकर सस्य विज्ञान और वनस्पति रक्षण क्षेत्रों में उप-प्रभागीय स्तर पर विषय वस्तु विशेषज्ञों के एक दल की व्यवस्था होनी चाहिये ।

(3) जिला स्तर पर विशेषज्ञता के उन क्षेत्रों में जोकि मौजूदा विशेषज्ञों में शामिल नहीं हैं और जिनकी विशिष्ट क्षेत्र के लिये विशेष रूप से आवश्यकता है 2 अतिरिक्त विषय-वस्तु विशेषज्ञों की व्यवस्था की जा सकती है ।

(4) 4 या उससे अधिक खण्डों के उप-प्रभाग को दो जीपें और अन्य को एक जीप विषय-वस्तु विशेषज्ञों आदि को आने-जाने की सुविधा हेतु दी जायेंगी ।

केन्द्र ने राज्यों में विभिन्न परियोजनायें स्वीकृत की हैं और उनके लिये ग्राम सेवक और कृषि विस्तार अधिकारी के स्तर पर विशेष कर्मचारियों की व्यवस्था की है । ऐसे समस्त कार्यक्रम पुनर्गठित प्रणाली के अन्तर्गत सुसम्बद्ध होने चाहिये ताकि इस सम्बन्ध में क्षेत्रीय स्तर पर द्विरूपण न हो सके । जिले के समस्त कृषि विकास कार्यक्रम प्रधान/मुख्य कृषि अधिकारी द्वारा समन्वित किये जाने चाहिये ।

भारत सरकार ने "राज्यों में कृषि विस्तार प्रशासन को सुदृढ़ और पुनर्गठित करने" के लिये एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना का अनुमोदन कर दिया है । अतिरिक्त कर्मचारियों के लिये 75 प्रतिशत तक केन्द्रीय सहायता उपलब्ध होगी जिसकी अन्तर को पूरा करने और इस पद्धति पर पुनर्गठन करने के लिये यातायात की आवश्यकता होगी । . . . . . .

(ख) कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिये मुख्य मार्गदर्शी सिद्धांत अनुबन्ध में दे दिये गये हैं । (अनुबन्ध)

(ग) योजना की प्रमुख बातों के बारे में क्षेत्रीय बैठकों में प्रमुख राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श किया गया है । अनेक राज्य सरकारों ने उपर्युक्त रूपरेखा को

मोटे तौर पर स्वीकार कर लिया है । असम, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और पश्चिम बंगाल राज्यों में कृषि विस्तार प्रशासन के पुनर्गठन के लिये राज्य सरकार द्वारा परियोजनायें तैयार कर ली गई है और विश्व बैंक से सहायता लेने के लिये इन्हें मंजूर कर दिया गया है । बिहार के लिये भी इसी प्रकार की परियोजना को अंतिम रूप दे दिया गया है और आशा है कि उसके बारे में विश्व बैंक के साथ नवम्बर-दिसम्बर, 1977 के दौरान बात-चीत की जायेगी । गुजरात और उत्तर प्रदेश के लिये भी परियोजनायें तैयार कर ली गई हैं । कर्नाटक, महाराष्ट्र, हरियाणा और आन्ध्र प्रदेश के लिये परियोजनायें तैयार की जा रहा हैं । शेष राज्यों से भी अपने राज्यों में कृषि विस्तार प्रशासन के पुनर्गठन के लिये विशिष्ट प्रस्ताव तैयार करने और उनके लिये केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता देने के बारे में विचार करने के लिये भारत सरकार के पास भेजने का अनुरोध किया गया है ।

विवरण

राज्यों में कृषि विस्तार प्रशासन को सुदृढ़ करने और उस के पुनर्गठन के लिये केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के क्रियान्वयन के लिये मार्गदर्शी सिद्धांत

नीचे लिखे मुख्य मार्गदर्शी सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं और स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम बनाए जा सकते है :

राज्यों के कृषि विभागों के नियंत्रण के अंतर्गत केवल कृषि विस्तार तथा कृषि उत्पादन कार्यक्रमों के लिये 75 प्रतिशत ग्राम सेवकों का उपयोग

1. यह कार्यक्रम पूर्णकालिक आधार पर कृषि विकास के कार्य के लिये ग्राम सेवकों की उपलब्धी पर निर्भर करता है । जहां भी यह कार्यक्रम शुरू किया जाता है, वहां ग्राम सेवकों को राज्यों के कृषि विभागों के नियंत्रण में रखना चाहिए । 75 प्रतिशत ग्राम सेवकों को विशेष रूपसे केवल कृषि विस्तार और कृषि उत्पादन कार्यक्रमों से सम्बन्धित कार्य के लिये नियत कर देना चाहिए । शेष ग्राम सेवकों को सामान्य विकास कार्यक्रमों के लिये उपयोग में लाया जाए ।

विषय विशेषज्ञों की नियुक्ति

2. उप-प्रभागीय स्तर पर विषय विशेषज्ञों का दल इस कार्यक्रमका मुख्य आधार है । विस्तृत जांच-पड़ताल से पता चला है कि राज्यों के कृषि विभाग इस प्रकार की विशेषज्ञता में कमजोर हैं । अतः यदि कोई भी कार्यक्रम बनाया जाता है तो उनके लिये सम्बंधित राज्यों में तत्काल बनाए जाने वाले ऐसे दलों की संख्या सीमित होगी, जिनका अगले एक-दो वर्षों में विस्तार किया जा सकता है । विषय विशेषज्ञों के लिये विशिष्ट अर्हतायें निर्धारित कर देनी चाहिए और केवल उन्हीं व्यक्तियों को विषय विशेषज्ञ नियुक्त किया जाना चाहिए जो उन अर्हताओ को पूर्णरूपेण पूरी करते हो ।

विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत राज्यों के कृषि विभागों के फील्ड स्टाफ का एकीकरण

3. केन्द्र ने राज्यों में विभिन्न परियोजनायें मंजूर की हैं और ग्राम सेवक तथा कृषि विस्तार अधिकारी के स्तर पर उनके लिये विशेष स्टाफ की व्यवस्था की है । जब पुनर्गठित विस्तार पद्ध ति

स्वीकार कर ली जाए तो ऐसे सभी कार्यक्रमों को पुनर्गठित प्रणाली के अंतर्गत एकीकृत कर लेना चाहिए ताकि इस संबंध में फील्ड स्तर पर द्विरूपण न होने पाए। ऐसे किन्हीं अन्य कार्यक्रमों के अंतर्गत काम करने वाले उन क्षेत्रों के सारे स्टाफ का समग्र स्टाफ में विलय करके आवश्यकतायें पूरी करने के लिये पुनः वितरण कर लेना चाहिए ।

4. यदि उपर्युक्त सभी समायोजन कर लिये जाये तो यह पता चलेगा कि कार्यक्रम के लिये अपेक्षित अधिकांश ग्राम सेवक राज्यों में पहले ही उपलब्ध होंगे। कृषि विस्तार अधिकारियों के मामले में सम्भवतः अधिकांश मांग पुनः वितरण करके पूरी की जा सकती है। यदि कोई अन्तर हो तो, भारत सरकार पांच वर्षों की अवधि के लिये इस अंतर की लागत 75 प्रतिशत योगदान देने के लिये सहमत होंगी ।

जिला स्तर पर कृषि विकास कार्यक्रमों का समन्वयन

5. जिला स्तर पर विभिन्न कृषि विकास कार्यकलापों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये मुख्य/प्रमुख कृषि अधिकारी (जो कि कृषि संयुक्त/उप निदेशक के स्तर का श्रेणी-1 का अधिकारी होना चाहिये) की देख-रेख, मार्गदर्शन और नियंत्रण के अन्तर्गत समस्त अधिकारियों के क्रिया-कलापों का समन्वय आवश्यक है। उपयुक्त विभिन्न विशिष्ट कार्यकमों के आलावा, पूरे जिले के लिये नयी विस्तार पद्धतियों (प्रशिक्षण और निरीक्षण प्रणाली) से सम्बंधित कार्य सहित कृषि विकास से सम्बंधित समस्त कार्य के लिये मुख्य/प्रमुख कृषि विकास अधिकारी को उत्तरदायी होना चाहिये।

प्रभाग, जिला और खण्ड स्तरों पर राजकीय एजेंसियों और जन संगठनों के साथ समन्वयन

6. जिला परिषदों और पंचायत समितियों सहित लोक प्रिय संगठन कृषि उत्पादन कार्यक्रमों के तयार करने और क्रियान्वयन में अपना पूरा योगदान देते रहेंगे। कृषि उत्पादन कार्यक्रम के बारे में जिला स्तर के कृषि अधिकारियों को जिला परिषद अथवा उनकी कृषि उत्पादन समितियों की ओर उप प्रभागीय कृषि अधिमारियों कृषि विस्तार अधिकारियों को पंचायत समितियों अथवा उनके समितियो के बैठको में नियमित रूप से भाग लेना चाहिए। इन मंचों पर कृषि उत्पादन कार्य-क्रमों के समस्त पहलुओं के बारें में समीक्षा की जानी चाहिए ।

7. प्रभागीय/क्षेत्रीय स्तरपर प्रभागीय आयुक्त और संयुक्त कृषि निदेशक, जिला स्तर पर कलक्टर उप आयुक्त और प्रमुख कृषि अधिकारी तथा खण्ड स्तर पर खण्ड विकास अधिकारी के बीच प्रभावी समन्वय करना भी आवश्यक होगा। प्रभागीय स्तर की बैठकें प्रभागीय आयुक्त अध्यक्षता में आयोजित की जा सक्ती है और प्रभागीय/क्षेत्रीय कृषि निदेशक इन बैठकों के संयोजक के रूपमें कार्य कर सकते हैं। कृषि विकास से सम्बधित समस्त एजेंसियों के प्रतिनिधियों को इन बैठकों में भाग लेने के लिये आमंत्रित किया जाना चाहिए। जिला कृषि उत्पादन समिति का अध्यक्ष कलक्टर होना चाहिये। जिसमें जिले का प्रमुख/मुख्य कृषि अधिकारी संयोजक के रूपमें कार्य करेगा। कृषि उत्पादन समिति

में, कृषि विश्वविद्यालयो, अनुसंधान केन्द्रों, साख एजेंसियों, सहकारी समितियों और वाणिज्यिक बकों, आदान एजेंसियों, राज्य सिंचाई विभाग, राज्य के भूमिगत जल और बिजली बोर्ड, संसद सदस्य, विधान सभा सदस्य और विभिन्न क्षेत्रों के जिला परिषदों के प्रतिनिधि सदस्य होने चाहिये ।

कृषि विश्वविद्यालयों/महा विद्यालयों में समन्वय

8. राज्य कृषि विभागों और कृषि विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के बीच संहत समन्वय होना चाहिये/राज्य, क्षेत्रीय ओर जिला स्तरों पर कृषि अनुसंधान और विस्तार के बीच संहत समन्वय को सुनिश्चित करने के निमित्त समन्वय समितियां बनानी चाहिएं ।

9. विशेषज्ञता की अदला-बदलों के लिये अनुसंधान और विस्तार कार्मिकों के बीच दोनों ओर से नियमित आदान-प्रदान होना चाहिए ।

Qualifications of Physical Education Teachers Working in Central Schools

†*173. **Shri Brij Raj Singh :** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) the prescribed educational qualifications of Physical Education Teachers working in the Central Schools in the country;

(b) whether the Kendriya Vidyalaya Sangathan has appointed all Physical Education Teachers in Central Schools as per the prescribed qualifications; and

(c) the number of such teachers who do not possess the requisite qualifications and the measures being taken to ensure that they acquire those qualifications?

The Minister of State in the Ministry of Education, Social Welfare and Culture (Smt. Renuka Devi Barakataki) : (a) The prescribed educational qualifications for the Physical Education Teachers (Scale of pay of Rs. 440-20-500-EB-25-700-EB-25-750) is as under :—

Essential Qualifications : University Degree with recognised Diploma in Physical Education.

Or

B.P.E. from Laxmibai College of Physical Education or equivalent qualification.

Distinguished sportsmen who have represented the country in recognised national or international events are also eligible for appointment "*on trial basis*" provided they possess the University Degree and the condition of possessing the Diploma in Physical Education or equivalent qualification shall not apply.

(b) and (c): The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

उड़ीसा में कोणार्क, जगन्नाथ और लिंगराज मन्दिरों की रक्षा

*174. **श्री सरत कुमार कार :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में कोणार्क, जगन्नाथ और लिंग राज मन्दिरों की रक्षा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ख) क्या सरकार का विचार उड़ीसा के ऐतिहासिक स्मारकों की रक्षा करने और ऐतिहासिक स्थलों को खुदाई के लिए जो उड़ीसा में काफी हैं, उदारतापूर्वक सहायता देने का है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) उड़ीसा में कोणार्क, जगन्नाथ और लिंगराज मन्दिर पहले ही राष्ट्रीय महत्व के 'संरक्षित' स्मारक हैं ।

इन मंदिरों के परिरक्षण के लिए व्यापक रुप से इमारती-जीर्णोद्धार के कार्य किये गये हैं, जैसे-खण्डित पाषाणों के स्थान पर नये लगाना, दरारों में मसाला भरना और चिनाई के खुले जोड़ों को बन्द करना । इस के अतिरिक्त, लवण-प्रतिक्रिया और भारी वर्षा के प्रभाव के विरुद्ध चिनाई का रासायनिक उपचार भी प्रारम्भ किया गया है । इन स्मारकों तथा इन के आसपास के क्षेत्र को दर्शनीय स्थल-निर्माण द्वारा विकसित करने के लिए कदम भी उठाए गए हैं ।

इन मन्दिरों के रख-रखाव तथा परिरक्षण पर पिछले तीन सालों में किया गया व्यय और चालू वर्ष के लिये निर्धारित राशि निम्न प्रकार से हैं, जैसे :—

	कोणार्क के मन्दिर	जगन्नाथ मन्दिर	लिंगराज मन्दिर
1974–75	81,517	24,594	10,003
1975–76	1,71,680	71,181	11,545
1976–77 . . .	4,47,741	1,30,306	35,959
1977–78 . .	2,28,000	2,90,000	16,000
के लिए प्रावधान			

(ख) संरक्षण के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार का उत्तरदायित्व राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों तक ही सीमित है । राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों से भिन्न अन्य स्मारकों की देखभाल राज्य सरकार के पुरातत्व विभाग द्वारा की जाती है और जब कभी राज्य सरकार द्वारा मांग की जाती है तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण तकनीकी सहायता देता है ।

Agreement with Sweden on Afforestation

*175. **Shri Surendra Bikram:** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) The terms and conditions of afforestation agreement reached between India and Sweden in Delhi which has come into force with effect from 4th October, 1977;

(b) the amount of Indian currency involved therein; and

(c) the advantage likely to accrue to the country ?

The Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala): (a) The agreement reached between Government of India and Government of Sweden on 4th October, 1977 is a "support to the Indian Logging Training Project" and not for afforestation. However, the above agreement is a part of the broad agreement reached between Government of India and Sweden on 23rd April, 1977, through exchange of letters, according to which Sweden will provide assistance to the tune of 20.00 million Sw. Kr. for development of forestry in India upto 1980-81. The Project "Support to Indian Logging Training Project" is for a period of 3½ years w.e.f. 4-10-77. The objectives are as under :—

(i) To provide training to about 8,000—10,000 forest workers in the basic logging.

(ii) To provide training to Indian Forest Officers in advanced technology in European countries.

(iii) To identify possible improvements in off-road and long distance Transportation of wood.

(iv) To assist saw milling industry through a study aimed at suggesting improvements both in saw milling techniques as well as in design and manufacture of indigenous saw milling equipments.

The SIDA (Swedish International Development Authority) will (through Swede—forest consulting AB) provide the services of experts up to a maximum of 150 man-months including a Project Coordinator, four vocational specialists in Basic logging, a Transport specialist and a saw-milling specialist and short term consultant in the above specialisations. SIDA will also provide equipments for the projects to the tune of Sw. Kr. 2,605,000. The total contribution of SIDA to the project will be Sw. Kr. 7,603,930 for a period of 2½ years.

(b) The Government of India contribution to the project will be Rs. 11,05,000 for a period of 3½ years which mainly includes the counterparts and supporting staff, stationery and office space at the Logging Training Project headquarters in Dehra Dun.

(c) The advantages to accrue from the implementation of this project are :

(i) Increasing the capability of forest workers in basic logging by acquainting them with modern tools and modern techniques of using them. This will mean a significant productivity gain which will eventually result in increased financial gain to the logging enterprise of India.

(ii) To provide a higher level of technology with regard to basic logging off road transportation and long distance transportation to Indian Forest Officers.

Both the above gains are considered essential since operations concerning logging account for some 70% of the total expenditure in Indian Forestry.

Demands made by Students of Jamia Millia Teachers' Training College, Delhi

*176. **Shri O. P. Tyagi** : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) the demands made by the students of Jamia Millia Teachers' Training College, Delhi in support of their recent strike; and

(b) the action taken so far by Government in this regard?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder): (a) According to the information furnished by the Jamia Millia Islamia, the students of its Teachers' Training College did not go on strike, nor did they make any demands.

(b) Does not arise.

Aerial Survey for Tiger Project in Maharashtra

*177. **Shri Laxman Rao Mankar:** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) whether the survey work of the tiger project scheme of Eastern Maharashtra was not completed as the Central Zoological Survey, Hyderabad did not conduct aerial survey thereof;

(b) whether it is proposed to complete the aerial survey of this scheme this year; and

(c) whether this project being in Adivasi area, Government propose to accord priority to it?

The Minister for Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala): (a), (b) and (c): According to the information made available by the Chief Conservator of Forests, Government of Maharashtra no proposal for Aerial Survey of Melghat Tiger Project area of Maharashtra has been initiated so far. Further, there is no proposal to undertake aerial survey of the project area during this year.

मांस के निर्यात के लिए एक यूनिट की स्थापना

178. **श्री समर मुखर्जी** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य तथा कृषि संगठन की सहायता से विकसित देशों को अच्छी किस्म का मांस निर्यात करने के लिए कई लाख डालर के एक यूनिट की स्थापना की जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख) : वर्ष 1975 अन्त में खाद्य और कृषि संगठन के जिस विशेषज्ञ ने देश का दौरा किया था उसने केरल राज्य एक मध्यम आकार की निर्यातोन्मुखी मांस परिसंस्करण एकक की स्थापना की सम्भाव्यता के रे में एक अध्ययन किया था। खाद्य और कृषि संगठन ने सुझाव दिया है कि द्विपक्षीय ायता के लिए इस प्रस्ताव पर स्वीडन अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजन्सी के साथ विचार-विमर्श या जाए । इस मामले पर अब केरल सरकार से पत्र-व्यवहार किया जा रहा है ।

Completion of Chambal Command Scheme

*179. **Shri Yagya Datt Sharma :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) the time by which Chambal Command Scheme is likely to be completed; and

(b) the total expenditure estimated to be incurred thereon and the area of land irrigated?

The Minister for Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala) : (a) and (b) : The Command Area of the Chambal Irrigation Project extends over the States of Rajasthan and Madhya Prdesh. An agreement with the World Bank for implementation of the Command Area Development Programme was signed which became effective in December, 1974 for Rajasthan and September, 1975 for Madhya Pradesh. The programme of work was initiated thereafter in both the States by the Command Area Development Authorities set up for the purpose. The World Bank project in Rajasthan area of Chambal Command is for implementation in a period of 6 years and is for the first stage of the development of the command area covering mainly improvement of canal distribution system, on farm development in an area of 50,000 ha., drainage improvement in an area of 1,67,000 ha., construction and improvement of roads and providing agricultural supporting services. This work is likely to be completed in time. The first stage World Bank Project for Madhya Pradesh portion of the Chambal Command is for implementation in a period of 3 years and includes mainly improvement of the canal distribution system, chak drainage in an area of 20,000 ha., on farm development in an area of 12,000 ha. construction of roads and provision of agricultural supporting services. The progress of implementation of the programme in Madhya Pradesh has been rather slow. However, special efforts are being made by the State Government to accelerate the programme.

The first stage of the World Bank Project for the Rajasthan portion of the Chambal Command is estimated to cost Rs. 73.2 crores. Similarly, the first stage of the World Bank Project over the Madhya Pradesh portion of the Chambal Command is estimated to cost Rs. 37.31 crores. The expenditure incurred in Rajasthan is Rs. 15.4 crores upto August, 1977 and Rs. 7.5 crores in Madhya Pradesh upto March, 1977. The irrigation potential created by 1975-76 was 1.74 lakh ha. in Rajasthan and 2.73 lakh ha. in Madhya Pradesh.

Actual area irrigated in 1975-76 was 1.67 lakh ha. in Rajasthan and 1.66 lakh ha. in Madhya Pradesh.

It is proposed to complete improvement of the canal and drainage systems and construction of field channels in the command areas of the project in both the States during the second stage. Other activities like consolidation of holdings, land levelling/shaping, construction of roads would also be continued.

प्रति किलो खाद्यान्न पर पश्चिम बंगाल द्वारा अतिरिक्त भुगतान

* 180. **श्री दीनेन भट्टाचार्य** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि भारतीय खाद्य निगम और पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के बीच हुए करार की शर्तें ऐसी है कि प्रति किलो खाद्य धान्न पर उस राज्य को दूसरे राज्यो की अपेक्षा लगभग 10 पैसे अधिक देने पड़ते हैं जो पश्चिम बंगाल के लोगो को वार्षिक 50 करोड़ रुपये से भी अधिक पड़ता है ; और

(ख) यदि हां, तो इस भेदभाव के क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) और (ख) भारतीय खाद्य निगम राज्य सरकारो की ओर से आन्ध्र प्रदेश, केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश और पश्चिमी बंगाल में गहूंके वितरण और केरल तथा पश्चिमी बंगाल में चावल के वितरण से संबंधित कार्य सम्भालता है । सभी राज्यों के लिए केन्द्रीय निर्गम मूल्य समान होते है । देय वितरण प्रभार भारतीय खाद्य निगम और संबंधित राज्य सरकारो द्वारा की गई सेवाओं के स्वरूप, जोकि प्रत्येक राज्य में भिन्न-भिन्न होती हैं और जोकि तुलनात्मक नहीं होती है, पर निर्भर करते हुए आपस में तय किए जाते हैं । पश्चिमी बंगाल में, केन्द्रीय निर्गम मूल्य के ऊपर चावल के बारे में 19 रु० प्रति क्विंटल के हिसाब से और गहूं के बारे में 15 रु0 प्रति क्विंटल के हिसाब से वितरण प्रभार लगाए जाते है । ये प्रभार भारतीय खाद्य निगम और पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा आपस में तय किए गए हैं । इस धनराशि में से भारतीय खाद्य निगम को राज्य सरकार की ओर से थोक व्यापारी का कार्य करने के लिए चावल के बारे में 8.39 रु० प्रति क्विंट ल और गेहूं के बारे में 5.46 रु० प्रति क्विंटल के हिसाब से धनराशि प्राप्त होती है और इसमें भारतीय खाद्य निगम द्वारा पश्चिमी बंगाल सरकार की ओर से स्टाक के परिवहन, उस पर व्याज और उसको सम्भालने के लिए वहन की गई अतिरिक्त लागत शामिल है । अत: विभिन्न राज्य सरकारो द्वारा भारतीय खाद्य निगम को देय प्रभारो में किसी प्रकार का भेद-भाव करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

News Item 'Proceeds of U.N. Gift Missing'

181. **Shri Mrityunjay Prasad :**
Shri P. K. Kodiyan :

Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether his attention has been drawn to the news item published in the 'Patriot' dated 2nd November, under the caption "Proceeds of U.N. Gift-Rs. 116 crores of milk money missing"; and

(b) if so, how far this news item is correct?

The Minister for Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala): (a) The attention of the Ministry has been drawn to this news item.

(b) The contents of the news item are not factually correct. The original approved outlay for WFP Projects 618 (Operation Flood) was of the order of Rs. 95.40 crores based on the generated funds by sale of donated WFP commodities. With the revision of transfer value of WFP commodities with effect from 11-1-74 the project outlay has been revised to Rs. 116.40 crores. The Indian Dairy Corporation has been implementing the project on the basis of the Plan of operation signed between the Government of India and WFP authorities. The Indian Dairy Corporation is furnishing the financial statements to the Government and the accounts of the Indian Dairy Corporation are also audited by a firm of Chartered Accountants annually.

Assistance for Outdoor Stadia in Porbandar and Junagadh (Gujarat)

*182. **Shri Dharmasinhbhai Patel:** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state:

(a) whether the plans and estimates for outdoor stadia in Porbandar and Junagadh cities have been submitted by the Government of Gujarat to Central Government and if so the estimates thereof in each case;

(b) action taken or proposed to be taken by Government in this regard; and

(c) when the sanction and assistance for the construction of outdoor stadia in Porbandar and Junagadh would be given?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder): (a), (b) & (c): Yes, Sir. The estimates of Porbandar stadia and of Junagadh were received towards the end of September 1977 although indications were given to the State Governments that in view of limited funds it would not be possible to consider new proposals. These are for Rs. 2,69,805 and Rs. 2,60,500 respectively. These will be considered for the financial year 1978-79 in view of paucity of funds.

गोआ, दमन और दीव के मछुओं को राज सहायता

1564. **श्री अमृत कासर:** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ राज्य क्षेत्र गोआ, दमन और दीव के मछुओं को मत्स्य-नौकाओं के इंजनों की खरीद के लिये राज सहायता दी गई थी ;

(ख) क्या उक्त राज सहायता बन्द कर दी गई है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला): (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं । परन्तु सहाय्य 40% से घटाकर 5% कर दी गई है ।

Actual area irrigated in 1975-76 was 1.67 lakh ha. in Rajasthan and 1.66 lakh ha. in Madhya Pradesh.

It is proposed to complete improvement of the canal and drainage systems and construction of field channels in the command areas of the project in both the States during the second stage. Other activities like consolidation of holdings, land levelling/shaping, construction of roads would also be continued.

प्रति किलो खाद्यान्न पर पश्चिम बंगाल द्वारा अतिरिक्त भुगतान

* 180. **श्री दीनेन भट्टाचार्य** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि भारतीय खाद्य निगम और पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के बीच हुए करार की शर्तें ऐसी है कि प्रति किलो खाद्य यान्न पर उस राज्य को दूसरे राज्यो की अपेक्षा लगभग 10 पैसे अधिक देने पड़ते हैं जो पश्चिम बंगाल के लोगो को वार्षिक 50 करोड़ रुपये से भी अधिक पड़ता है ; और

(ख) यदि हां, तो इस भेदभाव के क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) और (ख) भारतीय खाद्य निगम राज्य सरकारो की ओर से आन्ध्र प्रदेश, केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश और पश्चिमी बंगाल में गहूंके वितरण और केरल तथा पश्चिमी बंगाल में चावल के वितरण से संबंधित कार्य सम्भालता है। सभी राज्यों के लिए केन्द्रीय निर्गम मूल्य समान होते है । देय वितरण प्रभार भारतीय खाद्य निगम और संबंधित राज्य सरकारो द्वारा की गई सेवाओं के स्वरूप, जोकि प्रत्येक राज्य में भिन्न-भिन्न होती हैं और जोकि तुलनात्मक नहीं होती है, पर निर्भर करते हुए आपस में तय किए जाते हैं । पश्चिमी बंगाल में, केन्द्रीय निर्गम मूल्य के ऊपर चावल के बारे में 19 रु० प्रति क्विंटल के हिसाब से और गहूं के बारे में 15 रु० प्रति क्विंटल के हिसाब से वितरण प्रभार लगाए जाते है । ये प्रभार भारतीय खाद्य निगम और पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा आपस में तय किए गए हैं । इस धनराशि में से भारतीय खाद्य निगम को राज्य सरकार की ओर से थोक व्यापारी का कार्य करने के लिए चावल के बारे में 8.39 रु० प्रति क्विंटल और गेहूं के बारे में 5.46 रु० प्रति क्विंटल के हिसाब से धनराशि प्राप्त होती है और इसमें भारतीय खाद्य निगम द्वारा पश्चिमी बंगाल सरकार की ओर से स्टाक के परिवहन, उस पर ब्याज और उसको सम्भालने के लिए वहन की गई अतिरिक्त लागत शामिल है । अत: विभिन्न राज्य सरकारो द्वारा भारतीय खाद्य निगम को देय प्रभारो में किसी प्रकार का भेद-भाव करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

News Item 'Proceeds of U.N. Gift Missing'

181. **Shri Mrityunjay Prasad :**
Shri P. K. Kodiyan :

Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether his attention has been drawn to the news item published in the 'Patriot' dated 2nd November, under the caption "Proceeds of U.N. Gift-Rs. 116 crores of milk money missing"; and

(b) if so, how far this news item is correct?

The Minister for Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala): (a) The attention of the Ministry has been drawn to this news item.

(b) The contents of the news item are not factually correct. The original approved outlay for WFP Projects 618 (Operation Flood) was of the order of Rs. 95.40 crores based on the generated funds by sale of donated WFP commodities. With the revision of transfer value of WFP commodities with effect from 11-1-74 the project outlay has been revised to Rs. 116.40 crores. The Indian Dairy Corporation has been implementing the project on the basis of the Plan of operation signed between the Government of India and WFP authorities. The Indian Dairy Corporation is furnishing the financial statements to the Government and the accounts of the Indian Dairy Corporation are also audited by a firm of Chartered Accountants annually.

Assistance for Outdoor Stadia in Porbandar and Junagadh (Gujarat)

*182. **Shri Dharmasinhbhai Patel:** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state:

(a) whether the plans and estimates for outdoor stadia in Porbandar and Junagadh cities have been submitted by the Government of Gujarat to Central Government and if so the estimates thereof in each case;

(b) action taken or proposed to be taken by Government in this regard; and

(c) when the sanction and assistance for the construction of outdoor stadia in Porbandar and Junagadh would be given?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder): (a), (b) & (c): Yes, Sir. The estimates of Porbandar stadia and of Junagadh were received towards the end of September 1977 although indications were given to the State Governments that in view of limited funds it would not be possible to consider new proposals. These are for Rs. 2,69,805 and Rs. 2,60,500 respectively. These will be considered for the financial year 1978-79 in view of paucity of funds.

गोआ, दमन और दीव के मछुओं को राज सहायता

1564. **श्री अमृत कासर:** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ राज्य क्षेत्र गोआ, दमन और दीव के मछुओं को मत्स्य-नौकाओं के इंजनों की खरीद के लिये राज सहायता दी गई थी ;

(ख) क्या उक्त राज सहायता बन्द कर दी गई है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला): (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं । परन्तु सहाय्य 40% से घटाकर 5% कर दी गई है ।

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान, सरकार ने देशी इंजनों के संबंध में 50% ऋण और 40% सहाय्य का अनुमोदन किया था। गोवा सरकार की पांचवी योजना के दौरान यंत्रीकरण कार्यक्रम की स्थिति की समीक्षा करने पर यह देखा गया कि सहाय्य के तत्वों के दृष्टि में भ्रष्टाचर की गुंजाइश थी। अतः, राज्य सरकार ने सहाय्य को 40% से घटाकर 5% करने और ऋण की मात्रा को 50% से बढ़ाकर 75% करने के प्रस्ताव किया। शेष 20% को व्यक्तिगत अंशदान के रूप में रखा गया था। उपर्युक्त प्रस्ताव को भारत सरकार ने मान लिया था और अब मछुओं को मस्यन नावों के लिए समुद्री इंजनो हेतु 5% राज सहायता दी जाती है, जिसका 75% ऋण के रूप में होता है।

दिल्ली स्कूल टीचर्स कोआपरेटिव हाऊस बिल्डिंग सोसाइटी की सदस्यता से नाम वापस लेना

1565. **श्री टी० एस० नेगी : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली स्कूल टीचर्स कोऑपरेटिव हाऊस बिल्डिंग सोसायटी, दिल्ली की सदस्यता से कितने व्यक्तियों ने अपने नाम वापस ले लिये हैं और आपात स्थिति के दौरान निर्वाचित हुई तथा कथित प्रबन्ध समिति से धनराशि वापस ले ली है ;

(ख) समिति के अध्यापक तथा गैर अध्यापक सदस्यों की नाम दर्ज कराने के वर्ष के अनुसार अलग अलग और वर्षवार जिस वर्ष वे सदस्य बने उसके अनुसार कुल संख्या कितनी है; और

(ग) अगस्त-सितम्बर, 1977 में रजिस्ट्रार कोआपरेटिव सोसाइटीस, दिल्ली के कार्यालय में कुल कितने व्यक्तियों ने इस आशय के शपथ-पत्र दायर किये थे कि वे सोसाइटी के सदस्य हैं और रजिस्ट्रार के कार्यालय द्वारा उनकी सदस्यता स्वीकार करने के बारे में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) समिति ने यह सूचित किया है कि 340 व्यक्तियों ने अपने ही अनुरोध पर अपनी राशि को वापिस ले लिया है।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है।

(ग) 16-8-77 तक जोकि आखिरी तारीख थी 283 शपथ-पत्र प्राप्त हुए थे। इनमें से दी इस समिति से संबंधित नहीं थे। इस प्रकार सही संख्या 281 थी। दिल्ली के उप-राज्यपाल द्वारा गठित समिति द्वारा इन सभा शपथ पत्रों पर विचार किया गया समिति की रिपोर्ट प्रबन्ध समिति को आगे की आवश्यक कार्यवाही करने के लिए भेज दिया गया है। इसके अलावा निर्धारित तिथि के बाद 37 शिकायतें प्राप्त हुई थी और समिति की इच्छानुसार इनपर आवश्यक कार्यवाही करने के लिए समिति की प्रबन्ध समिति को भेज दिया गया था।

Charging of Market Rent from the Allottees of Type IV Quarters in Delhi

1566. **Shri Nawab Singh Chauhan :** Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the names of the persons residing in type IV quarters in Delhi from whom market rent **is being** charged ;

(b) the reasons therefor and the houses for which it is being charged;

(c) whether the persons from whom market rent is being charged, are still in service; and

(d) whether Government are also taking any action on some of the applications so as to provide some relief to the persons concerned?

The Minister of Works & Housing & Supply and Rehabilition (Shri Sikander Bakht): (a) & (b): A statement showing the names of the persons and the particulars of the type IV quarters for which they are paying market rent, as at Annexure. The reasons for their being charged market rent are, mainly overstay in the houses beyond the permissible period after retirement/transfer or their being house-owners. **[Placed in Library. See No. C.T. 1185/77.]**

(c) Out of 198 officers paying market rent for type IV accommodation, 73 have retired and 6 have died. The rest (119) are still in service.

(d) Applications seeking relief are being examined in accordance with the provisions of the Allotment Rules.

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालयों तथा कालेजों को दी जान वाले अनुदान पर पुनर्विलोकन

1567. **श्री गणनाथ प्रधान :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विभिन्न विश्वविद्यालयों तथा कालेजों को दी गई शैक्षणिक अनुदान पर पुनर्विलोकन करने संबंधी कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इस अनुदान की प्रकिया क्या है और क्या आर्थिक रूप से कमजोर विश्वविद्यालयों तथा कालेजों पर विशेष रूप से कोई विचार किया जाता है ; और

(ग) उड़ीसा राज्य के चार विश्वविद्यालयों तथा कालेजों को 1976 से 1977 तक के वर्षों के दौरान आबंटित की गई अनुदान का ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र): (क) विश्व विद्य अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार विभिन्न प्रकार की योजनाओं के लिए आयोग द्वारा स्वीकृति सहायता पद्धति के आधार पर विश्वविद्यालयों तथा कालेजों को विकास अनुदान दिए जाते हैं। प्रत्येक योजना अवधि के अंत में सहायता की इन पद्धतियों का पुनरीक्षण किया जाता है ।

(ख) एक योजना अवधि के लिए विश्वविद्यालयों को विकास अनुदान निरीक्षण समितियों के जरिए प्रत्येक विश्वविद्यालय के प्रस्तावों के मूल्यांकन के आधार पर स्वीकृत किए जाते हैं। कालेजों के विकास प्रस्तावों पर आयोग द्वारा निर्धारित मानदंडों और नियमों के अनुसार विचार किया जाता है। दोनों ही मामलों में स्वीकृत अनुदान उपयुक्त किश्तों में दिए जाते हैं व्यय की प्रगतिपर निर्भर करती है । कालेजों के मामले में आयोग ने सहायता प्राप्ति की पात्रता के लिए न्यूनतम दाखिला और संकाय

संख्या निर्धारित की है । पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित कालेजों के मामले में इन शर्तों में पर्याप्त ढील दी जाती है। कालेजों अथवा विश्वविद्यालयों की आर्थिक स्थिति के आधार पर ही कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है ।

(ग) पांचवीं योजना के दौरान उड़ीसा के तीन विश्वविद्यालयों के लिए निरीक्षण समितियों द्वारा सिफारिश किए गए अनुदान इस प्रकार हैं :

(रुपये लाखों में)

क्रम सं०	विश्वविद्यालय का नाम	पांचवीं योजना के दौरान विकास अनुदान			
		प्राथमिकतायें			
		I	II	III	कुल
1.	उत्कल विश्वविद्यालय .	80.67	35.42	31.68	147.77
2.	सम्बलपुर विश्वविद्यालय .	57.88	26.31	18.93	103.12
3.	बरहमपुर विश्वविद्यालय .	57.07	27.41	26.02	110.50

आयोग उड़ीसा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को कोई विकास अनुदान स्वीकृत नहीं करता है । इसे अनुदान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा दिए जाते हैं ।

1976 और 1977 के दौरान (21-11-1977 तक), आयोग ने उड़ीसा के कालेजों को निम्नलिखित विकास अनुदान स्वीकृत किए :—

(रुपये लाखों में)

क्रम सं०	विश्वविद्यालय जिनसे कालेज सम्बद्ध हैं	कालेजों की संख्या	स्वीकृत अनुदान की कुल राशि
1.	बरहमपुर विश्वविद्यालय . . .	5	8.12
2.	सम्बलपुर विश्वविद्यालय .	12	18.16
3.	उत्कल विश्वविद्यालय	19	30.00

इसके अतिरिक्त, आयोग ने पुस्तक-बैंकों की स्थापना की योजना हेतु उड़ीसा के 79 कालेजों को 6,000 रुपये से लेकर 16,875 रुपये तक के अनुदान स्वीकृत किए हैं ।

Autonomous College in Bihar

1568. **Dr. Ramji Singh :** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) the names of the colleges selected in Bihar under the Scheme of U.G.C. for autonomous colleges ;

(b) whether it is also under consideration to affiliate these colleges to the Jawaharlal Nehru University ; and

(c) the place of Tej Narayan Baneli College of Bhagalpur University among such proposed autonomous colleges, and the time by which this college would be made an autonomous college?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder) : (a) The Ranchi University has conferred autonomous status on the Birla Institute of Technology, Mesra.

(b) Under the scheme of autonomous colleges, it is the University concerned that has to grant the autonomous status to a college. Even after acquiring the autonomous status, the colleges remain affiliated to their parent Universities.

(c) According to the information furnished by University Grants Commission, the Bhagalpur University has accepted in principle the proposal to confer autonomous status to the T.N.B. College, Bhagalpur. However, in order to confer this status, the University Act has to be amended and the matter has to be considered by the Government of Bihar.

आवास तथा नगरीय विकास निगम को विश्व बैंक से वित्तीय सहायता

1569. **श्री के० मालन्ना :** क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने "साइट्स एंड सर्विसेज" परियोजनाओं के लिए आवास तथा नगरीय विकास निगम को वित्तीय सहायता देने का निर्णय किया है और

(ख) यदि हां, तो किन शर्तों पर ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

केरल में स्पोर्टस होस्टलों के लिए वित्तीय सहायता

1570. **श्री वयालार रवि :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने अपने राज्य के सभी जिलों में स्पोर्टस होस्टलों के बनाने के लिए वित्तीय सहायता का अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है और उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली विश्वविद्यालय के प्री-मेडिकल पाठ्यक्रम में दाखिल किए गए अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के छात्र

1572. **श्री मोहम्मद शफी कुरेशी** : क्या शिक्षा समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विश्वविद्यालय के प्री-मेडिकल पाठ्क्रम के लिए विभिन्न कालजो मे कुल कितने छात्रों को दाखिला दिया गया;

(ख) इन पाठ्यक्रमों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कितने छात्रों को दाखिला दिया गया;

(ग) क्या कालेजो के प्रिन्सिपलो को स्व-विवेक से कुछ छात्र दाखिल करने का कोई कोटा दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस कोटे के किस प्रकार उपयोग किया गया है और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के ऐसे कितने छात्र है जिन्हे इस प्रकार स्व-विवेक से दाखिल करने के कोटे के अन्तर्गत लिया गया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) इस वर्ष के दौरान दिल्ली विश्वविद्यालय के विभिन्न कालेजो में मैडिकल वर्ग पाठ्यक्रमों (प्री-मेडिकल) में दाखिल किए गए छात्रों की कुल संख्या 1310 है।

(ख) सभी 42 छात्रों को, जिन्होंने इन पाठ्यक्रमों के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया था, विभिन्न कालेजों में दटखिला दे दिया गया था।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह में लोक निर्माण विभाग का डिवीजन

1573. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ राज्य क्षेत्र अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह में लोक निर्माण विभाग के डिवीजन की कमी है ;

(ख) क्या सरकार को अण्डमान और निकोबार प्रशासन से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिसमें इस विभाग के सुचारु रूप से कार्यकरण के लिए अधिक डिवीजनों की मांग की गई है ;

(ग) यदि हो, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो दूसरे क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) तथा (ख) : अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के लोक निर्माण विभाग की मौजूदा क्षमता को बढ़ाने के लिए उनमे से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था, जिसपर विचार किया गया था किन्तु उसे स्वीकार नहीं किया गया। अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन ने अपने प्रस्ताव के समर्थन में पुन: औचित्य प्रस्तुत किया है ।

(ग) तथा (घ) : कोई अन्तिम निर्णय अभी तक नहीं लिया गया है ।

मध्य प्रदेश में थाइलेरियासिस और एनापलेज मोसिस टीके का उत्पादन

1574. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी विदेशी पशु को संकर नस्ल का विकास करने के उद्देश्य से देश में थाई लेरियासिस और एनापलेजमोसिस के टीके का उत्पादन करने के लिए एक केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को मध्य प्रदेश सरकार से ऐसा केन्द्र स्थापित करने के बारे में एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता ।

Central Grant for Reclamation of Ravine-Infested Areas of M.P.

1575. **Shri Hukam Chand Kachwai**: Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether the Central Government have received any proposal from the Madhya Pradesh Government for the grant of financial assistance for converting the ravine-infested area of the State into cultivable land; and

(b) the details of the future plan, policy and financial assistance proposed to be given by Government in 1977-78 for the purpose ?

The Minister for Agricutlture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala): (a) Yes Sir. A proposal for Rs. 80.00 lakhs for treating 1958 hectares, including 609 hectares for reclamation for agricultural purposes, during the Fifth Five Year Plan period has been received from the Government of Madhya Pradesh under Central Sector Scheme of pilot project for protection of table lands and stabilisation of ravinous areas.

(b) Details of the future plan, policy and financial assistance are under consideration of the Government for formulation of the next Five Year Plan. For 1977-78 approval has been accorded to the Government of Madhya Pradesh for treating 1165 hectares, including reclamation of 275 hectares for agricultural purposes at an expenditure of Rs. 26.25 lakhs on the basis of 100% central assistance. Earlier, Rs. 34.80 lakhs were released to Madhya Pradesh in the first three years of the Fifth Plan, making a total of Rs. 61.05 lakhs.

केन्द्रीय मत्स्य पालन निगम

1576. **श्री वसन्त साठे** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 4 नवम्बर, 1977 के टाइम्स आफ इंडिया में "फ्यूचर आफ सेन्ट्रल फिशरीज कारपोरेशन अनसरटेन" शीर्षक के समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन में की गई विभिन्न टिप्पणियों के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है । किये जाने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां ।

(ख) निगम के कार्यों का पुनरीक्षण करने के लिए स्थापित की गई समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि कलकत्ता की मंडी में मछलियों के 160 मीटरी टन प्रतिदिन के अनुमानित उत्पादन की तुलना में निगम द्वारा खरीदी गई 5 या 6 मीटरी टन मछली की अल्प मात्रा का जनता को मंडी से उपलब्ध होने वाली मछली के मूल्य अथवा उसकी मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा । केन्द्रीय सरकार से वित्तीय तथा दूसरी सहायता के बावजूद भी निगम उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल रहा है जिसके लिए वह स्थापित किया गया था, और कलकत्ता के बजार में मछली की नियमित रुप से सप्लाई करने तथा उसका उचित मूल्य बनाए रखने की प्राथमिक जिम्मेदारी भी पश्चिम बंगाल राज्य सरकार की है। अतः समिति का विचार था कि निगम राज्य सरकार को अंतरित कर दिया जाना चाहिए । चुंकि समिति को विश्वास हो गया था कि निगम वर्तमान परिस्थितियों में आर्थिक रुप से सक्षम साबित नहीं होगा, अतः उसने सिफारिश की कि निगम के भविष्य के संबंध में निर्णय लिए जाने तक उनके न्यूनतम स्टाफ को वेतन देने के सिवाय निगम को कोई अतिरिक्त वित्तीय स्वीकृति न दी जाए । निगम को आदेश जारी किए गए हैं कि वह कोई नया वित्तीय करार न करें । पश्चिम बंगाल सरकार से निगम को अपने अधिकार में ले लेने के लिए अनुरोध किया गया है । राज्य सरकार के निर्णय की अभी प्रतीक्षा है ।

केंद्रीय विश्वविद्यालयों के उप-कुलपतियों के विरुद्ध शिकायत

1577 : **श्री बापूसाहेब परुलकर** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार के नियन्त्रणाधीन विश्वविद्यालयों के नाम क्या-क्या हैं ;

(ख) उन विश्वविद्यालयों के उप-कुलपतियों के नाम क्या-क्या हैं ;

(ग) क्या किसी विश्वविद्यालय के छात्रसंघ की ओर से कुलपति को वहां के उप-कुलपति के के विरुद्ध कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(घ) ऐसे उप-कुलपतियों के नाम क्या और उनके विरुद्ध किस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं ; और

(ङ) क्या इस बारे में कोई कार्यवाही की गई है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख) केन्द्रीय विश्वविद्यालय सात हैं; अर्थात् (1) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, (2) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, (3) दिल्ली विश्वविद्यालय, (4) हैदराबाद विश्वविद्यालय, (5) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, (6) उत्तर पूर्वी पर्वतीय विश्वविद्यालय और (7) विश्व भारती । ये विश्वविद्यालय अपने अपने संस्थापन अधिनियमों के अनुसार शासित हैं और केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण में नहीं हैं ।

ऊपर बताए गए विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के नाम क्रमश: प्रो० ए० एम० खुसरो, डा० एम० एल० धर (छुट्टी पर), प्रो० आर० सी० मेहरोत्रा, प्रो० गुरबख्श सिंह, डा० बी० डी० नागचौधरी, डा० सी० डी० देवानेसन और डा० एस० सी० सिन्हा है ।

(ग) से (ङ) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कुलाधिपतियों से पूछताछ की गई थी । जब कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुलाधिपति ने, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ की ओर से उन्हें मिली शिकायत जिसमें अन्य बातों के साथ साथ विश्वविद्यालय के कुलपति के आचरण के विरुद्ध आरोप लगाए गए हैं, इस मंत्रालय को भेज दी है, अन्य कुलाधिपतियों से उत्तरों की प्रतीक्षा की जा रही है । उन्होंने अपनी ओर से अब तक सरकार को ऐसी कोई शिकायत नहीं भेजी है ।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ द्वारा की गई शिकायत की जांच की जा रही है ।

विज्ञान प्रतिभा खोज परीक्षा

1578. **श्री उग्रसेन** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा 1975, 1976 और 1977 में ली गई विज्ञान प्रतिभा खोज परीक्षाओं में बैठने वाले छात्रों की राज्य-वार संख्या क्या है ; और

(ख) 1975, 1976 और 1977 में राज्यवार, कितने छात्र छात्रवृत्ति पाने के लिये उपरोक्त परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुए ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख) 1975, 1976 और 1977 के वर्षों के दौरान परीक्षा में सम्मिलित छात्रों तथा छात्रवृत्तियों के लिए चुने गए छात्रों की राज्यवार संख्या बताने वाला एक विवरण संलग्न है । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०—11/56/77 ।]**

गोआ के छात्रों को कृषि में प्रशिक्षण सुविधायें

1579. **श्री एडुआर्डो फैलीरो** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोआ के छात्रों को पड़ोसी राज्यों के कृषि कालेजों में प्रशिक्षण देने के लिए क्या प्रबंध किये गये हैं ;

(ख) अब तक कितने छात्रों ने इस सुविधा का लाभ उठाया है, उनके वर्ष-वार एवं कालेज-वार आंकड़े क्या हैं ; और

(ग) गोआ के छात्रों को कृषि में और अधिक प्रशिक्षण सुविधायें देने के लिए सरकार का और क्या उपाय करने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् गोवा सरकार के अनुरोध पर गोवा सरकार द्वारा नामांकित उम्मीदवारों को विभिन्न महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों में कृषि के विभिन्न कार्यक्रमों में प्रवेश दिलाने की व्यवस्था कर रही है ।

(ख) पिछले तीन वर्षों के उपलब्ध आंकड़े निम्न प्रकार से हैं :—

क्रम सं०	महाविद्यालय का नाम	पाठ्यक्रम	आरक्षित स्थानों की संख्या
	1975		
1.	बम्बई पशुचिकित्सा महाविद्यालय, बम्बई	बी० वी० एस सी०	6
2.	पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना	बी० एससी० (गृह विज्ञान)	1
3.	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय बंगलौर .	बी० एससी. (कृषि)	1
	1976		
4.	कृषि विज्ञान महाविद्यालय, बंगलौर	बी० एससी० (कृषि)	5
5.	पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना .	बी० वी० एससी०	4
	1977		
6.	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बंगलौर .	बी० एससी० (पशु विज्ञान)	4
7.	बम्बई पशुचिकित्सा महाविद्यालय, बम्बई	बी० वी० एससी०	3
8.	पंजाबराव कृषि विद्यापीठ (नागपुर पशु-चिकित्सा महाविद्यालय) .	बी० वी० एससी०	3
9.	पशुचिकित्सा महाविद्यालय, मथुरा .	बी० वी० एससी.	4

(ग) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् कृषि विश्वविद्यालयों में परिषद् के लिये उपलब्ध कोटे के द्वारा विभिन्न कृषि कार्यक्रमों में प्रवेश की राज्य की वर्तमान आवश्यकता को पूर्ण रूप से पूरा कर सकता है ।

मारुति सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा पोलिमर कम्पाउंड की सप्लाई

1580. **श्री जोतिर्मय बसु** : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि संजय गांधी की मारुति सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दिल्ली नगर निगम तथा दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान को सप्लाई किये गये 21.14 लाख रुपये के पोलिमर कम्पांउड (क्लिक पोलिमर पोलिमिक्स) का यदि उपयोग किया जाये तो उससे मानव शरीर पर फोड़े-फुन्सियां हो जाती हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि कलकत्ता निगम के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी ने इसका प्रयोग करने से उस समय इनकार कर दिया जब श्री संजय गांधी द्वारा पश्चिम बंगाल के तत्कालीन नगर पालिका मन्त्री के माध्यम से दबाव डाला गया था ; और

(ग) यदि हां, तो इस हानिकारक वस्तु को सार्वजनिक उपयोग के लिये बेचने के लिये सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) दिल्ली जल पूर्ति तथा मल-व्ययन संस्थान में ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) कलकत्ता निगम ने इसका प्रयोग नहीं किया क्योंकि यौगिक के रासायनिक संघटन के ब्यौरे उपलब्ध न होने के कारण प्रयोग किए जाने से पहले यौगिक के उपयुक्त विश्लेषण की व्यवस्था नहीं की जा सकी ।

(ग) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा इस मामले की जांच की जा रही है तथा कुछ मामले दर्ज किए गए हैं और न्यायालय के अधीन हैं ।

केरल में खेलकूद स्कूल

1581. **श्री वी० एम० सुधीरन** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य में कुछ खेलकूद स्कूलों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि, हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) केन्द्रीय सरकार के पास इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नही है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

प्रकृति के कार्यों में हस्तक्षेप करना

1582. **श्री भगतराम** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में प्रकृति के कार्यों में हस्तक्षेप करने के विरुद्ध जागृति के बावजूद वातावरण को स्वच्छ बनाये रखने के कार्य की ओर समुचित ध्यान नहीं दिया जा रहा है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि पश्चिमी घाटों में बनों का तेजी से विनाश हो रहा है और पहले ही कुछ पहाड़ियों की हरियाली को इतना नष्ट कर दिया गया है कि फिर से हरा-भरा बनाने के लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला): (क) सरकार प्रकृति के कार्यों में हस्तक्षेप करने के जोखिमों से पूरी तरह परिचित है और इस दिशा में अधिक से अधिक ध्यान दे रही है। भारत सरकार के अधीन पर्यावरण आयोजना तथा समन्वय के लिये एक राष्ट्रीय परिषद् है। लगभग 10 राज्यों ने राज्य पर्यावरण बोर्ड गठित किए हैं। उत्तर प्रदेश में पर्यावरण आयोजना तथा पारिस्थितिकी विभाग भी खोला गया है, जिसका मुख्यालय लखनऊ में है।

यद्यपि सरकार इस दिशा में अधिक से अधिक ध्यान दे रही है, किन्तु मुख्य समस्या मनुष्यों तथा पशुओं की आबादी के बढ़ने से निर्वनीकरण की है, जिसके फलस्वरूप वनस्पति को अनियंत्रित रूप से समाप्त किया जा रहा है और खेती के लिए अनुपयुक्त तथा ढालू भूमि को तोड़ा जा रहा है। सारे देश में केन्द्रीय तथा राज्य क्षेत्र, दोनों में बड़े पैमाने पर रोपण के कार्यकलाप तथा मृदा संरक्षण कार्यक्रम किए गए हैं। छठी योजनावधि में इस कार्यक्रम को तेज किया जायेगा।

(ख) जहां तक पश्चिमी घाटों का संबंध है, इसमें चार राज्य शामिल हैं। गोवा में पश्चिमी घाट परियोजना के तहत वानिकी क्षेत्र के अन्तर्गत दो योजनायें अर्थात् वन क्षेत्र में संचार तथा मृदा और जल संरक्षण, हाथ में ली गई हैं। प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा के लिये पूरी सावधानी बरती जाती है और जहां तक इस क्षेत्र का संबंध है, कोई शिकायतें नहीं आई हैं। कर्नाटक के मामले में किसी भूमि के वृक्षों की कटाई वृक्षारोपण अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार नियंत्रित होती है। वन विभाग के अंतर्गत क्षेत्रों में वृक्षों की कटाई वन विज्ञान के ठोस सिद्धांतों द्वारा नियंत्रित होती है। वन विभाग इस क्षेत्र में खनन के पट्टों की अब कोई मंजूरी नहीं दे रहा है। जहां कहीं भी कोई राष्ट्रीय परियोजना शुरू करने के लिये सार्वजनिक हित में वनों की कटाई करनी पड़ती है, वहां क्षतिपूरक रोपण किए जा रहे हैं। केरल में वर्तमान स्थिति यह है कि समस्त अतिक्रमणों की रोकथाम करने के लिए सख्त उपाय किए गए हैं।

महाराष्ट्र के मामले में अत्यधिक ढालू पहाड़ियों पर वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं है। जिन क्षेत्रों का जैविक व्यवधानों के कारण निर्बलीकरण हो गया है, उनका रोपण की एक विशेष योजना के अंतर्गत सुधार किया जा रहा है। ऐसे इलाकों में 1976-77 तक 123534 हैक्टार क्षेत्र में रोपण किया गया और 1977-78 में 8791 हैक्टार क्षेत्रका वार्षिक लक्ष्य है। उचित सीमा तक चराई की अनुमति दी जाती है।

(ग) उपर्युक्त की दृष्टि में प्रश्न ही नहीं होता।

मीसा बन्दियों के बच्चों को शिक्षा सुविधाएं

1583. **श्री एस० एस० सोमानी** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपातस्थिति के दौरान 6 मास अथवा अधिक अवधि के लिए बंदी बनाये गए मीसा बंदियों को प्रवेश, फीस रियायत आदि जैसा शिक्षा सुविधाएं देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

नशीले पेयों क खतरे के बार में सांविधिक चेतावनी

1584. **श्री जो० वाई० कृष्णन** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार का विचार नशीले पेयों के खतरे के बारे में लोगों को चेतावनी देने का है, जैसे कि सिगरेट के पैकेटों की तरह सांविधिक चेतावनी दी जाती है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। नशीले पेय एक राज्य विषय है और इसलिए यह एक ऐसा मामला है जो राज्य विधायिका के कार्यक्षेत्र में आता है।

"77" पेय के परीक्षण और इसे बनाने वाली एजेंसी

1585. **डा० वसंत कुमार पंडित :**
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :

क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नये पेय "सतत्तर" के बारे में सरकार ने क्या-क्या परीक्षण किए हैं; और

(ख) यह पेय किस एजेंसी के माध्यम से बनाया और बेचा जायेगा तथा इस पेय के वितरक एजेंटों के लिए क्या शर्तें हैं?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) केंद्रीय खाद्य औद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, मैसूर, जिसने इस मिश्रण को तैयार किया है, ने इसे बेचने योग्य उत्पाद बनाने के लिए विभिन्न आवश्यक परीक्षण किए थे। मार्डन बेकरीज ने हाल ही में मद्रास/बम्बई/दिल्ली में उत्पाद परीक्षण किया है और दिल्ली में हो रहे एग्रो एक्सपो मेले में इस पेय की परीक्षण के तौर पर बिक्री की जा रही है।

(ख) केन्द्रीय खाद्य औद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, मैसूर आरम्भ में मार्डन बेकरीज़ (इंडिया) लिमिटेड की ओर से यह मिश्रण तैयार करेगा। कम्पनी देश भर के 'बाटलर्स' को केवल मिश्रण सप्लाई करेगी जो पेय को बाजार में बेचेंगे। पेय के वितरण की जिम्मेदारी 'बाटलर्स' की होगी जिनका अपने क्षेत्रों में वितरण करने का अपना निजी सामान्य मध्यम है।

Expenditure Incurred for Decorating Government Buildings

1586. **Shri Hukmdeo Narain Yadav :** Will the Minister of **Works & Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to state whether any economy has been effected in the expenditure incurred for decorating Government buildings ?

The Minister of Works & Housing & Supply and Rehabilition (Shri Sikander Bakht) : This year, so far, no expenditure has been incurred on decorating Government buildings.

दिल्ली में अर्जित भूमि पर मुआवजे का भुगतान

1587. **श्री कंवर लाल गुप्त :** क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली नगर निगम, दिल्ली विकास प्राधिकरण और दिल्ली प्रशासन ने दावेदारों तथा अन्य व्यक्तियों को, जिन की भूमि अर्जित की गई थी, मुआवजा नहीं दिया था;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार अर्जित की गई भूमि का ब्यौरा क्या है और कितने व्यक्ति इस भूमि के मालिक थे और उन्हें तत्कालीन सरकार द्वारा कुल कितना मुआवजा दिया जाना था; और

(ग) मुआवजा न देने के क्या कारण हैं और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क), (ख) तथा (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा लोक सभा पटल पर रख दी जाएगी।

"पानीपत ब्लैंकेट यूनिट्स" शीर्षक समाचार

1588. **श्रीमती पार्वती कृष्णन् :** क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 12 सितम्बर, 1977 के 'पेट्रियट' में पानीपत कम्बल एककों में संकट के बारे में छपे समाचार की ओर दिलाया गया ; और

(ख) यदि हां, तो समस्या को हल करने के लिये क्या उपाय किये गये ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास राज्य मंत्री (श्री राम किंकर) : (क) जी, हाँ। सरकार ने 12 सितम्बर, 1977 के 'पेट्रियट' में प्रकाशित समाचार को देखा है।

(ख) उस समाचार में केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार दोनो से संबंधित विषयों को उठाया गया है । केन्द्रीय सरकार से संबंधित विषयों के बारे में स्थिति इस प्रकार से है :—

(I) पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय के ठेके

पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय द्वारा माल को रद्द किये जाने से संबंधित विवाद सुलझ गया है क्योंकि वस्त्र और कपड़े के मुख्य निरीक्षक कानपुर, ने उस माल का निरीक्षण करने के बाद यह प्रमाणित किया था कि उसे स्वीकृत किया जा सकता है । परेषिती द्वारा जब तक माल मंजूर नहीं किया जाता तब तक पूर्तिकर्ता ने आगे माल का प्रस्ताव करना रोक दिया और इसलिये पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय द्वारा माल के निरीक्षण करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(II) ई० एस० आई० कार्यालय

पानीपत के ई०एस०आई० के स्थानीय कार्यालय को मंजूरी दे दी गई है । जब पानीपत के इस कार्यालय में कार्य शुरू हो जायेगा तो इससे कर्मचारियों की कठिनाइयां दूर हो जायेंगी ।

2. उक्त समाचार में उठाय गए अन्य विवादों से हरियाणा राज्य सरकार संबंधित है । उस राज्य सरकार से मांगी गई सूचना प्राप्त होते ही सदन के सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

Ministers in Occupation of Accommodation below their Entitlement

1589. **Shri Raghavji :** Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the Ministers not allotted residential accommodation of their entitlement as on 30th October, 1977 and the reasons therefor ;

(b) the names of former Ministers who had not vacated the Government accommodation as on 30th October, 1977 and the action taken against each of them for not vacating the accommodation; and

(c) the amount of arrears on account of rent against each of the former Ministers who have not vacated the accommodation ; the monthly rent in respect of each home and the action being taken against them to recover the rent ?

The Minister of Works & Housing & Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht) : (a) As on 30th October, 1977, three Ministers of State, namely, Shri Arif Beg, Shri Larang Sai, Shri D. L. Mandal, could not be allotted suitable houses mainly because of non-vacation of bungalows by former Ministers.

(b) No former Minister, who is not a Member of either House of Parliament, was occupying Government accommodation as on 30th October, 1977. The names of former Ministers continuing as M.Ps, who were required to vacate Ministers' bungalows and shift to type VI/VII accommodation, are given in Annexure I, Show-cause notices under the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 have been issued to 3 former Ministers as shown in that Annexure. Further action under the above Act against the remaining 6 former Ministers is also under consideration.

(c) The arrears of rent against each of the 9 former Ministers, who were asked to vacate their present accommodation, is indicated in Annexure II.

[Placed in Library. See No. L-T—1187/77.]

जमा भण्डार के लाने-ले जाने की लागत और प्रासंगिक व्यय में कमी करने संबंधी समिति का गठन

1590. **श्री प्रसन्न भाई मेहता** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारतीय खाद्य निगम की संचालन लागत में कमी करने के प्रश्न पर विचार कर रही है;

(ख) क्या जमा भण्डार को लाने-ले जाने की लागत में कमी करने तथा प्रासंगिक व्यय में कटौती करने के मार्गोपायों का पता लगाने के लिये एक समिति बनाई गई है;

(ग) यदि हां, तो क्या समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) जी नहीं, अभी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

Official Language Implementation Committee

1591. **Shri Ram Naresh Kushwaha** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) the number of Official Language Implementation Committees in his Ministry and the attached offices and constitution and objective thereof;

(b) whether regular quarterly meetings of the committee are not being held in Food Department, Irrigation Department and Central Water Commission and their past recommendations have not been fully implemented; and

(c) details of the arrangements being made for holding regular meetings of the Official Language Committee and implementing their recommendations?

The Minister for Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala) : (a) The list of Official Language Implementation Committees in the Ministry and its attached offices is shown at Annexure I and their constitution and objectives are described at Annexure II.

(b) The meetings of the Official Language Implementation Committee in the Department of Food have not been held every quarter, but from time to time to facilitate review of the progress made in the use of Hindi for official purposes. All the decisions of the Committee have also been implemented. As regards the meetings of Official Language Implementation Committees in the Department of Irrigation and Central Water Commission, these are held regularly and all efforts are being made to implement their decisions.

(c) Although meetings of the Official Language Implementation Committee in Department of Food are not being held regularly, yet efforts are being made to hold these meetings regularly. However, follow up action is taken on the decisions taken at in these meetings.

[Placed in Library. See No. L-T—1188/77.]

केरल के लिए बृहत आवास योजना

1592. **श्री बी० के०नायर** : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल सरकार से समूचे राज्य को एक बृहत आवास योजना के अन्तर्गत लाने के लिए कोई प्रस्ताव मिला है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) तथा (ख):केरल सरकार ने गरीब ग्रामीणों के लिए आवास बनाने के लिए नगर विकास निगम से ऋण सहायता का अनुरोध किया था। राज्य सरकार को सूचित कर दिया गया है कि आवास तथा नगर विकास निगम ने हाल ही में ग्रामीण आवास के क्षेत्र में पदार्पण किया है और सभी राज्य सरकारों/अभिकरणों को इस योजना के बारे में बतला दिया गया है जिसके अन्तर्गत वे अपने ग्रामीण आवास कार्यक्रम के लिए आवास तथा नगर विकास निगम से स्वयं ऋण सहायता ले सकते हैं।

आपात स्थिति के दौरान विदेश मन्त्रालय के कर्मचारियों की बारी से पहले आवासों का आबंटन

1593. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा** : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या विदेश मन्त्रालय के कुछ वरिष्ठ अधिकारीयों को जिन के दिल्ली में अपने निजी मकान हैं, आपात स्थिति के दौरान , उस समय लागू नियमों का उल्लंघन करके आवासों का आबंटन किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो उन अधिकारियों के पदनाम क्या हैं और नियमों में छूट देने के क्या कारण थे ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Irrigation Projects Under Construction

†1594. **Shri Phool Chand Verma** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) the number of irrigation projects still under construction in the country;

(b) when these projects commenced and when these were scheduled to be completed; and

(c) the time by which these projects are likely to be completed?

The Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala) : (a) to (c) : At the commencement of the Fifth Plan in 1974, 75 major and 155 medium irrigation schemes spilled over from the earlier plan. Of these, 16 major and 90 medium irrigation schemes will be substantially completed by the end of the current financial year. Thus, 59 major and 65 medium schemes

are likely to spill over to the next five Year Plan commencing April, 1978. It is envisaged that most of the major and medium schemes will be completed during the next Plan subject to availability of necessary funds. The schedule of completion of these projects has to be frequently changed due to increase in project costs, change of scope, inadequacy of funding and other factors.

During the Fifth Five Year Plan, 36 major and 210 medium irrigation schemes have been cleared for implementation upto September 1977. These projects are in preliminary stages and it is too early to predict when these will be completed.

नयी शिक्षा पद्धति के बारे में ईश्वर भाई पटेल समिति

1595. **श्री पी० जी० मावलंकर**

श्री हितेन्द्र देसाई :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री उच्चतर माध्यमिक शिक्षा पद्धति में अन्य परिवर्तन के बारे में 14 नवम्बर, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 146 के उत्तर के सबध में यह बताने की कृपा करेंगे कि ईश्वर भाई पटेल समिति का प्रतिवेदन जनसाधारण को कब तक उपलब्ध कर दिया जायेगा ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : डा० ईश्वरभाई पटेल समिति ने 21 नवम्बर, 1977 को अपराह्न में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। सरकार द्वारा इस समय प्रतिवेदन का अध्ययन किया जा रहा है। तथापि, प्रतिवेदन की प्रतियां संसद पुस्तकालय में रख दी गई हैं।

पूर्वी तथा पश्चिमी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों पर व्यय की गई राशि

1596. **श्री चित बसु** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1948 से 1952 तक की अवधि में पूर्वी तथा पश्चिमी पाकिस्तान से कितने विस्थापित व्यक्ति भारत आए ; और

(ख) पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान से आएं विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास पर अलग-अलग कुल कितनी राशि व्यय की गई ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास राज्य मंत्री (श्री राम किंकर) : (क) दिसम्बर, 1952 तक की अवधि के दौरान भारत में आए विस्थापित व्यक्तियों की संख्या नीचे दी गई है :—

पश्चिमी पाकिस्तान	पूर्वी पाकिस्तान
49.05 लाख	30.91 लाख

(ख) 1952-53 तक पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान से आए विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास पर क्रमश: 125.65 करोड़ रुपए और 47.23 करोड़ रुपए व्यय किए गए थे। तथापि, पश्चिमी पाकिस्तान से आए विस्थापित व्यक्तियों पर 31-3-77 तक किया गया कुल व्यय 210.24 करोड़ रुपए था। पूर्वी पाकिस्तान से आए पुराने प्रवासियों (मार्च, 1958 तक आए कुल 41.17 लाख व्यक्ति) पर 31-3-77 तक किया गया कुल व्यय लगभग 296 करोड़ रुपए था।

Payment to Employees of Central State Farm, Suratgarh (Rajasthan)

1597. **Shri Yuvraj:** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) whether the labourers and employees of Central State Farm Suratgarh, Rajasthan are not paid their salaries for a period as long as three months; and

(b) if so, whether Government propose to make arrangements to ensure the payment of salaries every month and bonus in time?

The Minister for Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

खाद्यान्नों की प्रति व्यक्ति खपत

1598. **श्री एस० आर० रेड्डी :**
श्री यशवन्त बोरोले :

क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान डा० एम० एस० स्वामीनाथन द्वारा व्यक्त इस विचार की ओर दिलाया गया है कि देश की वर्तमान खाद्य स्थिति अच्छी होना खाद्यान्नों की कम खपत के कारण है;

(ख) देश में इस समय खाद्यान्नों की प्रति व्यक्ति औसत खपत कितनी है; और

(ग) क्या खाद्यान्नों के 2 करोड़ टन के सुरक्षित भण्डार को देखते हुए खाद्यान्नों पर से राशन हटाने तथा उन्हें खुले बाजार में उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) जी हां।

(ख) खाद्यान्नों की प्रति व्यक्ति खपत का हिसाब लगाना व्यवहार्य नहीं है। तथापि, प्रत्येक वर्ष खाद्यान्नों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता के आंकड़ें उपलब्ध हैं। प्रति व्यक्ति उपलब्धता के अद्यतन आंकड़े 1976 के लिए उपलब्ध हैं। इस वर्ष प्रति व्यक्ति उपलब्धता 166.7 किलो ग्राम थी।

(ग) बृहत्तर कलकत्ता और दुर्गापुर आसनसोल औद्योगिक कम्पलेक्स जहां पश्चिमी बंगाल की सरकार के अनुरोध पर सांविधिक राशन-व्यवस्था जारी रखी जा रही है, को छोड़कर देश के अन्य भागों में राशन-व्यवस्था नहीं है। चल रही प्रणाली केवल उचित मूल्य की दुकाने है जोकि मूल्यों को बढ़ने से रोकने के लिए एक उपयोगी साधन के रूप में कार्य करती है।

Selection Grade for Delhi School Teachers

†1599. **Shri Shiv Narain Sarsonia:** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state:

(a) whether Selection grades to the Delhi School teachers were to be given with effect from 5th September, 1971;

(b) whether no decision has so far been taken in regard to the Selection grades to teachers;

(c) whether the attention of the Director of Education has been drawn to this through written letters and if so; the reasons for delay, and

(d) the time by which a decision would be taken in regard to the Selection grade to all the teachers?

The Minister of State in the Ministry of Education, Social Welfare and Culture (Smt. Renuka Devi Barkataki): (a) Yes, Sir.

(b), (c) & (d): The fact that some eligible teachers working in the Delhi Education Directorate have not yet been granted the selection grades has been acknowledged by the Delhi Administration. Acording to information received from the Delhi Administration selection grades have not been granted in a few cases because of certain administrative difficulties like non-finalisation of seniority lists court ruling about the criteria for fixation of seniority of certain categories of teachers against which the Administration has filed an appeal, etc. The Delhi Administration is being advised to vigorously pursue action on finalisation of seniority lists of concerned teachers.

Dharna and Hunger Strike in front of the Office of Slum Commissioner

1600. **Shri Yadvendra Dutta:** Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) the number of persons who have given notice to the Government of their intention to stage a 'Dharna' and hunger strike in front of the office of Slums Commissioner (Ambedkar Road) in protest against the irregularities committed in allotment of houses in September 1976 to 7523 residents of Ketara Karim Khan Paharganj, Delhi;

(b) the main problems of these people and Government's reaction in regard to the irregularities committed in the allotment and in dealing with the 'Dharna' as also the measures taken to avert 'dharna' and hunger strike; and

(c) the date and time of the commencement of the 'dharna' and hunger strike?

The Minister of Works & Housing & Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht): (a) Only one person has given such a notice to the Delhi Development Authority.

(b) & (c): The person concerned has requested for allotment of a tenement in his name, with a threat of indefinite dharna and hunger strike from 9-00 A.M. on 20-12-1977. He is a member of a family consisting of nine members, which has already been allotted two tenements and he is not entitled to allotment of a tenement in his name. No specific irregularity has been pointed out in the complaint.

पत्राचार पाठ्यक्रमों के माध्यम से खुला विश्वविद्यालय योजना (ओपन यूनिवर्सिटी स्कीम)

1601. **श्री आर० कोलनथाईवेलू** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कालेजों में बहुत अधिक छात्रों की संख्या होने के कारण शिक्षा संबंधी विकास को अधिक सार्थ बनाने के लिये पत्राचार पाठ्यक्रमों के जरिये 'खुला विश्वविद्यालय' योजना विशेष महत्ता रखती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने पत्राचार पाठ्यक्रम पर पुनः विचार किया है जिससे इन्हे अधिक प्रभावी बनाया जा सके;

(ग) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय में बी० काम० (आनर्स) का पत्राचार पाठ्यक्रम अभी तक आरम्भ नहीं किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो कितने पाठ सप्लाई किये जाने का लक्ष्य है और वास्तव में कितने पाठ सप्लाई किए गए और इसके कार्यान्वयन का प्रस्तावित कार्यक्रम क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) सरकार ने पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 'खुला विश्वविद्यालय' योजना के संबंध में और कार्यवाही न करने का निर्णय किया है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) तथा (घ) : दिल्ली विश्वविद्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार, बी०काम० (आनर्स) पत्राचार पाठ्यक्रम आरम्भ करने का निर्णय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अगस्त, 1977 में विश्वविद्यालय को सूचित कर दिया गया था और इसलिए पाठों को तैयार करने का कार्य बाद में आरम्भ किया गया । लगभग 15 पाठ प्राप्त हो गए हैं तथा मुद्रण के लिये सम्पादित किए जा रहे हैं । दिसम्बर, 1977 के प्रथम सप्ताह में इन्हें छात्रों को भेज दिए जाने की संभावना है ।

भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के निदेशक का पद

1602. **श्री दिलीप चक्रवर्ती** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद् सेवा विनियोग के अनुसार निदेशक के पद के लिए क्या अर्हताएं निर्धारित की गयी हैं;

(ख) क्या उक्त पद के लिए कोई अधिकतम आयु सीमा है;

(ग) क्या वर्तमान निदेशक की नियुक्ति के समय इन अर्हताओं को अपनाया गया था; और

(घ) यदि नहीं, तो इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) पद के लिए निर्धारित शैक्षिक अर्हताएं हैं :—

(i) इतिहास अथवा सम्बद्ध विषयों में कम से कम द्वितीय श्रेणी में एम०ए०;

(ii) पी०एच० डी० अथवा समतुल्य स्तर का अनुसंधान प्रकाशन;

(iii) शिक्षण अथवा अनुसंधान मार्गदर्शन का कम से कम 10 वर्ष का अनुभव; और

(iv) उच्च स्तर के प्रकाशित ग्रन्थ ।

(ख) सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित आयु सीमा 45 वर्ष है, जिसमें पदोन्नत व्यक्तियों के मामले में ढील दी जा सकती है ।

(ग) और (घ) : उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्तमान निदेशक पद की निर्धारित शैक्षिक अर्हताएं तो पूरी करते हैं, किन्तु सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित आयु की शर्त पूरी नहीं करते हैं । परिषद् के लिए एक अध्यक्ष नियुक्त करने हेतु कार्रवाई की जा सकती है । इस मामले की जांच करने हेतु उनसे अनुरोध करने का सरकार का प्रस्ताव है ।

कृष्णा नदी के जल को मद्रास लाने के लिए विश्व बैंक से सहायता

1603. **श्री एम० कल्याणसुन्दरम** : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु राज्य सरकार ने कृष्णा नदी के जल को मद्रास लाने हेतु परियोजना को क्रियान्वित करने के लिए विश्व बैंक से सहायता प्राप्त करने के लिए केन्द्र से अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां,तो उसका ब्यौरा क्या है तथा उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) तथा (ख) : कृष्णा नदी के जल को मद्रास में लाने के लिए विश्व बैंक सहायता लेने के लिए तमिलनाडु सरकार से अभी तक कोई विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में रेगिस्तान विकास कार्यक्रम

1604. **श्री राजकेशर सिंह** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अपने रेगिस्तान विकास कार्यक्रम का विस्तार लद्दाख तथा हिमाचल प्रदेश के ठण्डे तथा शुष्क क्षेत्रों में करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम के अन्तर्गत किन योजनाओं के बनाये जाने का प्रस्ताव है ; और

(ग) इस पर कितना व्यय होने की संभावना है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) कार्यक्रम के अधीन योजनाओं के अन्तर्गत मुख्य रूप से वनरोपण, सिंचाई, कृषि तथा पशुपालन क्षेत्र आते हैं ।

(ग) चालु वित्तीय वर्ष के लिए हिमाचल प्रदेश में मरु विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 43.50 लाख रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया गया है । चालू वित्तीय वर्ष के दौरान लद्दाख में कार्यक्रम के अन्तर्गत कुछ व्यय होने की भी संभावना है ।

Grants to Farmers Organisation

1605. **Shri Rameshwar Patidar:**
Shri Subhash Ahuja:

Will the Minister of **Agriculture & Irrigation** be pleased to state:

(a) whether grants have been given to the various farmers' organisations during the last three years; and

(b) if so, the names of these organisations and the amount of grant given to each organisation year-wise?

The Minister for Agriculture & Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala): (a) Yes Sir.

(b)

S. No.	Name of the Organisation	Amount of grant given		
		1974-75	1975-76	1976-77
		Rs.	Rs.	Rs.
1.	Bhartiya Gramin Mahila Sangh.	13,950	—	—
2.	Bharat Krishak Samaj.	8,000	—	7,000
3.	Confederation of agricultural Relief Association.	9,370	13,870	6,220
4.	Rashtriya Kisan Sangthan (National Tonnage Club of Farmers.)	22,570	22,510	10,000
5.	Young Farmers Association of India.	11,370	9,680	7,520

Reasons for no Increase in Support Price of Sugarcane

1606. **Shri Ramanand Tiwary:**
Dr. Laxminarayan Pandeya:

Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) whether there has been no change in support prices of sugarcane for the last several years, through the Agricultural Prices Commission had recommended the increase in its price during the last two years and the support price of other articles has also since been increased; and

(b) if so, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture & Irrigation (Shri Bhanu Pratap Singh): (a) & (b) The support price of sugarcane was fixed at Rs. 8.00 per quintal for the season 1973-74 in pursuance of the recommendation of the Agricultural Prices Commission. For the season 1974-75 this support price was increased to 8.50 per quintal on the basis of the recommendation of the Agricultural Prices Commission and the same has remained unchanged for the following seasons including the current season 1977-78. Although the Agricultural Prices Commission had recommended its enhancement

to Rupees 9.50 per quintal for the seasons 1975-76, 1976-77 and 1977-78, yet the same was kept unchanged after taking into consideration, in depth, all relevant factors having a bearing on the subject including the factors required to be considered under Clause 3 of the Sugar (Control) Order, 1966.

2. In practice, sugarcane growers get a price for sugarcane which is much higher than that fixed under the Sugarcane (Control) Order, 1966. Even under law, sugarcane growers are entitled to 50% share of the excess realisations made by the sugar factories from the sale of non-levy sugar. In the majority of the States, the sugarcane growers get what has come to be known as the "State Advised Prices". As per Cabinet decision taken on 27-10-77, the State Governments will be requested to ensure that actual cane prices in the sugar year 1977-78 are not to be less than in 1976-77. These prices have provided reasonably adequate incentives to the growers which is reflected by the increase in sugarcane acreage and also sugarcane production. Increase in sugarcane production has also been reflected in increased sugar production.

3. There has been marginal increase in the procurement/support prices of foodgrains. Since different principles govern the fixation of support prices for foodgrains and sugarcane, it is not necessary that any enhancement allowed in the case of support price for foodgrains should also get reflected in the enhancement of support price for sugarcane too.

Grant to Gandhi Smriti Samiti

1607. **Shri N. K. Shejwalkar:**
Dr. Laxminarayan Pandeya:

Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether Gandhi Smriti Samiti is given a grant by Government;

(b) if so, the amount thereof and whether Government also make an inspection of the activities of this Samiti from time to time; and

(c) if so, the details of the report thereon?

The Minister of Works & Housing & Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c): A sum of Rs. 12.15 lakhs has been released by the Government as grants to the Gandhi Smriti Samiti from 1972 to October 1977. The Government itself is very closely associated with the Samiti. The main activity is to maintain the place as a memorial.

गुजरात में आदिवासी क्षेत्रों का विकास

1608. **श्री अहमद एम० पटेल :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य में आदिवासी क्षेत्रों के विकास के कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ख) चालू वित्तीय वर्ष में इस कार्य के लिए कितनी धनराशि मंजूर की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) और (ख) कृषि मंत्रालय के पास गुजरात राज्य में आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए कोई कार्यक्रम नहीं है। फिर भी गृह मंत्रालय से, जहां तक उनका संबंध है, उत्तर के लिए सामग्री भेजने हेतु अनुरोध किया गया है। सूचना प्राप्त होते ही लोक सभा पटल पर रख दी जाएगी।

Hostel Facilities for Children of Central Government Employees

+1609. **Shri Ishwar Choudhry :**
Shri D. B. Chandra Gowda :

Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether certain facilities and subsidy for hostels, etc. have been provided by Government for the children of Central Government employees under 10+2 system; and

(b) if so the details in this regard?

The Minister of State in the Ministry of Education, Social Welfare and Culture (Smt. Renuka Devi Barakataki) : (a) & (b) : The Government of India are giving hostel subsidy to Central Government employees. The subsidy covers 10+2 stage of education in states/union territories where this pattern of school education has been implemented and upto higher secondary stage in other states/union territories, where 10+2 pattern has not been implemented. A statement giving details about the subsidy is attached.

STATEMENT

For payment of hostel subsidy the eligibility conditions are as follows:—

(a) ELIGIBILITY :

(i) The Hostel Subsidy shall be payable to all permanent and quasi-permanent Central Government servants and all temporary Government Servants, who have put in not less than one Year's service, belonging to Groups A, B, C and D (without any upper pay limit), who on account of their transfer are obliged to keep their children in the Hostel of a residential school away from the station at which they are posted and/or are residing.

(ii) Where both the Government servant and his wife or her husband are in Government service, the subsidy will be admissible to one of them only.

(iii) The subsidy will be admissible to a Government servant who is on duty, under suspension or on leave, including leave preparatory to retirement. If a Government servant dies, retires, or is discharged during an academic session, the subsidy will be admissible till the end of that academic year. The subsidy will not be admissible where a Government servant is dismissed or removed from service as a disciplinary measure.

(B) CONDITIONS FOR THE GRANT OF SUBSIDY :

(i) The subsidy will be admissible only in respect of the Government servant's legitimate children including step-children and adopted children (where adoption is recognised under the personal law of the Government Servant) who are wholly dependent on the Government servant.

(ii) The subsidy will be admissible for education up to the Higher Secondary stage irrespective of whether the child is studying in a Kendriya Vidyalaya (Central School) or any other recognised school. It will be paid in respect of any student for not more than two academic years in the same class.

(iii) The subsidy will be admissible in respect of not more than three children at a time.

(iv) The subsidy in respect of a child will not be admissible under this scheme if the child is in receipt of any scholarship which also covers hostel expenses. Benefit under the scheme may, however, be given if the scholarship offered to the child is not accepted.

(v) The subsidy will be admissible to State Government servants on deputation with the Central Government.

(vi) The subsidy will *not* be admissible to India based staff serving in Missions abroad who receive educational assistance under the Indian Foreign Service Rules.

(vii) The subsidy will *not* be admissible in respect of children for whom Children's Education Allowance is drawn by their parents under the Ministry of Finance Office Memorandum No. F. 10(1)-Est.(Spl)/60 dated the 30th January 1962 as amended from time to time. The total number of children for whom the subsidy under this scheme and the Children's Educational Allowance are drawn should not exceed four in all.

(C) RATE OF SUBSIDY:

The hostel subsidy will be admissible at a uniform rate of Rs. 60/- p.m. (Rupees Sixty only per month) per child.

शहरी भूमि की अधिकतम सीमा अधिनियम की क्रियान्विति

1610. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम** : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विभिन्न राज्यों में शहरी भूमि की अधिकतम सीमा कानून की क्रियान्विति के कारण कितनी भूमि फालतू घोषित की गयी है और ऐसी भूमि को किस उपयोग में लाया गया है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : यह सूचित किया गया है कि नगर भूमि (अधिकतम सीमा व विनियमन) अधिनियम, 1976 के अधीन राज्य सरकारों के पास निम्नलिखित मात्रा में फालतू खाली भूमि थी :—

1.	गुजरात	23.14 हेक्टयर
2.	महाराष्ट्र	20.89 हेक्टेयर
3.	कर्नाटक	1.31 हेक्टेयर
4.	उत्तर प्रदेश	20.90 हेक्टयर
	कुल	66.24 हेक्टेयर

केन्द्रीय सरकार को इस भूमि के प्रस्तावित उपयोग के बारे में कोई सूचना नहीं है। तथापि, ऐसी भूमि के आबंटन के बारे में सिफारिश करने तथा इसके उपयोग के बारे में सुझाव देने के लिए राज्य सरकारों ने उच्च स्तरीय समितियां बनाई हैं।

Shortage of Pesticides

1611. **Dr. Laxminarayan Pandeya:** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) whether there is shortage of pesticides vis-a-vis the demand therefor in the country;

(b) whether several particular kinds of diseases are fast developing in many crops in different agricultural fields; and

(c) if so the steps taken by Government in this regard?

The Minister for Agriculture & Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala): (a) Yes, Sir. In recent months, temporary shortage of BHC, Carbaryl, DDT and Endosulfan has been experienced. No shortage in regard to other pesticides has been reported.

(b) Yes Sir. During this year, an outbreak of swarming caterpiller and cutworm on paddy crops in Orissa State was reported. The apple scab which was confined to Jammu & Kashmir has also made its appearance in apple growing areas of Himachal Pradesh. Other pests which have appeared are, brown plant hopper and gall midge on paddy; and white grub, which affects crops like jawar, maize, bajra and groundnut.

(c) The following steps have been taken by the Government to meet the situation:—

(i) Indigenous production of BHC has been stepped up.

(ii) Import of DDT is being arranged through State Trading Corporation.

(iii) DGTD has been requested to import Endosulfan.

(iv) Locally produced Carbaryl is likely to be available soon.

(v) Steps have also been taken by Government to remove difficulties being faced by the industry with regard to supply of raw materials and power and it is expected that the production of pesticides in general will improve.

(vi) For control of swarming caterpillar and cut worm on paddy in Orissa, the basic manufacturers of BHC were asked to make available the required quantity to Orissa Government. Stocks of BHC available with the Directorate of Plant Protection Quarantine and Storage have also been offered to the State Government. A team of Central Government officials had been deputed to Orissa to assist the State Government. Aerial and ground spraying operations in affected areas were undertaken.

For apple scab, the concerned State have been advised suitably to take control measures.

For the control of five pests of national importance like, brown plant hopper, white grub, apple scab, jowar midge and rodents, Government of India is assisting the states through a Centrally Sponsored Scheme by way of granting subsidy on pesticides as well as on operational charges, to the extent of 50% of the cost of pesticides and Rs. 3/- per acre towards ground spraying operational charges respectively.

Reservation of Posts in Central Government Offices for Handicapped Persons

1612. **Shri Y. P. Shastri :** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) the number of blind, deaf and otherwise handicapped persons given employment separately, as on 2nd October, 1977 in different Central Government Offices following the announcement made by Government during the last Session of Parliament that three per cent of the Central vacancies shall be reserved for blind, deaf and other handicapped persons; and

(b) whether the Central Government have issued instructions to States to the effect that they should also make similar reservations for blind, deaf and other handicapped persons and if so, the States which have announced 3 per cent reservations in State posts for these categories of persons after accepting Central directions?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder) : (a) The Department of Personnel and Administrative Reforms issued formal orders on the subject only on 4 November 1977. The Bureau of Public Enterprises is yet to issue the formal orders.

(b) The Government of India have requested various State Governments to reserve three per cent vacancies for the physically handicapped. The Government of Jammu & Kashmir have decided that physically handicapped persons should be considered for appointment for posts for which they are otherwise eligible and preference should be given to them to the extent of three per cent of the total posts. Replies from other States are awaited.

कर्नाटक को गेहूं तथा माइलो का आबंटन

1613. श्री डी० बी० चन्द्रगौडा :
श्री जी० वाई० कृष्णन् :

क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने नई योजना के अन्तर्गत हाल ही में कर्नाटक राज्य को 1000 टन गेहूं तथा 1000 टन माइलो आबंटित किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1977-78 के लिए राज्य की कितने गेहूं और माइलो की मांग है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) जी हां । जुलाई, 1977 में पहली किस्त के रूप में 1000 मीटरी टन गेहूं तथा 1000 मीटरी टन माइलो आबंटित किया गया था ।

(ख) राज्य सरकार ने योजना के अन्तर्गत 4,521 मीटरी टन गेहूं और 4,216 मीटरी टन माइलो के लिए अनुरोध किया था। राज्य सरकार द्वारा वर्तमान आबंटन के उपयोग के बाद ही उनकी मांग पर अगला आबंटन किया जाएगा।

कृषक-कार्यात्मक साक्षरता परियोजना (फार्मर्स फंक्शनल लिटरेसी प्रोजेक्ट)

1614. **श्री के० राममूर्ति** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन जिलों के नाम क्या हैं जिनमें कृषक कार्यात्मक साक्षरता परियोजना 1976-77 में विशेषकर सूखा प्रभावित क्षेत्र कार्यक्रम के संदर्भ में अन्य विकास कार्यक्रमों से सम्बद्ध थी, और

(ख) ऐसी सम्बद्धता से क्या लाभ प्राप्त हुए ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) :(क) वर्ष 1976-77 के दौरान कृषक कार्यात्मक साक्षरता परियोजना निम्नलिखितों से सम्बद्ध की गई थी :—

(I) 5 जिलों में समेकित जन-जातीय विकास कार्यक्रम (आई०टी०डी०पी०) अर्थात:

(i) बिहार में जिला रांची (खुन्टी),

(ii) गुजरात में जिला भड़ोच (भड़ोच),

(iii) केरल में जिला पालघाट (अन्तापड्डी),

(iv) मध्य प्रदेश में जिला बस्तर (दन्तेवाड़ा), और

(v) उड़ीसा में जिला खियोन्जार (खियोन्जार), और

(II) एक जिले अर्थात आन्ध्रप्रदेश के जिला अनन्तपुर में सूखा प्रभावित क्षेत्र कार्यक्रम (डी० पी०ए०पी०)।

(ख) उपरोक्त 6 जिलों में परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों पर हैं। इन जिलों में से किसी में भी परियोजना ऐसे स्तर पर नहीं पहुंच पायी है कि ऐसी सम्बद्धता से प्राप्त लाभों की जायजा लेने के लिए उसका मूल्यांकन किया जा सके।

अनाज के स्टाक को कम करने के लिये कार्यवाही

1615. **श्री यशवन्त बोरोले** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों को अनाज के सरकारी स्टाक को कम करने की सलाह दी गई है क्योंकि यह आशा है कि सरकारी वसूली एजेंसियां अनाज की बहुत अधिक वसूली करेंगी ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) और (ख) : सरकारी एजेंसियों के पास पहली नवम्बर, 1977 को कुल लगभग 174 लाख मीटरी टन खाद्यान्नों का कुल स्टाक था। इस स्टाक का क्रय-विक्रय करने की आवश्यकता की दृष्टि से, सरकार ने सार्वजनिक वितरण

प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्नों की निकासी में वृद्धि करने के लिए कई एक उपाय किए हैं। इस संबंध में, साथ-साथ राज्य सरकारों से भी कहा गया है कि वे खाद्यान्नों की मात्रा को 8 किलोग्राम से बढ़ाकर 12 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति मास कर दें और विशेषतया औद्योगिक तथा स्लम क्षेत्रों में उचित मूल्य की अधिक दुकानें खोलें। राज्य सरकारों की गेहूं और चावल से संबंधित आवश्यकताओं की सामान्यतया पूर्णतया पूरा किया जा रहा है। राज्य सरकारों को मुफ्त बांटने के लिए तथा बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में अन्य राहत कार्यों के लिए भी खाद्यान्न उपलब्ध किए जा रहेहै ।

नगरीय भूमि अधिकतम सीमा और विनियमन अधिनियम, 1976

1616. **श्री आर० के० महालगी :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नगरीय भूमि अधिकतम सीमा और विनियमन अधिनियम, 1976 के कार्यकरण पर विचार करने के लिये सरकार ने एक समिति बनाई है, और यदि हां तो कब ;

(ख) उक्त समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं तथा इस समिति के निदेश पद क्या हैं ; और

(ग) इस समिति द्वारा अपना प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत किये जाने की सम्भावना है और क्या सरकार समिति की सिफारिशों पर तुरन्त निर्णय करेगी ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, नही ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

चारे की सप्लाई

1617. **श्री सी० के० जाफर शरीफ :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पशु पालन के क्षेत्र में पर्याप्त प्रगति नहीं हुई है; और

(ख) वनों तथा पहाड़ी क्षेत्रो में सुव्यवस्थित रूप से पोषक चारा उगाने और इसकी सप्लाई प्रबन्ध और विपणन के लिये सरकार ने क्या प्रयत्न किये हैं?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) पशुपालन क्षेत्र, विशेषकर अण्डा, दुग्ध और ऊन के उत्पादन में काफी प्रगति हुई है ।

(ख) राजस्थान (2 जिले) और दक्षिणी पठार (4 जिले) के अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी की सहायता-प्राप्त छः जिलों में वन्य, सामुदायिक, राजकीय और निजी भूमिओं पर चारागाह विकास और गोचर क्षेत्र प्रबन्ध का एक सधन कार्यक्रम शुरु किया गया है जिसके अन्तर्गत लगभग 1.08 लाख हेक्टार क्षेत्र आता है ।

68 और जिलो में अपकृष्ट गोचर भूमियो के पुनरुद्धार के लिए अपेक्षाकृत कम सधन कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है।

इन परियोजना क्षेत्रों पर पैदा किए गए बढ़िया चारे का उपयोग संगठित पशुधन द्वारा प्रत्यक्ष चराई से किया जाएगा। इस समय चारे के विपणन का कोई विचार नहीं है। सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत चारा विकास और वनरोपण के बारे में पांचवीं योजना में 3592.8 लाख रुपए का प्रावधान है।

बंजर भूमियों, पंचायत भूमियों इत्यादि पर मिश्रित रोपण की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत अन्य पेड़ों की किस्म के साथ चारे का किस्म भी उगाई जाती है। वनों में विधिवत तौर पर बढ़िया चारा उगाने के लिए कोई विशिष्ट केन्द्रीय वानिकी योजना नहीं है।

गहरे समुद्र से मछली पकड़ने सम्बन्धी परियोजनाएं

1618. **श्री निहार लास्कर :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में ऐसी परियोजनाओं के नाम क्या है जहां समुद्र से मछली पकड़ी जाती है;

(ख) उनमें से कौन-कौन सी परियोजनाओं में विदेशी सहायता से कार्य किया जाता है तथा किन परियोजनाओं को स्वतंत्र रुप से भारतीय प्रोद्योगिकी विदोशों द्वारा चलाया जाता है; और

(ग) गहरे समुद्र से मछली पकड़ने के कार्य में प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में श्रेष्ठता प्राप्त करने में कितना समय लगेगा?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की परियोजनाओ का लक्ष्य (1) मात्स्यकी स्रोतों का समन्वेषी सर्वेक्षण (2) कार्मिको को प्रशिक्षण देना है और (3) प्रायोगिक आधार पर मछलियां पकड़ने का काम समन्वेषी मात्स्यकी परियोजना बम्बई, खुले समुद्र में मछली पकड़ने की परियोजना, कोचीन, केन्द्रीय मात्स्यकी पोत संचालन, इंजीनियरी और प्रशिक्षण संस्थान, कोचीन और एकीकृत मात्स्यकी परियोजना, कोचीन के माध्यम से भारत सरकार द्वारा किया जाता है। गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की वाणिज्यिक परियोजनाएं सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र की विभिन्न मात्स्यकी कम्पनियों द्वारा चलाई जाती है।

(ख) भारत के दक्षिण-पश्चिमी तट पर खुले समुद्र में मछली के स्रोतो का सर्वेक्षण संयुक्त राष्ट्र विकास परियोजना की सहायता से खुले समुद्र में मछली पकड़ने की परियोजना, कोचीन द्वारा किया जाता है। भारत के उत्तर-पश्चिमी तट पर गहरे समुद्र में मछलो से संबंधित सर्वेक्षण पोलैंड की सहायता से सामन्वषी मात्स्यकी परियोजना, बम्बई द्वारा किया जाता है। शेष तटो पर सर्वेक्षण संबंधी कार्य कलाप हमारे अपने शिल्प-वैज्ञानिकों द्वारा किया जाता है। एकीकृत मात्स्यकी परियोजना में प्रायोगिक आधार पर मछली पकड़ने का काम हमारे अपने शिल्प वैज्ञानिको द्वारा किया जाता है।

वाणिज्यिक क्षेत्र में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने का काम विदेशी शिल्प वैज्ञानिकों की सहायता से मैसर्स न्यू इण्डिया फिशरीज लि०, बम्बई और मैसर्स कोकण फिशरीज (प्राइवेट) लि०, गोवा कर रहे हैं। वाणिज्यिक क्षेत्र के अन्य उद्यमी गहरे समुद्र में मछली पकड़ने का काम भारतीय कार्मिकों की सहायता से कर रहे हैं।

(ग) आशा की जाती है कि अगले कुछ वर्षों में हमारे शिल्प वैज्ञानिक बिना किसी विदेशी सहायता के गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की आवश्यक तकनीक प्राप्त कर सकेंगे।

जमा दो के स्तर पर निःशुल्क शिक्षा

1619. **श्री सी० के० चन्द्र प्पन** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुनर्गठित पद्धति के जमा दो स्तर पर निःशुल्क शिक्षा केवल तमिलनाडु में ही उपलब्ध है;

(ख) यदि हां, तो क्या सभी राज्यों में जमा दो के स्तर पर निःशुल्क शिक्षा देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस दिशा में क्या कार्यवाही की जा रही है?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) तमिलनाडु सरकार का 1978–79 से नई शिक्षा पद्धति के जमा दो स्तर को लागू करने का प्रस्ताव है। जमा दो स्तर पर निःशुल्क शिक्षा के बारे में उनके निर्णय से संबंधित कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) और (ग) : अपने संसाधनों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारों ने ही निर्णय करना है।

भारतीय खाद्य निगम को व्यापार देने के लिये पश्चिम बंगाल को राजसहायता

1620. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि अकेला पश्चिम बंगाल राज्य भारतीय खाद्य निगम को इसके 277 करोड़ रुपये के वार्षिक व्यापार का 25 प्रतिशत व्यापार देता है;

(ख) यदि हां, तो पश्चिम बंगाल सरकार को कितनी राजसहायता दी जाती है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) 1976–77 में 1437 करोड़ रुपये के खाद्यान्नों और खाद्य पदार्थों के कुल कारोबार में से भारतीय खाद्य निगम ने पश्चिमी बंगाल क्षेत्र में 270 करोड़ रुपये का कारोबार किया (18.8 प्रतिशत)।

(ख) और : (ग) केन्द्रीय निर्गम मूल्य में राजसहायता का अंश होता है जोकि सभी राज्यों को समान रूप से लागू होता है। पश्चिमी बंगाल सरकार को कोई अन्य राजसहायता नहीं दी जाती है।

Assistance to Rajasthan for Irrigation

*1621. **Shri Meetha Lal Patel:** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether Government are providing special assistance to the Rajasthan State for the provision of increased irrigation facilities there; and

(b) if so, the details thereof?

The Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala): (a) & (b) Yes, Sir. The Government of India have been providing advance Plan assistance to the Rajasthan Government during the last 3 years to accelerate the progress of certain selected on-going projects. The details of such assistance are given below:

Year	Advance Plan assistance (Rs. crores)
1975-76	6.00
1976-77	3.00
1977-78	7.50 (proposed).

Scheme for Promotion of Women's Development

1622. **Shri Subhash Ahuja:** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether Government have under consideration any scheme for the promotion of women's developments; and

(b) if so, the details thereof?

The Minister of State in the Ministry of Education, Social Welfare and Culture (Smt. Renuka Devi Barkataki): (a) and (b): A National Plan of Action for Women was drawn up by the Government of India with the assistance of the Institute of Applied Manpower Research. This Plan was prepared in pursuance of the Resolutions of Parliament (in the Lok Sabha on 25-4-1975 and in the Rajya Sabha on 13-5-1975) and is based on the recommendations of the Report of the Committee on the Status of Women in India and the World Plan of Action adopted at Mexico in 1975, with the object of integrating women in development by providing them with facilities for education and employment opportunities and health, nutrition and other services.

2. The National Plan which is in the nature of guidelines has been sent to States and Union Territories so that they could draw up plans of action and programmes for women after taking into account local factors, needs resources and constraints.

Concerned Ministries/Departments of the Central Government have also been requested to take the National Plan of Action into account in developing programmes for women's development.

फलोरा और फौना के बारे में पुस्तकें

1623. **श्री सुखेन्द्र सिंह** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वन्य-पशुओं को जिनकी संख्या दिन-प्रतिदिन घटती जा रही है, संरक्षण देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) क्या सरकार यह सुझाव देगी कि राष्ट्रीय पुस्तक न्यास और अन्य एजेंसियों फलोरा और फौना के बारे में पुस्तकें, पुस्तिकाए तथा अन्य प्रकाशन इस प्रकार निकालें जिससे हमारे बच्चों को इसके महत्व का बोध हो सके?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) देश में वन्य प्राणियों की रक्षा के लिए पहले ही प्रभावशाली कदम उठाए गए हैं। हाल ही के वर्षों में उठाये गये कुछ महत्वपूर्ण कदम निम्नलिखित हैं :—

(1) वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (जिसे दो राज्यों के सिवाय अब सब राज्यों ने लागू कर दिया है) के बनने से वन्य प्राणियों की खतरे में पड़ी जातियां को शोषण से विशेष कानूनी संरक्षण मिल गया है और अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करने पर सख्त सजा देने की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त, अधिनियम की अनुसूचियों में हाल ही में परिवर्तन कर दिया गया है, जिसमें वन्य प्राणियों की कई जातियां को अधिनियम की अनुसूची–1 में रख दिया गया है और अनुसूची–1 के वन्य प्राणियों तथा अन्य अनुसूचियों की कईयों नई जातियो के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

(2) विशेषकर जब से भारत 1976 में खतरे में पड़े हुए वन्य प्राणी तथा वनस्पति की किस्मों के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार संबंध सम्मेलन में सहयोगी बना, तब से खतरे में पड़ी हुई अधिकांश जातियों के निर्यात व्यापार पर नियंत्रण लगाया गया है।

(3) गत कुछ वर्षों के दौरान वन्य प्राणी संरक्षण कार्य में महत्वपूर्ण प्रगति होने पर राष्ट्रीय पार्कों तथा अभयारणों के अंतर्गत और उनसे बाहर वन्य प्राणियों और उनके प्राकृतिकवास की विशेष व्यवस्था पर जोर दिया गया है। इस बात को दृष्टिगत रखते हुए अधिकांश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पृथक् वन्य प्राणी स्कंधों की स्थापना की गई है। इन वन्य प्राणी स्कंधों के अधिकारी अंतिम रूप से वन्य प्राणी सम्बधी सब मामलो के प्रभारी अधिकारी होंगे।

(ख) सरकार के सुझाव पर राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् ने वन्य प्राणियों तथा उन्हें सुरक्षित करने की आवश्यकता के बारे में प्राथमिक, मिडिल और माध्यमिक विद्यालयों के लिए पहले ही पुस्तकें प्रकाशित की हैं। सरकार विदेशों से सामग्री प्राप्त करने के लिए विश्व वन्यप्राणी निधि के अधिकारियों से भी सम्पर्क बनाए हुए है, जो कि प्रकृति के अध्ययनों के संबंध में स्कूल स्तर की पाठ्यपुस्तको में उचित रूप से अपनाई जा सकती है।

खेल-कूदों को प्रोत्साहन

1624. **श्री मुखितयार सिंह मलिक :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने देश में खेल-कुदों, विशेषकर हाकी को प्रोत्साहन देने के लिये कोई योजना तयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इस प्रयोजन के लिय कोई अतिरिक्त धनराशि की मंजूरी दी गई है और यदि हां, तो कितनी?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क), (ख) और (ग) : हाल ही में देश मे खेलों की विशेष कर हाकी को प्रोन्नती के लिए कोई नई योजना नहीं बनाई गई है । तथापि, पांचवीं पंचवर्षीय योजना मे शामिल तथा शुरु की गई खेलो के प्रसार की योजनाओं को जारी रखा जा रहा है । ये योजनाएं इस प्रकार हैं:—

(i) एन० आई० एस० द्वारा अर्हता प्राप्त खेलों के प्रशिक्षकों की प्रशिक्षण और युवक तथा तथा राष्ट्रीय टीमों को प्रशिक्षण देने की सुविधा;

(ii) स्टडियमों, खेल-मैदानों, तरण तालों आदि के निर्माण और युवकों के लिए वार्षिक प्रशिक्षण शिबिरों के आयोजन और ग्रामीण खेल केन्द्रों की स्थापना के लिए राज्य खेल परिषदों को अनुदान;

(iii) स्कूल खेल प्रतिभा खोज योजना के अंतर्गत होनहार स्कूली बच्चों को छात्रवृत्तियां;

(iv) खेल संबंधी शारीरिक सुविधाओं के सृजन हेतु विश्वविद्यालयों और कालेजों को विश्व-विद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से और अन्तर विश्वविद्यालय प्रतियोगिताओं और प्रशिक्षण शिविरों के आयोजन के लिए भारतीय विश्वविधालय संघ के माध्यम से अनुदान;

(v) खण्ड से राज्य स्तरों तक ग्रामीण खेल प्रति योगिताएं आयोजित करने के लिए राज्य सरकारों को अनुदान;

(vi) कुछ कर्मचारियों को वेतन देने, खेल उपस्करों की खरीद और साथ ही राष्ट्रीय चैम्पीयन-शिप आयोजित करने तथा अन्तर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भारतीय टीमो के भाग लेने के लिए राष्ट्रीय खेल संघों/संस्थाओं को वित्तीय सहायता ।

चालू पंचवर्षीय योजना अवधि के प्रथम तीन वर्षों के दौरान शारीरिक शिक्षा और खेलों की केन्द्रीय योजनाओ का कुल योजनागत व्यय 273.56 लाख रुपए था और इन योजनाओं के लिए 1977–78 हेतु बजटबद्ध योजनागत प्रावधान 144.00 लाख रुपए हैं ।

Loan Floated by D.D.A.

1625. **Shri Hargovind Verma :** Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether Delhi Development Authority has floated a loan for Rs. 10 crores; and

(b) if so, the reasons therefor?

The Minister of Works & Housing & Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht) : (a) & (b) : The Delhi Development Authority proposes to float debentures for raising a market loan of Rs. 10 crores to secure funds required for accelerating the pace of construction and completion of its housing projects.

भारतीय खाद्य निगम द्वारा राशन की दुकानों के माध्यम से घटिया गेहूं और चावल की सप्लाई

1626. **श्री रेणुपद दास :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि भारतीय खाद्य निगम के पास भारी मात्रा में घटिया किस्म के गेहूं और चावल का स्टाक है और उसकी सप्लाई उपभोक्ताओं को राशन की दुकानों के माध्यम से की जा रही है; और

(ख) क्या उक्त स्टाक को मानव उपभोग के लिये सप्लाई न करने और वर्तमान राशन वाले क्षेत्रों में अच्छे किस्म का गेहूं और चावल नियमित रूप से सप्लाई करने के बारे में कोई प्रस्ताव है?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) और (ख) : भारतीय खाद्य निगम उचित मूल्य की दुकानों को जारी करने हेतु घटिया किस्म का कोई गेहूं और चावल निर्युक्त नहीं कर रहा है। निगम द्वारा राशन की दुकानों अथवा राज्य सरकारों को सप्लाईकिया गया गेहुं और चावल भारत सरकार द्वारा निर्धारित विनिर्दिष्टियों के अनुरूप होता है, जोकि पी० एफ० ए० सीमा के अन्दर होतो हैं।

भारतीय खाद्य निगम जारी किए गए खाद्यानों के साथ-साथ संयुक्त रूप से लिए गए और मुहरबन्द नमूने भी राशन की दुकानो के मालिकों को देते हैं ताकि उनका उपभोक्ताओं के लाभ के लिए राशन को दुकान पर प्रदर्शन किया जाए।

अपर कांगसाबती की खुदाई

1627. **डा० विजय मण्डल :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिला बांकुरा (पश्चिमी बंगाल) में अपर कांगसाबती परियोजना का खुदाई कार्य कब आरम्भ होगा तथा इस कार्य के पुरे होने में अनुमानत: कितना समय लगेगा; और

(ख) क्या इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इस परियोजना से सिंचित होने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र सूखाग्रस्त क्षेत्र है, इस परियोजना को प्राथमिकता दी जायेंगी?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) अपर कांगसावती परियोजना रिपोर्ट की आजकल केन्द्रीय जल आयोग में पश्चिम बंगाल को सरकार के साथ सलाह करते हुए जांच की जा रही है। यदि यह स्कीम तकनीकी दृष्टि से व्यावहारिक और आर्थिक दृष्टि से सक्षम पाई गई, तो राज्य सरकार का इस परियोजना पर 1978–79 में काम शुरू करने का विचार है। राज्य सरकार के अनुसार इस योजना के लगभग 8 वर्षों में पूरा होने की सम्भावना है।

(ख) सूखा-ग्रस्त क्षेत्रों से संबंधित स्कीमों को दी गई प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा 1978–79 के बजट में इस परियोजना के लिए समुचित व्यवस्था कर दी गई है।

महाराष्ट्र, कर्नाटक और राजस्थान में सूखापीड़ित क्षेत्रों सम्बन्धी परियोजनाओं की प्रगति

1628. **श्री अन्नासाहेब गोटखिंडे** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश तथा राजस्थान के 6 जिलों के सूखाउन्मुख जिलों में अन्तर्राष्ट्रीय विकास संगठन के सहयोग से चलाये गये विकास कार्यक्रम की गति धीमी रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और उक्त परियोजना की प्रगति में तेजी लाने वाले के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) जी नहि ।

(ख) (क) के सामने दी गई स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

'एलजई' का उर्वरक के रूप में उपयोग

1619. **श्री एम० अरुणाचलम** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक स्थानों पर, विशेषकर तमिलनाडु में खेतों में उपयोग से पता चला है कि एलजेई का प्रयोग करके चावल की खेती के लिए लगभग 30 प्रतिशत रासायनिक (नाइट्रोजन) उर्वरक की बचत की जा सकती है ;

(ख) क्या किसान के स्तर पर 'एलजेई' का उत्पादन देहातों में आय का साधन बन सकता है ;

(ग) एलजेई के उपयोग को लोकप्रिय बनाने और 'एलजेई' में अनुसन्धान बढ़ाने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(घ) क्या 'एलजेई' का उत्पादन कार्यक्रम इस आशंका से बन्द तो नहीं कर दिया जायेगा कि इसका कुछ बड़ी उर्वरक कम्पनियों की बिक्री पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजित सिंह बरनाला) : (क) नील हरित शैवाल की प्रभावकारिता का अध्ययन करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली ने विभिन्न केन्द्रों पर अनेक प्रयोग किए। उनके आंकड़ों से यह पता चला कि धान की फसल में शैवाल के इस्तेमाल से फी हैक्टर लगभग 25 कि० ग्रा० नाइट्रोजन की बचत हो सकती है।

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली ने खेतों में देने के लिए खुले वातावरण में शैवाल तैयार करने की गांवों में इस्तेमाल किए जाने योग्य विधि विकसित की है । आमदनी देने के कार्यक्रम के रूप में इसकी क्षमता का मूल्यांकन नहीं किया गया है ।

(ग) हमारे देश में राष्ट्रीय स्तर पर शैवाल अनुसन्धान में मजबूती लाने के लिए भारत सरकार के विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग ने एक अखिल भारतीय समन्वित प्रायोजना चलाई है ।

(घ) शैवाल जैसे जैवी निवेश रासायनिक नाइट्रोजन के बदले में इस्तेमाल नहीं किए जाते बल्कि नाइट्रोजन के अत्यधिक मांग के कारण उसके पूरक के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। इस प्रकार जो बचत होती है उसे दूसरी फसलों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है । इस लिए कृषि विकास के ढांचे में शैवाल की उर्वरक उद्योग के साथ होड़ होने के भय का कोई आधार नहीं है ।

Bill on Irrigation System

1630. **Shri Brij Bhushan Tiwari:** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether a new model Irrigation Bill is proposed to be introduced to ensure efficient functioning of irrigation systems; and

(b) if so, the outlines thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Bhanu Pratap Singh) : (a) & (b) Irrigation is a State subject and legislation relating thereto is undertaken by the State Legislatures.

The Irrigation Commission in their report of 1972 had, however, indicated that there was multiplicity of statutes covering various aspects of irrigation management and administration and had recommended their unification and simplification. In pursuance of these recommendations, a draft of a Model Irrigation Bill was finalised in the Department of Irrigation. Some of the important relating thereto is undertaken by the State Legislatures.

1. Expeditious construction of water courses and field channels.
2. On Farm Development.
3. Drainage.
4. Cropping Pattern.
5. Public participation in the Administration of Irrigation Systems.
6. Unauthorised use of Water.
7. Betterment levy and water rate.
8. Settlement of disputes.

The Bill was considered at the Second Conference of State Irrigation Ministers held in September, 1976. The Conference had recommended that the Model Bill be considered by the State Governments for adoption with such modifications as may be necessary in the light of local conditions.

गन्ने की फसल

1631. **श्री बालासाहिब विखे पाटील** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान फसल में गन्ने की फसलों की स्थिति क्या है ;

(ख) क्या वर्तमान फसल देश की सब चीनी मिलों की सम्पूर्ण आवश्यकता को पूरा करने के लिये पर्याप्त है ; और

(ग) यदि नहीं, तो कमी को पूरा करने के लिये सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानू प्रताप सिंह) : (क) गन्ने के पहले अखिल भारतीय अनुमान के आधार पर यह कहा जा सकता है कि देश के अधिकांश भागों में चालू मौसम में गन्ने की फसल की स्थिति खासी संतोषजनक है। खड़ी फसल की समूची स्थिति सामान्यतया अच्छी बतायी जाती है। गन्ने के अन्तर्गत क्षेत्रफल में भी बढ़ौतरी हुई है।

(ख) जी हां। तथापि, दक्षिण में हाल ही के तुफानों से कुछ क्षेत्रों में खड़ी फसलों को क्षति पहुंची है। इस क्षति का अभी अनुमान लगाया जाना है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

जाति-पाति के नाम पर विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां और वित्तीय सहायता बन्द करना

1632. **श्री केशव देव धोंडगे** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आर्थिक दृष्टि से समाज के दुर्बल वर्ग को सहायता देने और जाति–पाति के नाम पर विद्यार्थियों को दी गई छात्रवृत्तियां देना बन्द करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी रूपरेखा क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख) सरकार अनुसूचित जाति अनुसूचित जन जाति के छात्रों के सिवाय जात पात के आधार पर छात्रवृत्तियां नहीं दे रही है। तथापि, कुछ एक राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजनाओं के संबंध में अभिभावकों की आय के रूप में आर्थिक पिछड़ेपन पर विचार किया जाता है। वर्तमान व्यवस्थाओं को संशोधित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

तटवर्ती क्षेत्रों में नारियल की खेती

1633. **श्री कुमारी अनन्तन** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु राज्य में कन्याकुमारी जिले में तटवर्ती क्षेत्रों में नारियल की विस्तृत और गहन खेती की व्यवहार्यता के बारे में कोई जांच की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे क्षेत्रों का पता लगाने के बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) तथा (ख) तमिलनाडु सरकार से जानकारी एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जाएगी।

फरक्का बांध परियोजना में नैमित्तिक श्रमिकों को रोजगार

1634. **श्री शशांक शेखर सन्याल** : क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरक्का बांध परियोजना में सामान्यतया नैमित्तिक श्रमिकों को काम पर लगाया जाता है और क्या उनका उपस्थिति रजिस्टर रखा जाता है ;

(ख) क्या इन श्रमिकों को सेवा में एक या दो दिन का व्यवधान उन्हें अस्थायी ही बनाये रखने की दृष्टि से दिखाया जाता है ;

(ग) क्या फरक्का बांध पर पिछले पांच या दस वर्ष से बहुत से कर्मचारी नैमित्तिक श्रमिकों के रूप में काम कर रहे ह तथा उन्हें स्थायी कर्मचारियों को मिलने वाला कोई भी लाभ नहीं मिलता ; और

(घ) इस स्थिति के उपचार के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख) फरक्का बराज परियोजना में मस्टर रोल कर्मचारियों को नैमित्तिक किस्म के कामों और इसके अलावा विभागीय रूप से किए जाने वाले मौसमी काम पर नियोजित किया जाता है। ये मस्टर रोल कर्मचारी नियमित सरकारी कर्मचारी नहीं है और उनकी सेवाएं काम की आवश्यकताओं के अनुसार रखी जाती हैं।

(ग) कुछ ऐसे मस्टर रोल कर्मचारी भी हैं जो परियोजना के विभिन्न कार्यों पर कुछ व्यवधान सहित तीन वर्ष से भी अधिक समय से काम पर लगे हुए हैं।

(घ) फरक्का बराज परियोजना में नियमित और कार्य-भारित पदों को भरते समय मस्टर रोल कर्मचारियों पर भी विचार किया जाता है।

डी० डी० ए० की जनकपुरी कालोनी में मल—निकास और पानी की लाइनें/पाइपें बिछाना

1635. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली की जनकपुरी कालोनी के निवासियों ने डी० डी० ए० तथा नगर निगम से अनुरोध किया है कि इस कालोनी में नई मल-निकास तथा पानी की नई लाइनें बिछाई जाये क्योंकि मल-निकास व्यवस्था के अभाव में इस कालोनी में पीलिया के महामारी के रूप में फैलने की आशंका है ; और

(ख) यदि हां, तो एक नई मल—निकास तथा पानी की लाइन बिछाने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं तथा इस कार्य में विलम्ब के लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध क्या आवश्यक कार्यवाही की गई है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां।

(ख) मल—निकास व्यवस्था तथा पानी की लाइनें पहले ही मौजूद हैं किन्तु इसमें सुधार और वृद्धि करने की आवश्यकता है। इन अपूर्ण सेवाओं में सुधार करने के लिए निर्माण कार्य आरम्भ कर दिया गया है और ये कार्य प्रगति पर हैं।

पेय "77" की उपलब्धता

1636. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :**
श्री अर्जन सिंह भदौरिया :

क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नया पेय, '77' इस वर्ष दिसम्बर तक बड़े पैमाने पर बाजार में उपलब्ध हो जाएगा; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) और (ख) : माडर्न बेकरीज (इण्डिया) लिमिटेड ने नये पेय का उत्पाद-परीक्षण कार्य पूरा कर लिया है । इस समय एग्रो एक्सपो, '77' में परीक्षण के तौर पर इसकी बिक्री की जा रही है । देशके विभिन्न भागों से इस मेले में आए लोग इसे पी रहे हैं । अत: यह पेय बाजार बिक्री के लिए देने के लिए तैयार है और दिल्ली में दिसम्बर में बड़े पैमाने पर उपलब्ध हो जाएगा ।

माडर्न बेकरिज (इण्डिया) लिमिटेड ने अधिकार दने के लिए बाटलिंग कम्पनियों के साथ बातचीत की है । कुछ कम्पनियों ने करार पर हस्ताक्षर कर दिए है, अन्य कम्पनियों द्वारा करार पर हस्ताक्षर करने की सम्भावना है । यह पेय उन स्थानों पर उपलब्ध होगा जहां इस पेय को बेचने के लिए बाटलिंग कम्पनियां माडर्न बेकरीज (इण्डिया) लिमिटेड के साथ करार करेंगी ।

विदेशी पर्यटकों पर मद्य निषेध का प्रभाव

1637. **श्री सी० के० जाफर शरीफ :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली रिटेल वाइन मर्चेन्टस एसोसिएसेन ने कहा है कि मद्य निषेध का भारत में विदेशी पर्यटन यातायात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा जिससे भारत की विदशी मुद्रा आय में कमी होगी, ।

(ख) क्या सरकार समझती है कि शराब की उचित मात्रा में खपत बिल्कुल भी हानिकारक नहीं है अपितु नशीलों वस्तुएं चाहे वह थोड़ी सी मात्रा में हीली जाएं तो हानिकारक है, और

(ग) क्या सरकार को विकास की वतमान अवस्था विशेष पर विशेष रूप से विदेशी पर्यटकों से आय का भी हानि होगी?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) समाज कल्याण विभाग को ऐसे अभ्यावेदन की कोई जानकारी नहीं है ।

(ख) सरकार का मत है कि नशीले पेयो और नशीली दवाइयों का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है ।

(ग) नशीली पेयों के सेवन का निषेध करने से विदेशी पर्यटकों से प्राप्त होने वाले राजस्व में कुछ हानि हो जाने की संभावना है ।

दिल्ली-स्कूल अध्यापक गृह निर्माण समिति

1638. **श्री टी० एस० नेगी :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली स्कूल अध्यापक सहकारी गृह–निर्माण समिति के 500 से अधिक सदस्यों को आपात स्थिति के दौरान उक्त समिति को प्रबन्ध समिति के चुनावो के समय दिल्ली की सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार द्वारा गैर–कानूनी ढंग से मताधिकार से वंचित किया गया था;

(ख) क्या कुछ ऐसे व्यक्तियों को उपरोक्त चुनाव में चुने जाने की अनुमति दी गई थी जिनके दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में अपने मकान/प्लाट हैं ;

(ग) क्या उक्त निर्णय के विरुद्ध उठाई गई आपत्तियों पर उचित ढंग से ध्यान नहीं दिया गया था;

(घ) यदि भाग (क) से (ख) तक का उत्तर स्वीकारात्मक हो तो इस ढंग से चुनाव करवाने के उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का विचार हैं ; और

(ङ) इस प्रकार गैर-कानूनी ढंग से निष्कासित किये गये व्यक्तियों को सदस्यता दीलवाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क), (ख), (ग) तथा (घ) : इन प्रश्नों में उठाए गए सवाल दिल्ली के उच्च न्यायालय में दायर की गई दो रिट याचिका नं० 581 / 77 तथा 659 / 77 की विषय वस्तु हैं । अतः यह मामला न्यायाधीन है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

कालीकट, केरल में खेलकूद स्कूल

1639. **श्री वयालार रवि :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने राज्य में कालीकट स्थान पर खेलकुद स्कुल की स्थापना करने के लिए वित्तीय सहायता का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) जी हां ।

(ख) राज्य सरकार द्वारा योजना के ब्यौरे नहीं भेजे गये हैं । तथापि, केरल सरकार को यह सूचित कर दिया गया है कि फिलहाल कोई ऐसी केन्द्रीय योजना नहीं है, जिसके अन्तर्गत राज्य सरकार के वित्तीय सहायता संबंधी प्रस्ताव पर विचार किया जा सके ।

केरल के हथकरघा बुनकरों के लिए आवास सुविधायें

1640. **श्री वयालार रवि :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान हथकरघा बुनकर सहकारी समितियों के जरिए हथकरघा बुनकरों को आवास सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए केरल राज्य के लिए कुल कितनी राशि मंजूर की गई और इसके वर्ष-वार आंकड़े क्या है ;

(ख) इस प्रयोजन के लिए वर्ष 1977–78 में कितनी राशि मंजूर की गई; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस प्रयोजन के लिए कोई नई योजना शुरु करने का है और यदि हां तो, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) तथा (ख) निर्माण और आवास मंत्रालय ने केवल हथकरघा बुनकरों के लिय ही कोई आवासीय योजना आरम्भ नहीं की है। इस मंत्रालय द्वारा आरम्भ की गई सामाजिक आवास योजनाएं बिना किसी जाति, वर्ष या सामुदाय के समाज के सभी व्यक्तियों पर बराबर लागू होती हैं। हथकरघा बुनकरों की सहकारिता समितियां निम्नलिखित आवास योजनाओं के अन्तर्गत वित्तीय सहायता ले सकती हैं, जो राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं :—

(i) निम्न आय वर्ग आवास योजना ।

(ii) मध्यम आय वर्ग आवास योजना ।

(iii) ग्रामीण आवास परियोजना स्कीम ।

इसके अतिरिक्त, हथकरघा बुनकरों की सहकारिताएं राज्य अपैक्स सहकारिता आवास वित्त समिति से वित्तीय सहायता ले सकती हैं।

हथ-करघा बुनकरों की सहकारिता समितियां भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जून, 1976 में जारी किये गये मार्ग दर्शनों के अन्तर्गत अपनी आवासीय योजनाओं के लिये अधिसूचित वाणिज्यिक बैंकों से भी वित्तीय सहायता ले सकती है ।

(ग) इस प्रयोजन के लिए सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

अंदमान तथा निकोबार द्वीप समूह का समेकित विकास कार्यक्रम

1647. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुनर्वास मंत्रालय के साथ संबद्ध विशेष क्षेत्र विकास के अन्तर्गत अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह के समेकित विकास कार्यक्रम पर अब तक कितनी राशि खर्च की गई;

(ख) अब तक क्या लक्ष्य प्राप्त हुए हैं; और

(ग) इस बारे में भावी योजना क्या है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास राज्य मंत्री (श्री राम किंकर) : (क) श्रीमन्, 1976-77 तक 11.06 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है।

(ख) 1976-77 तक 1114 परिवारों को बसाया जा चुका है और 9700 एकड़ भूमि का उद्धार किया गया ।

(ग) 1977-78 के दौरान 110 परिवारों (60 प्रवासी/प्रत्यावासी तथा 50 भूतपूर्व सैनिक) को बसाया जाएगा। 1978-79 के दौरान 50 भूतपूर्व सैनिक परिवारों को बसाने की योजना है।

अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह में स्कूल शिक्षकों का स्थानान्तरण

1542. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ राज्य क्षेत्र अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में शिक्षा के भिन्न-भिन्न माध्यमों के लिए राजकीय स्नातकोत्तर सीनियर शिक्षक कुल कितने हैं;

(ख) संघ राज्य क्षेत्र अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के सरकारी स्कूलों में कुल कितने विद्यार्थी है ; और

(ग) ऐसे शिक्षक कितने हैं जो एक ही स्कूल म तीन वर्ष से अधिक की अवधि से पढा रहे हैं तथा दो वर्षों के दौरान कितने शिक्षकों का स्थानान्तरण किया गया तथा उनके स्थानान्तरण का आधार क्या था ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : (क), (ख) और (ग) : अन्दमान तथा निकोबार प्रशासन से सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

पोर्ट ब्लेयर में दुग्ध सप्लाई योजना

1643. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे की :

(क) क्या पोर्ट ब्लेयर में, जहां दूध नहीं मिलता है, एक दुग्ध सप्लाई योजना आरम्भ करने की सरकार की योजना है, और

(ख) क्या सरकार को मुख्य भूमि के अन्य शहरों की तरह पोर्ट ब्लेयर में भी एक दुग्ध सप्लाई योजना आरम्भ करने के लिए कोई प्रस्ताव मिला है और यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख) : पशुपालन आयुक्त की अध्यक्षता में एक बहु-विषयक दल ने अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह का दौरा किया था और एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जिसमें अन्य बातों के अलावा प्रमुख संग्रह केन्द्रों में अवशीतन सुविधाएं

और लोक वितरण के लिए पोर्ट ब्लेयर में दूध के पास्तुरीकरण के लिए सुविधाए प्रदान करने की सिफारिश की गई थी । तथापि यह कार्य स्थानीय मांग का अनुमान लगाने के लिए बाजार की मांग का सर्वेक्षण करने के पश्चात् ही किया जाना था। इसके बारे में अन्दमान और निकोबार प्रशासन से औपचारिक प्रस्ताओं की प्रतीक्षा है ।

अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह के मत्स्य विभाग में मत्स्य-नौकायें

1644. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्दमान और निकोबार मत्स्य पालन विभाग की कुल कितनी मत्स्य नौकाएं हैं और उक्त नौकाओं के रखरखाव पर प्रति मास कुल कितनी राशि व्यय की जाती है ;

(ख) प्रतिमास कुल कितनी मात्रा में मछलियां पकड़ी जाती है और उनकी बिक्री से कुल कितनी आय होती है ; और

(ग) मत्स्य विभाग को चलाने पर कुल कितनी राशि व्यय की जाती है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क), (ख) और (ग) : जानकारी एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

चैंबरो के पुनर्निर्माण के लिए दिल्ली-बार एसोसिएशन की मांग

1645. **श्री वसन्त साठे** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली बार एसोशिएशन के सदस्यों से तीस हजारी कोर्ट के अहाते में उनके चैंबरों का पुनर्निर्माण करने के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां; तो दिल्ली बार एसोसिएशन द्वारा की गई मांग का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार ने इस मामले में क्या निर्णय किया है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकंदर बख्त) : (क) तथा (ख): जी हां दिल्ली प्रशासन की कतिपय निर्माण कार्य के लिए तथा सुविधाओं के बारे में एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था ।

(ग) यह निर्णय लिया गया कि वकीलों द्वारा अस्थायी चैंबरों के निर्माण के लिए चबूतरों का निर्माण किया जाए और कैंटिन तथा शौचालय संबंधी सुविधायें एवं टाइपिस्टों के लिए शेडों की व्यवस्था की जाए । इस कार्य के लिए टेंडर आमन्त्रित किए गए है ।

संस्कृत का प्रचार और विकास

1646. **श्री वसन्त साठे** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न भागों में संस्कृत के प्रचार और विकास के लिए बनाई गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार संस्कृत के संवर्धन तथा विकास की केन्द्रीय सलाहकार समिति का पुनर्गठन करने संबंधी किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है और उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या देश के पश्चिमी हिस्से में केन्द्रीय सहायता से संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है और क्या सरकार नागपुर के निकट रामपथ में कालीदास की स्मृति में ऐसा विश्वविद्यालय खोलने पर विचार करेगी ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : (क) संस्कृत के प्रचार तथा विकास के लिए तैयार की गई योजनाएं हैं :—

(1) राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान ।

(2) संस्कृत के प्रचार तथा विकास में कार्यरत स्वैच्छिक संस्कृत संगठन ।

(3) राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के माध्यम से संस्कृत के विकास की योजना ।

(4) संस्कृत पाठशालाओं से उत्तीर्ण छात्रों, मैट्रिकोत्तर संस्कृत छात्रों/शास्त्री तथा आचार्य छात्रों को छात्रवृत्तियां ।

(5) संस्कृत साहित्य का निर्माण ।

(6) संस्कृत की प्रोन्नति हेतु अन्य योजनाएं ।

इन योजनाओं के ब्यौरे, शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय (शिक्षा विभाग तथा संस्कृति विभाग के 1977-78 के कार्य बजट में दिए हुए हैं ।

(ख) फिलहाल केन्द्रीय सलाहकार समिति (केन्द्रीय संस्कृत परिषद्) की स्थापना आवश्यक नहीं समझी गई है ।

(ग) केन्द्रीय सहायता से एक संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है ।

गोआ में मत्स्य पत्तन

1645. **श्री एडुआर्डो फैलीरो** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोआ में मत्स्य पत्तन बनाने संबंधी प्रस्ताव गोआ की सरकार द्वारा त्याग दिया गया है;

(ख) क्या गोआ सरकार ने मत्स्य पत्तन के स्थान पर कोई वैकल्पिक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की मुख्य रूपरेखा क्या है और इस बारे में क्या प्रगति हुई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क), (ख) तथा (ग) : इस मंत्रालय के अन्तर्गत मत्स्यन बन्दरगाह की निवेशपूर्व सर्वेक्षण परियोजना ने कर्नाटक में मछली पकड़ने के एक बंदरगाह के निर्माण के लिए एक परियोजना रिपोर्ट तैयार की थी । गोआ सरकार से अनुरोध किया गया था कि वह स्थल तथा परियोजना के विषयों के संबंध में अपनी सहमति प्रदान कर दें । उत्तर की प्रतीक्षा है ।

गोआ में विश्वविद्यालय की स्थापना करना

1648. **श्री एडूआर्डो फैलीरो :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री गोआ में विश्वविद्यालय की स्थापना के बारे में 18 जुलाई, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3894 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि गोआ में विश्वविद्यालय की स्थापना की दिशा में आगे क्या कदम उठाये गये हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : मामला अभी विचाराधीन है ।

Construction of Multi-Storeyed Market and Hotel in Morigate Area by DDA

1649. **Shri Nawab Singh Chauhan:** Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a proposal to construct a multi-storeyed market and hotel in Morigate area in Delhi has been submitted to the Delhi Development Authority for approval;

(b) whether it is also a fact that a marketing centre is required in this area and this scheme will help develop this area;

(c) if so, the time by which approval to the proposal will be accorded; and

(d) the additional schemes with the DDA for development of this area?

The Minister of Works & Housing & Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht) : (a) Yes, Sir.

(b) to (d): According to the Zonal Development Plan, the land on which the market and hotel have been proposed is meant for residential use. Hence the question of giving approval does not arise. In the Zonal Development Plan some area around Gokhale Market is earmarked for commercial use and a site has also been earmared for a flatted factory. These are expected to be sufficient for the needs of the area.

अन्तर्राष्ट्रीय मक्का तथा गेहूं सुधार केन्द्र

1650. **श्री सुरेन्द्र बिक्रम :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान मैक्सिको स्थित इन्टरनेशनल मेज एण्ड व्हीट इम्प्रूमेंट सेंटर (अन्तर्राष्ट्रीय मक्का तथा गेहूं सुधार केन्द्र) के एसोसिएट डायरेक्टर डा० आर० जी० एन्डरसन के 5 सितम्बर, 1977 के हिन्दुस्तान टाइम्स में 'व्हीट प्रोडक्शन कैन बी डब्लड' (गेहूं का उत्पादन दुगना किया जा सकता है) शीर्षक से प्रकाशित वक्तव्य की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) भारत के राष्ट्रीय कृषि आयोग ने यह अनुमान लगाया है कि यदि आबादी इसी दर से बढ़ती रही तो सन् 2000 तक भारत की आबादी के लिए लगभग 5 करोड़ टन गेहूं की आवश्यकता होगी। भारतीय विशेषज्ञ यह भी अनुभव करते हैं कि वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की गई नई किस्मों और उत्पादन प्रौद्योगिकी की सहायता से भारत में 5 करोड़ टन गेहूं उत्पादन की क्षमता है बशर्ते कि गेहूं पट्टी के बडे क्षेत्र को सिंचाई की सुविधा प्रदान की जाये और गेहूं पैदा करने वाले प्रमुख राज्य जैसे उत्तर प्रदेश में प्रौद्योगिकी, सरकारी सेवाओं और सरकारी नीतियों का समुचित तालमेल बैठाकर पैदावार के उन स्त्रोतो का जिन्हें अब तक इस्तेमाल नहीं किया जा सका, लाभ उठाया जाये ।

गुजरात में पेय जल

1651. **श्री धर्म सिंह भाई पटेल :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में कितने गांवों में शुद्ध पेयजल अभी तक उपलब्ध नहीं है ;

(ख) उन गांवों में पेय जल की व्यवस्था कब तक की जाएगी; और

(ग) इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की क्या योजनाएं हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) गुजरात सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार मार्च, 1977 को ऐसे गांवों की संख्या 16344 है, जहां शुद्ध पीने का पानी उपलब्ध नहीं है ।

(ख) राज्य सरकार ने इन सभी गांवों को शुद्ध पीने के पानी की योजनाओं के अन्तर्गत लाने के लिए अभी तक कोई प्लान का उल्लेख नहीं किया है ।

(ग) उन समस्याग्रस्त ग्रामों में पेयजल की व्यवस्था करने के लिए इस वर्ष देश के ग्रामीण क्षेत्रों में केन्द्र द्वारा प्रवर्तित एक त्वरित पेय जलपूर्ति कार्यक्रम के रूप में आरम्भ किया गया है । जिन ग्रामों में 1.6 कि० मी० के फासले तक पेय जल का कोई स्त्रोत नहीं है अथवा जहां जल के स्त्रोत हैजा संक्रामक या नहरूआ कीटाणूओं से ग्रस्त है अथवा जहां जल के स्त्रोतों में क्लोराइड, फ्लोराइड आदि जैसे अत्यधिक विषाक्त रसायन हैं, गुजरात में पता लगाये गए ऐसे ग्रामों की संख्या अब तक 1069 है । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 6-7 वर्षों में सभी समस्या ग्रस्त ग्रामों को पेय जलपूर्ति की व्यवस्था करने का विचार है ।

चालू वित्तीय वर्ष में उपयुक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत समस्या ग्रस्त ग्रामों में पेयजल की व्यवस्था करने के लिए सितम्बर, 1977 में गुजरात को 230 लाख रुपये का नियतन किया गया था । 1977-78 के दौरान राज्य के रेगिस्तानी क्षेत्रों में स्थित समस्या ग्रस्त ग्रामों में पेयजल की व्यवस्था करने के लिए गुजरात को 30 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि का भी नियतन किया गया है ।

Mausoleum on the Grave of Former President

1652. **Shri Brij Raj Singh :** Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether the previous Government had formulated any scheme for raising a memorial or mausoleum at the grave of the former President; and

(b) if so the reasons for not implementing it and the proposals of the present Government in this regard ?

The Minister of Works & Housing & Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht) : (a) & (b) The previous Government had set up a Committee to consider steps for the protection, preservation and development of the grave of the late President Fakhruddin Ali Ahmed. The idea of a permanent Mazar came up later in the course of the deliberations of the Committee and a conceptual model has been prepared very recently. The stage for final decision and implementation has not yet been reached.

आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को छात्रवृत्तियां

1555. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि उच्च शिक्षा के लिये छात्रवृत्तियां तथा अन्य सहायता देते समय आर्थिक पिछड़ेपन को भी ध्यान में रखा जाये ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : (क) तथा (ख) उच्च अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु शिक्षा मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही राष्ट्रीय छात्रवृत्तियों की मुख्य योजनाएं निम्न प्रकार हैं :—

(1) राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना ;

(2) राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति योजना ;

(3) स्कूल अध्यापकों के बच्चों के लिए छात्रवृत्तियां, तथा

(4) विदेशों में अध्ययन के लिए छात्रवृत्तियां ।

इन सभी योजनाओं के अन्तर्गत, छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए, अभिभावकों की आय के रूप में आर्थिक पिछड़ेपन पर पहले ही ध्यान दिया जा रहा है । प्राप्त अभ्यावेदनों पर इसी आधार पर कार्यवाही की जा रही है ।

Diversion of Stream of Ganga off Bhagalpur

1654. **Dr. Ramji Singh** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the damage caused to trade and commerce, public health and local beauty due to the diversion of the stream of the Ganga off Bhagalpur town;

(b) if so, whether Government propose to bring this stream by the city to undo the above damage;

(c) if so, by what time and if not the reasons therefor;

(d) whether Government spend lakhs of rupees on the maintenance of embankment at Bararighat; and

(e) if so whether this expenditure can be saved by diverting the Ganga Stream along the city and if so, whether Government propose to consider this question because the Ganga has a solid bank near the city?

The Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala) : (a) to (e) No report with regard to change of course of the River Ganga near Bhagalpur has so far been received from the Bihar Government. The State Government has been requested to supply the available information, which will be placed before the House, as soon as it is received.

राजस्थान के पिछड़े क्षेत्रों में सुधार

1655. **श्री एस० एस० सोलानी :** क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की आपूर्ति की समस्याओं के समाधान सम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस बारे में चालू वित्तीय वर्ष के दौरान राजस्थान राज्य को भी दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सकन्दर बख्त) : (क) जी, हां।

(ख) समस्या ग्रस्त गांवों में पीने का पानी मुहैया करने के लिए केन्द्र द्वारा प्रवर्तित ग्राम जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत राजस्थान सरकार को सितम्बर, 1977 में 200 लाख रुपये की राशि का नियतन किया गया था। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान रेगिस्तानी इलाकों के समस्या ग्रस्त गांवों को पीने का पानी मुहैया करने के लिए 50 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि का नियतन भी किया गया है।

चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उपर्युक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत राजस्थान सरकार को गत अक्तूबर माह में 52.30 लाख रुपये की राशि (कार्य निष्पादन के लिए 50 लाख रुपये तथा जांच एकक की स्थापना के लिए 1.50 लाख रुपये और प्रबोधन सेल के लिए 80,000 रुपये शामिल है) केन्द्रीय सहायता की पहली किश्त के रूप में दी गई है।

कृषि मूल्य आयोग का पुनर्गठन

1656. **श्री पी० राजगोपाल नायडू :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि मूल्य आयोग का गठन कब किया गया था ;

(ख) क्या सरकार उक्त आयोग का पुनर्गठन करने पर विचार कर रही है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार आयोग में किसानों के प्रतिनिधि को भी रखेगी ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) कृषि मूल्य आयोग की स्थापना जनवरी, 1965 में की गई थी।

(ख) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) कृषकों को प्रतिनिधि के रूप में चौधरी रणधीर सिंह को 20 अप्रैल, 1976 से आयोग के सदस्य के रूप में पहले ही शामिल कर लिया गया है।

बाढ़ आयोग द्वारा बाढ़ग्रस्त राज्यों का दौरा

1657. **श्री के० लकप्पा :**
डा० हेनरी आस्टिन :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाढ़ आयोग ने सदैव बाढ़ से प्रभावित रहने वाले राज्यों का उन क्षेत्रों में बाढ़ के प्रभाव और समस्याओं की प्रत्यक्ष जानकारी लेने के लिये दौरा किया है ;

(ख) यदि हां, तो उन्होंने किन-किन स्थानों का दौरा किया ;

(ग) क्या उन्होंने अपने दौरे के बाद कोई प्रस्ताव दिये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उनके अध्ययन का ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) और (ख) राष्ट्रीय बाढ़ आयोग ने सितम्बर, 1977 के महीने के दौरान आयोग के विचारार्थ विषयों तथा इस संबंध में सूचना प्राप्त करने के लिए राज्यों को पहले से भेजी गई विस्तृत प्रश्नावली के सामान्य सन्दर्भ में राज्य सरकारों के साथ विचार विनिमय करने के लिए उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम, उत्तर प्रदेश और बिहार का दौरा किया था।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह सवाल पैदा नहीं होता।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् में रिक्त पड़े पद

1658. **श्री के० लकप्पा :**
डा० हेनरी आस्टिन :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् के बड़े पद काफी समय से रिक्त पड़े है ;

(ख) यदि हां, तो पदों के पूरे नाम क्या हैं और वे किस तारीख से खाली पड़े हैं ;

(ग) क्या भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् के पुनर्गठन के कारण ये पद कुछ और समय तक रिक्त पड़े रहने की संभावना है ; और

(घ) क्या अन्तिम निर्णय में विलम्ब किये जाने के कारण भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के कार्यकरण की स्थिति बिगड़ गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना प्रदान करने वाला वक्तव्य साथ संलग्न है।

(ग) और (घ) नहीं, श्रीमन्। रिक्त स्थानों की भर्ती पहले ही की जा रही है।

विवरण

प्रश्न में जिन सर्वोच्च पदों का हवाला है, संभवतया वह हवाला रु० 1800–2250 और इससे ऊपर के वेतनमानों के पदों के लिये है। इस प्रकार के 75 पद है (6 अवकाश आरक्षित पदों सहित) जिनमें से सिर्फ 11 पद रिक्त पड़े हैं। इन 11 पदों से सम्बन्धित सूचना नीचे दी जा रही है :—

क्रम सं०	पद का पदनाम तथा वेतन मान	दिनांक जिससे कि पद रिक्त पड़ा है	भर्ती की वर्तमान स्थिति
1	निदेशक, प्रकाशन तथा सूचना, भा० कृ० अ० प० मुख्यालय (रु० 2000–2250)	1-12-74	9 व 10 जून, 1975 को साक्षात्कार हुए थे किन्तु किसी को भी उपयुक्त नहीं पाया गया। इस पद के लिये दुबारा अक्तूबर 1976 में विज्ञापन दिया गया और आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम तिथि 2-12-76 थी। एस० एस० आर० बी० द्वारा साक्षात्कार की तिथि शीघ्र निश्चित की जा रही है।
2	प्रायोजना निदेशक, दालों पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान प्रायोजना, कानपुर (रु० 1800–2250)	2-1-1976	चयन किय गय उम्मीदवार की नियुक्ति का प्रस्ताव भेजा जा चुका है किन्तु उसने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है।
3	सहायक महानिदेशक, (खाद्य तथा पोषण) भा० कृ० अ० प० मुख्यालय (रु० 1800–2250)	1-2-1976	चयन किये गये उम्मीदवार को नियुक्ति का प्रस्ताव भेजा जा चुका है किन्तु उसने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है।
4	संयुक्त निदेशक, आई० ए० आर० एस०, नई दिल्ली (रु० 1800–2250) दो पद	30-4-1976	ए० एस० आर० बी० द्वारा शीघ्र ही साक्षात्कार निश्चित किये जा रहे है।

विवरण—जारी

क्रम सं०	पद का नाम तथा वेतनमान	दिनांक जिससे की पद रिक्त पड़ा है	भर्ती की वर्तमान स्थिति
5	निदेशक, तिलहन, तिलहनों के लिए अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान प्रायोजना, हैदराबाद (रु० 2000–2500)	30-6-1976	ए० एस० आर० बी० द्वारा शीघ्र ही विज्ञापन जारी किया जाने वाला है। आवेदन-पत्र प्राप्त होने की अन्तिम तिथि जनवरी 1978 में किसी समय होगी ।
6	प्रायोजना निदेशक गेहूं आई०ए० आर० आई०, नई दिल्ली (रु० 2000–2500)	13-10-1976	
7	संकाय अध्यक्ष तथा निदेशक आई० ए०आर०आई०, नई दिल्ली (रु० 2000–2500)	13-10-1976	उम्मीदवार चुना जा चुका है और सिफारिश पर प्रक्रिया जारी है।
8	सहायक महानिदेशक, प्लाट इम्प-लीमेंटेशन एण्ड मोनिटरिंग भा० कृ० अ० प० मुख्यालय (रु० 1800–2250)	18-10-1976	ए० एस० आर० बी० द्वारा शीघ्र ही विज्ञापन जारी किया जाने वाला है। आवेदन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि जनवरी, 1978 में किसी समय होगी।
9	निदेशक, कृषि के लिए केन्द्रीय स्टाफ कालेज, हैदराबाद (रु० 2500–3000)	1-2-1977	दिनांक 12-7-77 को साक्षात्कार हुए थे किन्तु किसी को भी उपयुक्त नहीं पाया गया। ए० एस० आर० बी० द्वारा व्यक्तिगत सम्पर्क प्रणाली अपनाने का निश्चय किया गया है और अब साक्षात्कार की तिथि 5 व 6 दिसंम्बर 1977 तय की गयी है।
10	निदेशक, भा० कृ० अ० प० अनु-संधान समूह, अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह (रु० 2000–2500)	1-4-1977	ए० एस० आर० बी० द्वारा शीघ्र ही विज्ञापन जारी किया जाने वाला है। आवेदन पत्र प्राप्त होने की अन्तिम तिथि जनवरी 1978 में किसी समय होगी ।

अन्तर्राष्ट्रीय खेलकूदों के लिए खिलाड़ियों का अन्तिम चयन

1659. **श्री के० लकप्पा :**
डा० हेनरी आस्टिन :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह निर्णय किया है कि भविष्य में अन्तर्राष्ट्रीय खेलकूदों में भाग लेने वाली भारतीय टीमों के लिए खिलाड़ियों तथा एथलीटों का अन्तिम चयन शिक्षा मंत्रालय करेगा ; और

(ख) यदि हां, तो यह कहां तक सच है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

केन्द्रीय मंत्रियों के लिए जनता मकान

1660. **श्री के० लकप्पा**
श्री जी० एस० रेड्डी
डा० हेनरी आस्टिन :

क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के मंत्रियो के लिए जनता मकान बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस पर कुल कितनी धनराशि खर्च होगी ;

(घ) इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है; और

(ङ) क्या मंत्रियों को जनता फ्लैट स्वीकार करने ही पडेगें ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) तथा (ख) प्रेसीडेन्ट एस्टेट के भीतर विलिंगडन क्रिसेन्ट पर मंत्रियों के लिए साधारण आवासों की व्यवस्था करने के लिए मंत्रियों के आवास समूह का निर्माण करने का प्रस्ताव है । इस क्षेत्र का विस्तृत सर्वेक्षण किया गया है जिससे पता चलता है कि मंत्रियों के लिए लगभग 40 आवास स्थान बनाना संभव होगा । मौजूदा प्रस्ताव के अनुसार, मंत्री के बंगले के मुख्य भवन का कुर्सी क्षेत्रफल 3000 वर्ग फूट होगा और इसमें कार्यालय का भाग शामिल नहीं होगा जिसका क्षेत्रफल लगभग 635 वर्ग फूट होगा तथा उसमें सर्वेन्ट क्वार्टर आदि भी शामिल होंगे ।

(ग) लगभग 2 करोड़ रुपये ।

(घ) मंत्रियो के मौजूदा बंगले बहुत बडा क्षेत्र घेरते है । ये पुराने है, इन्हे यथा समय गिरा दिया जायेगा तथा इस क्षेत्र का पुनर्विकास किया जायेगा ।

(ङ) आशा है कि प्रस्तावित आवासों के निर्माण हो जाने के पश्चात् मंत्रीगण इन आवासों में चले आएगें ।

मेहसाना में कम लागत वाली खाद्य एलजेई की खेती

1661. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि मेहसाना में कोआपरेटिव दूधसागर डेयरी का एक अनुसंधानकर्ता 'बायो एरिएशन' नामक नये तकनीक का उपयोग करके कम लागत वाली खाद्य 'एलजई' की खेती करने में सफल हो गया है जैसा कि 28 अक्तूबर, 1977 के 'फाइनेनशियल एक्सप्रेस में छपा है; और

(ख) यदि हां, तो समूचे देश में कम लागत वाली बड़े पैमाने पर एलजेई के उत्पादन के लिये इस तकनीक का उपयोग करने के कोई प्रयत्न किये गये है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) मेहसाना की दूध सागर डेरी की मेहसाना जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक यूनियन लि० द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार दूध सागर अनुसंधान संघ द्वारा विकसित की गयी, बायो-एरियेशन' प्रणाली का उपयोग करके शेवाल (एलजेई) की खेती की तकनीक अभी प्रारंभिक अवस्था में है और न तो इसकी रिपोर्ट अभी राज्य सरकार को भेजी गयी है और न केन्द्र सरकार को।

भारतीय कृषि अनसंधान परिषद् ने पहले ही शवाल को प्रोटीन क्षमता के स्रोत के रूप में मान्यता दे दी है। और शैवाल की किस्मों (स्केनेडेसमस) के विशुद्ध रूप में कम कीमत पर पशुओं को खिलाने के लिये उत्पादन पर वर्ष 1975-76 में पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट द्वारा अनुसंधान की गयी है। अच्छे गुण युक्त, चर्बी विटामिन तथा खनिजोसे भरपूर अधिकतम प्रोटीन युक्त पशु आहार जिसको पशुओं को खिलाने के लिये सांद्र के रूप में उपयोग किया जा सकता है के उत्पादन की प्रणाली का विकास कर लिया गया है। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के सहयोग से शैवाल पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान प्रायोजना प्रारंभ कर दी है। शैवाल के व्यापक उत्पादन और पोषण अध्ययन केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, मैसूर, पांडिचेरी के ओरोबिले केन्द्र, भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर, राष्ट्रीय पोषण संस्थान, हैदराबाद, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान नागपुर तथा केन्द्रीय लवण तथा समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान, भावनगर में प्रगति पर है।

अनाजों का भंडार कम करने और पोषक खाद्य-पदार्थ प्रदान करने हेतु भारतीय खाद्य निगम का अनाजो को प्रोसेस करने का प्रस्ताव

1062. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम का रक्षित भंडारों के अनाजों को प्रोसेस करने का कोई विचार है ताकि इन भंडारों को कम किया जा सके और लोगों को पोषक सहायक खाद्य पदार्थ उपलब्ध किया जा सकें ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

जल्दी उगने वाले वृक्षों की किस्मों के उपयोग की योजना

1663. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे जंगलों में शीघ्र उगने वाले वृक्षों की किस्मों का उपयोग करने की कोई व्यापक योजना विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख) : जल्दी उगने वाले किस्मों के वृक्ष लगाने की योजना पहले पहल तीसरी पंच वर्षीय योजना की अवधि के दौरान केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूपमें शुरू की गई थी । यह योजना तासरी योजना (1966-69) अवधि के बाद राज्य क्षेत्र को स्थानान्तरित की गई थी और इसे राज्य क्षेत्र की अभिशात योजना के रूपमें जारी रखा जा रहा है । वन विकास निगम अपने रोपण कार्यक्रम में जल्दी उगने वाले वृक्ष लगाने का कार्य भी करेंगे । केन्द्र द्वारा प्रायोजित सामाजिक वानिकी योजनाओं के अन्तर्गत भी जल्दी उगने वाले किस्मों के वृक्ष लगाए जायेंगे । जल्दी उगने वाली किस्मों सामान्यतया 8 से 30 वर्षो के चक्र-क्रममें होती हैं और लुगदी तथा कागज उद्योग में प्रयोग के लिये लकड़ी की लुगदी की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिये उष्णकटिबंधीय देवदारु, चौड़े पत्ते तथा ईंधन की किस्में और गांव तथा अर्ध-शहरी आबादी को लघु टिम्बर और ईंधन की मांगें इनमें शामिल हैं ।

नगरीय आवास के विकास के लिए 'हुडको' का योगदान

1664. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नगरीय आवास के विकास के लिए 'हुडको' को अपने प्रमुख साधन के रुप में उपयोग करने का निर्णय दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या विभिन्न नगरीय विकास प्राधिकरण अपने आवास कार्यक्रम 'हुडको' को सौंप देंगे और

(ग) क्या 'हुडको' की पुंजी में वृद्धि की जाएगी जिससे उनके बढ़े हुए कार्यक्षेत्र को पूरा किया जा सके ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) हुडको शहरी आवास के लिए वित्त व्यवस्था करने हेतू राष्ट्रीय स्तर का एक महत्वपूर्ण संस्थान है ।

(ख) हुडको की गतिविधियां मुख्य रूप से अभी तक केवल विभिन्न एजन्सियों के आवास कार्यक्रमों की वित्त व्यवस्था तक ही सीमित थी । तथापि, हुडको विकास प्राधिकारणों के आवास कार्यक्रम भी आरम्भ कर सकता था यदि किसी प्राधिकरण से उन्हें ऐसे अनुरोध प्राप्त होते ।

(ग) जी, हां ।

दिल्ली में भिखारी

1665. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली सघ राज्य क्षेत्र में भिखारियों की संख्या का पता लगाने के लिए हाल ही में एक व्यापक सर्वेक्षण किया गया है: और

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है और दिल्ली में भीख मांगना बंद करने के लिए सरकार का क्या आवश्यक कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) जी, हां।

(ख) बम्बई भिक्षावृत्ति निवारक अधिनियम, 1959 दिल्ली में लागू है। इस अधिनियम के अधीन, भिखारियों को पकड़ने के लिए एक विशेष भिक्षावृत्ति दस्ता अभियान चलाता है। स्वत: रोजगार के लिए प्रशिक्षण के माध्यम से भिखारियों को पुनर्वासित करने के लिए प्रयत्न किए जाते हैं।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के कार्यकरन का अध्ययन करने के लिए समिति

1666. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली विकास प्राधिकरण के कार्यकरण का अध्ययन करने के लिए एक उच्च स्तर की समिति नियुक्त की है; और

(ख) यदि हां, तो इसके निर्देशपद क्या है और समिति को अपना प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां।

(ख) समिति के निर्देशपद तथा उसे रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए दिया गया समय इस प्रकार है :–

(1) जिन लक्ष्यों के लिए प्राधिकरण की स्थापना की गई थी उनकी दृष्टि में रखते हुए दिल्ली विकास प्राधिकरण के कार्यकरण तथा कार्यों का समग्र रूप से मूल्यांकन करेगा ;

(2) जिन लक्ष्यों के लिए प्राधिकरण की स्थापना की गई थी उनकी पूर्ति किस किस सीमा तक हो पाई है और परिवर्तित स्थितियों उसके बाद की घटनाओं के संदर्भ में प्राधिकरण के लक्ष्यों का पूननिर्धारण करना है अथवा नहीं, इस पर विचार करना ;

(3) इसके द्वारा अपेक्षित उत्तरदायित्वों के लिए इसकी उपयुक्तता के संदर्भ में प्राधिकरण के संगठनात्मक ढांचे पर विचार करना ;

(4) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा इस समय अपनाई जा रही वित्त प्रक्रिया का अध्ययन और यदि आवश्यक हो तो संशोधनों का सुझाव देना। समिति विशेष तौर पर प्राधिकरण के विभिन्न कार्यों के वित्त प्रबंध का अध्ययन करेगी तथा यह देखेगी कि सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित किए गए विनियमों के किस सीमा तक ये अनुरूप है।

(5) मूल्य निर्धारण सहित भूमि/प्लाट और निर्मित आवास का विक्रय/आबंटन के बारे में प्राधिकरण द्वारा अपनाई गई नीतियों का पुनरीक्षण करना ;

(6) सरकार द्वारा समय समय पर प्राधिकरण को जारी किए गए कानून के प्रावधानों तथा निर्देशनों के अनुरूप प्राधिकरण द्वारा पालन की जा रही वर्तमान गतिविधियो की जांच पड़ताल करना;

(7) प्राधिकरण का सुव्यवस्थित और समन्वित रूप से कार्य संचालन के बारे में लिए जाने वाले आवश्यक कदमों, यदि कोई हो, को सुझाने के लिए दिल्ली प्रशासन, दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगरपालिका, दिल्ली विद्युत् प्रदाय संस्थान, दिल्ली परिवहन निगम आदि जैसे अन्य आन्तरिक अभिकरणो के साथ प्राधिकरण के संबंधों का निर्धारण करना ; और

(8) उपर्युक्त विचारार्थ विषय और कोई अन्य संबंधित मामले पर सिफारिश करना ।

समिति को कहा गया है कि वे कार्य आरम्भ करने की तारीख से 4 मास के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे ।

नगरीय भूमि अधिकतम सीमा विधेयक

1667. **श्री के० माया तेवर :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नगरीय भूमि अधिकतम सीमा विधेयक को लागू करने के लिए क्या विशिष्ट व्यवस्था विद्यमान है ;

(ख) किन मामलो में इस अधिनियम का उल्लंघन पाया गया है और उनमें क्या कार्यवाही की गई है, और

(ग) अधिनियम के सामाजिक उद्देश्यों को पूर्णत: न सही कम से कम आंशिक रूप से पूरा करने के लिए क्या ठोस उपाय किए जाने का प्रस्ताव है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जिन राज्य सरकारों ने नगर भूमि (अधिकतम सीमा तथा बिनियमन) अधिनियम, 1976 के कार्यान्वियन का उत्तरदायित्व किया है उन्होंने इस अधिनियम के अन्तर्गत कार्य संचालन के लिए सक्षम प्राधिकरियों की नियुक्ति कर ली है । नगर भूमि न्यायाधिकरणों की घोषणा कर दी गई है । अपील प्राधिकरण निर्धारित किए गए है और इस अधिनियम के कार्यान्वियन पर ध्यान देने और शीघ्र कार्यवाही करने के लिए उपाय सुझाने के लिए उच्च स्तरीय समन्वय समितियों का गठन किया गया है ।

(ख) दिल्ली प्रशासन और उत्तरप्रदेश शासन ने इस अधिनियम की धारा 29 के उल्लंघन के कुछ मामलों की सूचना दी है और इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार आगे उचित कार्यवाही की जा रही है ।

(ग) इस अधिनियम को सामाजिक उद्देश्य प्राप्त करने के लिए ठोस कदम उठाना अधिनियम के कार्यान्वियन के लिए उत्तरदायी राज्य सरकारो के प्रशासनिक तन्त्र का काम है ।

Seed for Rabi Crop

1668. **Shri Surendra Bikram :** Will the Minister of **Agriculture & Irrigation** be pleased to state:

(a) the area of land in which crops are likely to be sown or is there a target to sow crops in the current Rabi sowing season in the country;

(b) whether there is adequate provision for the seeds for Rabi crops for this target; and

(c) whether the agriculturists do not have good seeds as the seeds had got wet in the barns last year itself?

The Minister for Agriculture & Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala) : (a) The average area under Rabi foodgrains during the last five years is around 43 million hectares. It is expected that the acreage under foodgrains during the current rabi season might exceed this average. However Government have fixed no season-wise target for area coverage.

(b) it was indicated by the State Governments during a series of consultations prior to the Rabi 1977-78 sowings that they anticipate no shortfall of seeds for the current Rabi sowings in respect of major foodgrains except in the case of wheat.

(c) During the months of April/May 1977, unseasonal rains at harvest time in major wheat producing States damaged considerable quantities of the crops rendering it unsuitable for seed purposes. State Governments were therefore, advised to caution the farmers sufficiently in advance of the sowing season that the grain retained by them may not be suitable for seed purposes and as such they should make alternative arrangements. The State Governments were also advised to avail of some quality grain available with F.C.I. for planting purposes in case they anticipate overall shortfall. Certain States accordingly availed of this facility.

चण्डीगढ़ में हरिजनों के लिए बने मकानों का दुरुपयोग

1669. **श्री ओम प्रकाश त्यागी** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री 18 अक्तूबर, 1977 के ट्रिब्यून के पृष्ठ 3 पर हरिजनों के लिए बन मकानों के दुरुपयोग के बारे में छापे समाचार के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चण्डीगढ़ प्रशासन ने गांव में हरिजनों के लिए कुल कितने मकान बनाये थे ;

(ख) उनमें से कितने मकान वास्तव में हरिजनों को दिए गए हैं;

(ग) क्या यह सच है कि अनेक मकान उच्च अधिकारियों के संबंधियों को दे दिए गए है;

(घ) यदि हां, तो उन अधिकारियों के नाम क्या है जिन्होंने ये अवैध आबंटन करवाये है; और

(ङ) इस घोटाले के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) विशेष रोजगार कार्यक्रम के अधीन वर्ष 1972–73 में 16 मकान बनाये गए थे जिनमें खड़ा अलीशर और मलोग में प्रत्येक में 8 मकान है। अनुसूचीत जाति के पात्र उम्मीदवारों और 3000 रुपये से कम वार्षिक आय वाले अन्य व्यक्तियों अथवा डिप्टी कमिश्नर को अध्यक्षता में इस प्रयोजन के लिए बनाई गई समिति द्वारा पात्र घोषित किसी व्यक्ति को इन मकानों के देने के लिए प्रशासन ने नियम बनाये है।

(ख) ये सभी 16 मकान हरिजनों को आवंटित किए गए है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) तथा (ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

Opening of Central School in Varangaon Defence Production Factory

†1670. **Shri Laxman Rao Mankar:** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether in the absence of a Central School in Varangaon Defence Production Factory in Maharashtra there is a great problem for the education of the children;

(b) if so, the reasons for not opening a Central School there; and

(c) the action proposed to be taken by Government for opening a Central School there?

The Minister of State in the Ministry of Education, Social Welfare and Culture (Smt. Renuka Devi Barakataki): (a), (b) and (c) Kendriya Vidyalayas in Defence Establishments are opened on the specific recommendations of Ministry of Defence. No request has been received in the Kendriya Vidyalaya Sangathan for the opening of a Kendriya Vidyalaya at Varangaon Defence Production Factory.

"श्वेत क्रान्ति" के अन्तर्गत कार्य

1671. श्री यज्ञदत्त शर्मा : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गत तीन वर्षों में 'श्वेत क्रान्ति' की दिशा में कहां कहां कितना कितना काम किया गया है, और;

(ख) आगामी तीन वर्षों के लिए सरकार की क्या योजना है?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) देश में दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए पिछले तीन वर्षों की गतिविधियां और कार्य निम्नलिखित है :—

(1) **सघन पशु विकास परियोजनाएं** : देशभर में इस समय 90 ऐसी परियोजनाएं कार्य कर रही है। ये परियोजनाएं लगभग 8000 कृत्रिम वीर्याधान उपकेन्द्रों के द्वारा लगभग 90 लाख प्रजनन योग्य गोपशुओं की आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। ये परियोजनाएं चारा विकास कार्यक्रम, पशु स्वास्थ्य रक्षा और दूध के विपणन के कार्य भी करती है।

(2) **प्रमुख ग्रामीण खण्ड** : लगभग 550 ऐसे खण्ड है जिनके लगभग 5000 कृत्रिम गर्भाधान उपकेन्द्र है। उनसे लगभग 60 लाख प्रजानन योग्य गोपशुओं की आवश्यकताएं पूरी होती हैं।

(3) **केन्द्रीय और राज्य पशु प्रजनन फार्म** : विभिन्न राज्यों में लगभग 170 पशु प्रजनन फार्म हैं जिनके कार्य निम्नलिखित हैं:—

(क) स्थानीय पशुधन के उन्नयन के लिए पशु के विकास परियोजनाओं में वितरण हेतु देशी नस्लों के बढ़िया साण्डों का उत्पादन।

(ख) देशी गायों के संकर प्रजनन में लगी परियोजनाओं को सम्भरण करने के लिए विदेशी डेरी टाइप प्रजनन साण्डों का पालन-पोषण।

(4) इसके अतिरिक्त केरल, पंजाब, बंगलौर, मण्डी, अलमोड़ा, हरियाणा, और असम में केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म हैं ।

हिमित वीर्य बैंकों की स्थापना होने और विशुद्ध रूप से प्रजनित पशुधन के केन्द्रों की देखभाल करने से इस कार्यक्रम को और समर्थन मिलता है ।

(5) उपर्युक्त के अतिरिक्त 'आपरेशन फ्लड स्कीम' के अंतर्गत आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब और हरियाणा, इन दस राज्यों के 57 जिलो और दिल्ली के संघ राज्य में अधिक दुग्धोत्पादन के लिए एक कार्यक्रम को हाथ में लिया गया है । कार्यक्रम से लगभग 7000 डेरी सहकारी संस्थाएं बनी है जिनके अन्तर्गत कार्यक्रम के कार्यक्षेत्र के 6.8 लाख दुग्ध उत्पादनकर्ता आते है ।

(6) कर्नाटक, मध्यप्रदेश, और राजस्थान, इन तीन राज्यों के कुल 22 जिलों में समेकित डेरी विकास परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक को अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी से मदद ली गई । 10 डेरी संयंत्र स्थापित करने का कार्य प्रारम्भ किया गया है और लगभग 1300 दुग्ध उत्पादन सहकारी समितियां बनाई गई हैं । ये समितियां अधिक दुग्धोत्पादन के लिए प्रजनन सुविधाएं, दाना-चारा, पशु-चिकित्सा संबंधी सहायता किसान प्रशिक्षण और विस्तार जैसे तकनीकी आदान कार्यक्रमों के अन्तर्गत सम्मिलित की गई है ।

(ख) अधिक दूध उत्पादन के लिए दूध प्राप्ति क्षेत्रों में हिमित वीर्य तकनीकी के उपयोग के द्वारा विदेशी डेरी नस्लों से पशुओं के संकर प्रजननपर अधिक बल दिया जाएगा । इसके साथ-साथ भैंस विकास कार्यक्रम को विस्तृत किया जाएगा । एक विशाल 8 वर्षीय डेरी विकास कार्यक्रम-'आपरेशन फ्लड–2' सरकार के विचाराधीन है जिसे दो चरणों में क्रियान्वित करने की योजना है । परियोजना के तहत 15 राज्यों में 25 क्लस्टर फैडरेशन और 4 'सोलस डिस्ट्रीक्ट' विकसित करने का उद्देश्य है । 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 144 नगरों में दुग्ध सम्भरण योजनाओं की स्थापना करने का भी प्रस्ताव है ।

Jurisdiction of Small Farmers Development Agency, Marginal Farmers Agricultural Labour and Drought Prone Area Programme

1672. **Shri Dharamsinghbhai Patel :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) how the extension and jurisdiction of Small Farmers Development Agency, Marginal Farmers and Agricultural Labourers and Drought Prone Area Programme are determined and the districts in Gujarat where these schemes are in operation;

(b) how the definition of these three schemes—Small Farmers, Marginal Farmers and Agricultural Labourers determined, the acreage or hectares of land holding fixed in this regard;

(c) whether it is proposed to increase the limit of 2 and 1 hectares to 4 and 2 hectares in respect of small farmers and marginal farmers respectively under the Small Farmers Development Agency; and

(d) if so by what time?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture & Irrigation (Shri Bhanu Pratap Singh) : (a) The area of operation of a composite Small Farmers Development Agency (SFDA) is determined on the basis of concentration and availability of small/marginal farmers and agricultural labourers so as to facilitate identification of approximately 50000 beneficiaries as well as suitability of the area for taking up subsidiary occupations like Dairy, Poultry, etc. The districts covered substantially under Drought Prone Area Programme (DPAP) and Command Area Development Programme (CAD) are not selected for locating SFDA projects as benefits to small and marginal farmers and agricultural labourers similar to SFDA are available under these programmes also. The following are the six districts in Gujarat State where SFDA Programme is being implemented at present. (1) Junagadh (2) Surat (3) Vadodra (4) Sabarkantha (5) Valsad and (6) Bharuch.

As regards Drought Prone Area Programme (DPAP), project area has been determined on the basis of the following objective criteria:—

(1) Periodicity of the incidence of drought,

(2) Low and erratic distribution of rain-fall, and

(3) Small extent of area under irrigation.

The districts where the DPAP is being implemented in Gujarat are Kutch, Banaskantha, Surendranagar, Rajkot, Jamnagar, Amreli and Panchmahals, inclusive of contiguous areas of Mehsana, Ahmedabad and Bhawanagar districts.

(b) The position is indicated in the attached statement.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

STATEMENT

A uniform definition of small/marginal farmers and agricultural labourers for the Small Farmers Development Agency Projects has been adopted as indicated below:

Small Farmers:—Cultivators with ownership holdings of 1.0 to 2.0 hectares of dry land. In the case of Class I irrigated land, the limit will be 50% of the above i.e. 0.50 to 1.00 hectare.

Marginal Farmers:—Cultivators with ownership holdings upto 1.00 hectare of dry land. In the case of Class I irrigated land, the ceiling will be 0.50 hectare.

Agricultural Labourers:—Cultivators without any land holding, but having a permanent homestead and deriving more than 50% of their wages from agricultural pursuits.

For Drought Prone Area Programme (DPAP), the following land holding limits have been laid down for identifying small/marginal farmers:—

(in hects.)

State (Gujarat)	Small farmers		Marginal farmers	
	Irrigated lands	Dry lands	Irrigated lands	Dry lands
(a) Arid areas—Kutch, Banaskantha & Mehsana	1.50	7.00	0.75	3.50
(b) Semi-arid areas—other districts of Gujarat	1.50	3.00	0.75	1.50

H. B. 3 Millet Seed

1673. **Shri Dharmasinghbhai Patel :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether the Central Government received any complaint about defective HB-3 millet seeds of National Seeds Corporation from Patel Engineering Corporation, Junagarh, in August, 1977 and if so, the points mentioned in the complaint;

(b) whether Government have made inquiry into the complaint and if so, when and the defects found therein;

(c) if not, when inquiry into the matter is likely to be conducted; and

(d) steps taken or proposed to be taken by Government to replace the stock of defective H.B. 3 millet seeds of the National Seeds Corporation lying with the dealers who have suffered loss as a result thereof?

The Minister for Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala): (a) to (d): Yes Sir. A complaint has been received in August, 1977, from the Patel Engineering Corporation, Junagarh, a dealer of the National Seeds Corporation in Gujarat State. The main points mentioned in the complaint are as under:—

(1) M/s Patel Engineering Corporation, Junagarh, authorised dealers of the National Seeds Corporation were supplied H.B. 3 Millet seed in 1975 which was declared impure by the Government of Gujarat.

(2) That as instructed by the National Seeds Corporation M/s Patel Engineering Corporation returned the stock to the National Seeds Corporation in order that it may be replaced.

(3) The concerned official of the National Seeds Corporation demanded some money to replace the seed, which was not paid.

(4) That the National Seeds Corporation replaced the seed with revalidated stocks which are also found to be in damaged packing, and defective, which met with consumer resistance.

(5) That in the year 1977 the complainant attempted to get the revalidated seed replaced but that the National Seeds Corporation did not accede to the request and the Government of Gujarat refused to revalidate the seed since it was found to be defective.

(6) That in spite of the complainant's requests the National Seeds Corporation has not recompensed its dealer as per the terms of agreement between the dealer and supplier, (National Seeds Corporation).

The complaint is being enquired into. The information solicited by the Honourable Member will be laid on the Table of the Lok Sabha on completion of the enquiry.

Reduction in Prices of Fertiliser

1674. **Shri Dharmasinghbhai Patel:** Will the Minister of **Agriculture & Irrigation** be pleased to state :

(a) the names of the fertiliser prices of which have been brought down during the period from 1st April, 1977 to 31st October, 1977 and the extent to which the prices thereof have been brought down in each case;

(b) whether the prices of the fertilisers are still very high and if so, the names of the fertilisers prices of which would now be reduced indicating the time by which and the extent to which the prices thereof would be reduced; and

(c) how the prices of fertilisers are determined by Government, Semi-Government and private companies?

The Minister for Agriculture & Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala) : (a) During the period from 1st April 1977 to 31st October, 1977, the retail price of Urea has been reduced by Rs. 100 per tonne from Rs. 1650 per tonne to Rs. 1550 per tonne. According to available information M/s Indian Farmers Fertilisers Cooperative Ltd., reduced the retail prices of NPK 10-26-26 by Rs. 100 per tonne and of NPK 12-32-16 by Rs. 130 per tonne. Prices of Single Superphosphate were also reduced by some of the manufacturers. (The extent of reduction differs from Unit to Unit and from State to State).

(b) The prices of fertilisers today are substantially less than what they were in June, 1974. For example, the price of Urea is now down by 22.5%, of Di-Ammonium Phosphate by 26.5%, of Ammonium Nitro-Phosphate (20-20-0) by 14.3% of NPK (17-17-17) by 30.1% and of Muriate of Potash by 34.6% over the prices existing in June, 1974. Government are not contemplating any further price reduction at present.

(c) The prices of straight and complex fertilisers which constitute the bulk of the fertilisers sold in the country are determined as under:—

The Government fixes the maximum retail prices of Urea, Ammonium Sulphate and Calcium Ammonium Nitrate and the retail prices of all imported fertilisers including Potassic fertilisers which are wholly imported. These prices are fixed taking into account the cost of imported fertilizers including landing, handling and other costs, the costs of indigenous production, the benefit-cost

ratio for the farmers and the ability of the farmer to pay a certain price as well as the extent of subsidy that is required and that can be afforded to a particular fertiliser.

The price of Single Superphosphate produced indigenously is determined by the Fertiliser Association of India in accordance with a formula approved by the Government.

The prices of other indigenous phosphatic and complex fertilisers which get a subsidy on P_2O_5 content are approved by the Government of India.

Use of Hindi in the Ministry

1675. **Shri Ram Naresh Kushwaha** : Will the Minister of **Agriculture & Irrigation** be pleased to state :

(a) the number of officers and employees in the Ministry and its attached offices employed for the progressive use of official language, Hindi, and the work being done by them;

(b) whether the Director Official Language, has not been given sufficient administrative powers and the recommendations made by him during the inspection carried out in the Department of Irrigation and Central Water Commission have not been implemented fully; and

(c) if so, the steps being taken to remove obstacles and tardiness in the way of the progressive use of official language Hindi in the Ministry?

The Minister for Agriculture & Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala) : (a)The list of officers and employees in the Ministry and its attached offices employed for the progressive use of Official Language Hindi is at Annexure-I. These posts are exclusively for the progressive use of Hindi in the Ministry.

(b) The duties and responsibilities attached to the post of Director (Official Language) are shown at Annexure-II. Some of the recommendations made by him have been implemented and others are being processed.

(c) Necessary steps are being take in this regard.

STATEMENT I

The following staff has been provided for the programme use of Official Language in the various Departments and their attached offices in the Ministry.

I. *Department of Agriculture (Proper).*

1.	Director (OL)	1
2.	Senior Hindi Officer	1
3.	Hindi Officers	4
4.	Senior Translators (Hindi)	9
5.	Hindi Translators Junior.	10
6.	U.D.Cs.	2
7.	L.D.Cs.	10
8.	Stenographers.	3

II. *Department of Food*

1.	Hindi Officer.	1
2.	Senior Hindi Translators.	2
3.	Jr. Hindi Translators.	2
4.	Hindi-cum-English Typists.	2

III. *Dte of Sugar.*

1.	Hindi Translator.	1

Department of Irrigation

1.	Hindi Officer.	1
2.	Translator (Gr. I)	2
3.	Translator (Gr. II)	2

Rashtriya Barh Ayog.

1.	Translator (Gr. I)	1

Central Water Commission.

1.	Hindi Officer.	1
2.	Translator (Gr. I)	1
3.	Translator (Gr. II)	3

IV. *Department of Rural Development.*

1.	Hindi Officer.	1
2.	Sr. Hindi Translator.	1
3.	Jr. Hindi Translator.	2
4.	Hindi Typist	1

Dte. of Marketing & Inspection, Faridabad (Head Office).

Jr.	Hindi Translator.	1

Dte. of Marketing & Inspection, Nagpur (Main Branch Office).

Jr.	Hindi Translator.	1

V. *Department of Agricultural Research & Education.*

1.	Hindi Officer.	1
2.	Hindi Assistant.	1
3.	Hindi Translators.	2
4.	Hindi Typists.	4

STATEMENT II

List of duties assigned to Director (Official Language):—

(i) he will be responsible for coordination of all matters for uniform formulation and implementation of language programmes in all the departments of the Ministry;

(ii) he will visit the attached and subordinate offices and autonomous organisations of all the departments for proper implementation of the Hindi programme;

(iii) The Hindi units of different departments will administratively continue under their respective departments, but they will function under the supervision and technical guidance of the Director (OL), for all purposes in matters concerning policy and implementation of the official language programmes. The Director (OL) would, in trun, be answerable to the respective Joint Secretaries dealing with Hindi work in the five departments of this Ministry; and

(iv) since the Director (OL), Department of Agriculture has been made responsible for coordination and effective implementation of the Official Language programme, he should be associated with all important decisions concerning Hindi.

विभिन्न विश्वविद्यालयों में उर्दू विभाग

1677. **श्री ज्योतिर्मय बसू : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन विश्वविद्यालयों में उर्दू भोषा और उर्दू साहित्य पढ़ाने के पृथक विभाग है;

(ख) उन विश्वविद्यालयों के प्रत्येक विभाग में कितने छात्र हैं; और

(ग) इन विश्वविद्यालयों में उर्दू भाषा, उर्दू संस्कृति और उर्दू साहित्य को उन्नति और विकास के बारे में शोध करने की क्या सुविधाएं हैं?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) , (ख) और (ग) : अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

ग्रामीण निर्माण कार्यक्रम के अन्तर्गत "काम के लिए भोजन की योजना"

1678. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल की सरकार ने उत्पादन आस्तियां और रोजगार के अतिरिक्त अवसर पैदा करने के लिए ग्रामीण निर्माण कार्यक्रम के एक अंग के रूप में जानी जाने वाली "काम के लिए भोजन" नाम से लोकप्रिय एक योजना बनाई है; यदि हां, तो उसकी मुख्य बाते क्या है;

(ख) यदि केन्द्र द्वारा उक्त योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए कोई सहायता दी जा रही है, तो वह क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने राज्यों के मार्गदर्शन के लिए कोई केन्द्रीय योजना बनाई हैं, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या इस योजना को किसी राज्य में आरम्भ किया क्या है; यदि हां, तो इस बारे में अब तक क्या प्रगति हुई हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) जी हां। भारत सरकार द्वारा दिये गये गेहूका सामंजस्य राज्य के बजट संबंधी संसाधनों के साथ स्थापित किया जाएगा ताकि ग्रामीण कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए कुल धनराशि में वृद्धि की जा सक। तालाबों, जल निकास नालियों के विकास की योजनाओं के कार्यान्वयन तथा ग्रामीण सड़कों के सुधार के अलावा पेडबन्दों, भूमि तथा जल संरक्षण, वनरोपण जैसे अन्य आधारभूत कार्यों के सृजन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में जल संसाधनों के पुनर्जीवीकरण तथा सुदृढ़करण पर बल देते हुए एक विस्तृत रोजगार उन्मुख कार्यक्रम शुरु करने की परिकल्पना की जाती है।

(ख) भारत सरकार की योजना के अन्तर्गत राज्य को बिना लागत लोक निर्माण कार्यो पर लगाए गए मजदूरों की पूर्ण या आंशिक मजदूरी की अदायगी के लिए प्रयोग करने हेतु गेहूं तथा माइलों की अतिरिक्त मात्रा उपलब्ध कराई जाती है।

(ग) लोक निर्माण कार्यों के रख-रखाव के लिए, जिस पर पहले ही काफी मात्रा में पूंजी लगाई जा चुकी थी, राज्य सरकारों को नान–प्लान धनराशि में वृद्धि करने के लिए खाद्यान्न भण्डारों का इस्तेमाल करने हेतु अप्रैल 1977 से 2 वर्ष की अवधि के लिए एक केन्द्रीय योजना आरम्भ की गई थी। योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रो में लोक निर्माण कार्यों के रख-रखाव पर राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र सरकारों के व्यय के वर्तमान स्तर के 30 प्रतिशत के मूल्य के बराबर गेहूं तथा माइलो को अतिरिक्त मात्रा राज्य/ केन्द्र शासित क्षेत्र सरकारों को बिना लागत के उपलब्ध कराई जाती है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में लोक निर्माण कार्यों के रख-रखाव में लगे मजदूरों को सारी या आंशिक मजदूरी की अदायगी के लिए उसका उपयोग किया जा सके। योजना का कार्यक्षेत्र अब विस्तृत कर दिया गया है ताकि चल रही प्लान तथा नान-प्लान योजनायें पूंजीगत कार्यो की नई मदों, बाढ़ सुरक्षा संबंधी कार्यों को इसके अन्तर्गत लाया जा सके तथा कार्य परियोजनाओंके कार्यान्वयनको4 महिनेकी छोटी अवधी तक सीमित रखने को बजाय वर्षभर जारी रखा जा सके। राज्य सरकारों को खाद्यान्न उनकी आवश्यकताओं और उपयोग के अनुसार किस्तों में दिया जाता है। खाद्यान्न लोक निर्माण कार्यों के ठेकदारों के अन्तर्गत कार्य कर रहे मजदूरों को उनकी पूर्ण या आंशिक मजदूरी के रूप में उपयोग में लाया जा सकता है बशर्ते यह सुनिश्चित किया जाए कि मजदूरों को बांटे जाने वाले खाद्यान्न का ठेकदार दुरुपयोग नहीं करते है।

(घ) योजना के अन्तर्गत अब तक असम, हिमाचल, प्रदेश कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल ने खाद्यान्न सहायता का लाभ उठाया है। चूंकि योजना हाल ही में आरम्भ की गई है, अतः राज्यों द्वारा किए गए खाद्यान्नो के उपयोग तथा रोजगार अवसरों के सृजन से संबंधित रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है।

अनाज का रक्षित भंडार और उसका विवरण

1679. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, 1976, मार्च, 1977 और अक्तूबर, 1977 में सरकार के पास अनाज का कुल कितना रक्षित भंडार था;

(ख) इस योग में फाइन चावल, सुपर फाइन चावल, मोटा चावल दालों माइलों गेहूं तथा बाजर सहित प्रत्येक किस्म का कितना-कितना भंडार जमा है; और

(ग) जनवरी, 1977 से अक्तूबर, 1977 तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से राज्य-वार तथा महीनेवार कुल कितने अनाज का वितरण किया गया?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) और (ख) : केन्द्रीय और राज्य सरकारों के पास मार्च, 1976, मार्च, 1977 और अक्तूबर, 1977 के अन्त में खाद्यान्नों का कुल स्टाक नीचे दिया जाता है:--

(हजार मीटरी टन में)

समाप्त मास को	चावल†	गेहूं	मोटे अनाज*	जोड़
मार्च, 1976 . . .	4723	4859	900	10482
मार्च, 1977 . . .	6249	11122	665	18036
अक्तूबर, 1977 . .	4362	12841	181	17384

(†) किस्मवार चावल के आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

(*) विभिन्न मोटे अनाजों के ब्यौरे उपलब्ध नहीं है।

उपर्युक्त स्टाक के अलावा, भारतीय खाद्य निगम के पास मार्च, 1976, मार्च, 1977 और अक्तूबर, 1977 के अन्त में क्रमश: 15 हजार मीटरी टन, 6 हजार मीटरी टन और 20 हजार मीटरी टन दालों (चना समेत) का स्टाक भी था।

(ग) अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 1190/77]**

विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास कार्यक्रम का पूरा होना

1680. **श्री चित्त बसु** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी पाकिस्तान तथा पश्चिमी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास कार्यक्रम इस बीच पूरा हो गया है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या कोई शेष बची हुई समस्या है; और

(ग) क्या इस बारे में कोई मूल्यांकन किया गया है कि शेष समस्या अभी कितनी है?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास राज्य मंत्री (श्री राम किंकर) : भाग (क), (ख) और (ग) :

भूतपूर्व पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान से आए विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास की वर्तमान स्थिति इस प्रकार है:-

I. पश्चिमी पाकिस्तान से आए विस्थापित व्यक्ति : भूतपूर्व पश्चिमी पाकिस्तान से आए विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास का कार्यक्रम अधिकांशत: काफी पहले पूरा हो गया था। तथापि, कुछ अवशिष्ट कार्य है और वर्ष 1976-77 को समाप्त होने वाली अवधि का ब्यौरा, 1976-77 की पुनर्वास विभाग की वार्षिक रिपोर्ट के अध्याय 17 में दिया गया है। भूतपूर्व पश्चिमी पाकिस्तान से आए विस्थापित व्यक्तियों के संबंध में अपने क्रियाकलापों को समाप्त करने की सरकार की नीति का अनुसरण करते हुए, शेष निपटाई न गई निष्क्रांत और सरकार द्वारा निर्मित सम्पत्तियों तथा बकाया देय की वसूली के प्रशासन, प्रबंध, और निपटान से संबंधित अवशिष्ट कार्य संबधित राज्य सरकारों को सौंप दिया गया है / सौंपा जा रहा है। पंजाब, हरियाणा (फरीदाबाद को छोड़कर), हिमाचल प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान एवं तमिलनाडु सरकारों को अवशिष्ट कार्य पहल ही सौंपा जा चुका है। ऐसी ही व्यवस्था करने के लिए केरल, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश की राज्य सरकारों से बातचीत प्रगति पर है। दिल्ली में निपटाई न गई शेष भूमियों / सम्पत्तियों को दिल्ली प्रशासन/दिल्ली विकास प्रोधिकरण को हस्तांतरित करन के लिए कदम उठाए जा रहे है ।

II. भूतपूर्व पूर्वी पास्कितान से आए विस्थापित व्यक्ति : भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आए विस्थापित व्यक्तियों में से, 31-10-1977 को विभिन्न शिबिरों/कर्मी शिबिरों में केवल 10,555 परिवार पुनर्वास की प्रतीक्षा में हैं / आशा है कि इन सभी परिवारों को 1982-83 तक, अधिकांशत: दण्डकारण्य परियोजना में बसा दिया जाएगा। बसाए गए इन व्यक्तियों को पट्टे जारी करने और इनके गांवों एवं दण्डकारण्य परियोजना द्वारा संचालित अन्य संस्थाओं से संबंधित कार्य को उड़ीसा एवं मध्य प्रदेश की सरकारों को हस्तांतरित करने में दो या तीन वर्ष लग जाएंगे ।

पश्चिम बंगाल में विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास की अवशिष्ट समस्या के बारे में स्थिति की समीक्षा जुलाई, 1975 में सरकार द्वारा गठित कार्यकारी दल द्वारा की गई थी। जैसा कि 11-7-77 को लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3127 के उत्तर में कहा गया है, 10 मार्च, 1979 को प्रस्तुत की गई कार्यकारी दल की रिपोर्ट में दी गई सिफारिशे प्राय: स्वीकार कर ली गई है ।

भूमि की अधिकतम सीमा संबंधी कानूनों का पुनर्विलोकन

1681. **श्री चित्त बसु**
श्री नरेन्द्र सिंह :

क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भूमि की अधिकतम सीमा संबंधी कानूनों का पुनर्विलोकन करने और अधिकतम सीमा को बढ़ाने का है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता ।

Survey by National Flood Control Commission regarding Flood Control Work of Brahmaputra

1682. **Shri Nawab Singh Chauhan** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether the National Flood Control Commission has taken over the survey in regard to flood control work of Brahmaputra river ; and

(b) if so, the position in this regard and how much work is to be done and how it is proposed to be completed?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Bhanu Pratap Singh) : (a) No, Sir. Rashtriya Barh Ayog (National Flood Commission) has been constituted to conduct study in depth of policy and programme of flood control measures followed in the country so far and to evolve a coordinated, integrated and scientific approach to the flood control problem and draw up a National flood control plan.

(b) Does not arise.

Campaign to Grow Gram, Lentil, etc.

1683. **Shri Yuvraj** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether a National Campaign to grow more gram, lentil (Masur), pea and other pulses has been launched on the pattern of grow more food campaign;

(b) whether proper and timely supply of inputs, power, diesel and loans has been ensured to make this programme a success; and

(c) if so, the names of the States where proper arrangement have been made to ensure supply of these things for making this programme a success and since when, and if not, the reasons therefor?

The Minister for Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala) :

(a) Yes Sir, A national campaign to grow more gram, lentil (masur), pea and other pulses has been launched on almost the same pattern as Grow More Food Campaign;

(b) Yes Sir, the States have been directed to ensure timely supply of inputs — seeds, fertilisers, pesticides and credit. No shortage of diesel and power has been reported.

(c) The States are Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Bihar, Rajasthan, Haryana, Punjab and West Bengal.

Benefit from Agricultural Graduates

1684. **Shri Yuvraj** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) whether the number of students in the 18 Agricultural Universities of the country has risen to 44 thousands as a result of which the agriculture graduates are likely to face unemployment;

(b) whether the sons of the farmers do not get enough representation in the Agricultural Universities as a result of which the modern agriculture technique have neither benefited the 75 per cent of agricultural land nor the problem of unemployment has been solved; and

(c) whether seats are reserved for the sons of farmers in Punjab and Haryana agricultural universities?

The Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala): (a) No, Sir. The number of Agricultural Universities including the Indian Agricultural Research Institute is 22 at present. The student intake of 22 Agricultural Universities during 1976-77 was 6,571 and the output of graduates was 4,816. The total enrolment at Agricultural Universities at present is estimated about 25 thousand including Animal Science, Agricultural Engineering, Home Sciences, etc. If agricultural development schemes become fully operative, the present output of graduates can be fully absorbed.

(b) Admissions to Agricultural Universities are normally based on merit but nine Agricultural Universities have either a reserved quota or special weightage for sons of farmers.

(c) Yes, Sir. There is reservation for the sons and daughters of farmers in Punjab and Haryana Agricultural Universities to the extent of 1 and 5 per cent respectively.

The admission to various Agricultural programmes was in peak during 1966-67* where the following number of students admitted in various courses were:—

	Admission	Output
B.Sc. (Ag.)	1883	5876 (1970-71)
B.V.Sc.	1365	1086 (1970-71)
B.Sc. (Agri. Engg.)	329	255 (1972--73)
Total:—	10577	7217

As against this the present admission is as follows:—

B.Sc. (Ag.)	4114	3314
B.V.Sc.	1158	906
B.Sc. (Agri. Engg.)	395	288
B.Sc. (Home Science)	619	245
B.Sc. (Hort.)	80	60
B.Sc. (Fisheries)	40	18
B.Sc. (Dairy Technology)	165	85
Total :—	6571	4816

It is expected that this curtailment of admission will reduce the prospect of unemployment in various States. However, in the State of U.P. there are about 24 colleges offering under-graduate courses in Agriculture, most of them

producing sub-standard graduates. The unemployment problem is due mainly to the un-planed growth of affiliated colleges and uncontrolled admissions and output from them.

Admissions to Agricultural Universities are normally based on merit. However, the following nine Agricultural Universities give special weightage/ reservations for admission to the sons and daughters of farmers :—

1. Andhra Pradesh Agricultural University, Hyderabad	25%
2. Konkan Krishi Vidyapeeth, Dapoli	15%
3. Punjabrao Krishi Vidyapeeth, Akola	15%
4. Mahatma Phule Krishi Vidyapeeth, Rahuri	15%
5. Marathwada Agricultural University, Parbhani	15%
6. Punjab Agricultural University, Ludhiana	1%
7. Haryana Agricultural University, Hissar	5%
8. Orissa University of Agri. & Technology	Special quota
9. University of Agricultural Sciences, Bangalore	Special quota

* Figures include data for affiliated colleges also.

Intensive Pulse Development Programme

1685. **Shri Yuvraj** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether intensive development programmes for pulses have been undertaken in 40 selected districts of 13 pulses producing States and if so, the States in which these programmes have been started; and

(b) whether State Governments have not yet provided assistance for organising demonstrations, supply of hybrid and certified seeds at fair prices and controlling insects and diseases affecting the production of pulses with a view to enable farmers to cultivate pulses with improved techniques and if so, when financial assistance therefor will be provided and in case no financial assistance is to be provided, the reasons therefor?

The Minister for Agriculture & Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala) : (a) Yes, Sir. They have been undertaken in the States of Andhra Pradesh, Bihar, Gujarat, Haryana, Karnataka, Madhya Pradesh, Maharashtra, Orissa, Punjab, Rajasthan, Tamil Nadu, U.P. and West Bengal.

(b) The Centrally sponsored scheme on Development of Pulses is being continued during 1977-78 in all the above-mentioned States. The pattern of financial assistance includes subsidies for (i) laying out of demonstration on farmers field to motivate them to adopt improved techniques, (ii) production and supply of improved varieties of pulses, (iii) plant protection chemicals, and equipment for adoption of need-based plant protection measures by the farmers to control insects, pests and diseases.

Progress in Development of underground Water Resources

1686. Shri Yuvraj: Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) whether two Central teams have been constituted to assess the progress made in regard to development of underground water resources in the Eastern States which have potentials for development;

(b) whether these teams have toured 11 States of the country to review the implementation of the minor irrigation there, if so, whether the teams have pointed out difficulties in the way of proper utilisation of institutional investments and also in acquiring pumping sets and they have also suggested that their difficulties should be removed; and

(c) if so, the extent of the progress made in this regard and the names of the States where Central Schemes have been undertaken to strengthen the underground water organisations there?

The Minister for Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala): (a) Yes, Sir. Two Central Teams were constituted to monitor the programme of ground water development in the six States of Eastern Region, viz. Assam, Bihar, M.P., Orissa, U.P. and West Bengal where there is yet considerable potential for further ground water development.

(b) No, Sir. These two teams have been touring only the six States mentioned in 'a' above.

However, the Planning Commission had constituted in September, 1976, six Central Teams headed by Advisers of Planning Commission to review the Minor Irrigation Programme in the States, viz. Andhra Pradesh, Bihar, Karnataka, Kerala, M.P., Maharashtra, Orissa, Rajasthan, Tamil Nadu, U.P. and West Bengal. The teams had pointed out that mobilisation of institutional investment and progress of energisation of pumpsets had been below expectations. They had suggested certain specific measures to improve the progress.

(c) The institutional investment and pace of energisation have gone up in the 11 States as would appear from the following table:

	Scheme	1975-76	1976-77
1.	Institutional investment (Rs. in crores)	131.95	170.82
2.	Energisation of pump sets (in lakh nos.)	1.24	1.61

The Centrally Sponsored Scheme for strengthening State Ground Water Organisations has been sanctioned in the States of Haryana, U.P., Maharashtra, Orissa, Kerala, A.P., Bihar, Tripura, M.P., Gujarat, West Bengal and Tamil Nadu.

खरीफ की फसल की संभावनाएं

1687. श्री एस० आर० रेड्डी :

श्री बालासाहिब विखे पाटिल :

क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष की खरीफ की फसल का अनुमानित उत्पादन कितना है; और

(ख) फसल की अधिकतम वसूली करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सूरजीत सिंह बरनाला) : (क) विभिन्न राज्यों से 1977-78 के, लिए खरीफ फसलों के उत्पादन के अनुमान के प्राप्त होने का समय अभी नहीं हुआ है। तथापि वर्तमान संकेतों के अनुसार खरीफ धान्यों का उत्पादन अच्छा होने की आशा है।

(ख) राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों तथा भारतीय खाद्य निगम से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि खरीफ धान्यों के लिए उचित तथा पर्याप्त मूल्य साहाय्य के प्रबंध किए जाएं और सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अधिक से अधिक अधिप्राप्ति की जाएं। अब तक (24 नवम्बर, 1977) चालू मौसम के दौरान चावल की कुल अधिप्राप्ति 11.3 लाख मीटरी टन के स्तर पर पहुंच गई है जो कि गत वर्ष की तदनुरूपी अवधि के दौरान वसूल की गई 2.5 लाख मीटरी टन की मात्रा से अधिक है।

दिल्ली में पुनर्वास बस्तियों का विद्युतीकरण

1688. श्रीमती पार्वती कृष्णन : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली की अधिकांश पुनर्वास बस्तियों में बिजली नहीं है;

(ख) क्या दिल्ली विद्युत प्रदाय उपक्रम ने इन बस्तियों के विद्युतीकरण के लिए कोई योजना तयार की है;

(ग) यदि हां, तो क्या निधियों के अभाव में कुछ योजनाओं के निकट भविष्य में क्रियान्वित होने की आशा नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार इन योजनाओं को क्रियान्वित के लिए दिल्ली विद्युत प्रदाय उपक्रम को आवश्यक निधियां देने को तैयार होगी?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क), (ख), (ग) तथा (घ) : सभी पुनर्वास कालोनियों में सड़क बत्तियों की व्यवस्था है, लेकिन 25 वर्गगज के प्लाटों में व्यक्तिगत तौर पर बिजली के कनेक्शन की व्यवस्था नहीं है। दिल्ली विद्युत वितरण संस्थान ने क्षेत्र का निरीक्षण किया है और आवश्यकता का अनुमान लगाने के बाद एक अनुमान प्रस्तुत किया है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने निधियां मांगी है लकिन अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

मत्स्य ग्रहण नौकाओं के निर्माण के लिए नार्वे से सहायता

1689. **डा० बसन्त कुमार पंडित :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठ मत्स्य ग्रहण नौकाओं के निर्माण के लिये भारत को नार्वे से वित्तीय तथा तकनीकी सहायता मिली है;

(ख) यदि हां, तो नौकाओं का निर्माण कब और कहां होगा; और

(ग) इन नौकाओं का संचालन कौन सी संस्था करेगी और किस जल में ?

कृषि और सिंचाई में मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी, हां ।

(ख) गोवा शिपयार्ड लि०, गोवा में दो नौकाओं का निर्माण किया जा रहा है । शेष नौकाओं के संबंध में मामला विचाराधीन है ।

(ख) सर्वेक्षण नौकाओं का संचालन समन्वेषी मत्स्य की परियोजना, बम्बई द्वारा भारत की समुद्री सीमा में किया जाएगा । प्रशिक्षण नौकाओ का संचालन केन्द्रीय मत्स्य की पोत संचालन और इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान, कोचीन तथा कन्द्रीय मत्स्य की शिक्षा संस्थान, बम्बई द्वारा किया जाएगा।

विदेशों को सहायता से साइलो बनाना

1690. **श्री बसन्त कुमार पण्डित :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्यान्नो के भंडारण के लिए साइलो बनाने हेतु विदशी विशेषकर आस्ट्रेलिया, कनाड़ा और संयुक्त राज्य अमरीका ने सहायता की पेशकश की है और यदि हाँ, तो इस प्रकार भी भंडारण की कितनी क्षमता प्राप्त हो जायेगी और किन शर्तों पर; और

(ख) पत्तनों के नजदीक साइलो बनाने हेतु विश्व बैंक के साथ कितने धन की बातचीत हुई है और कितनी राशि को अन्तिम रुप से स्वीकार किया गया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) खाद्यान्नो का भण्डार करने के लिए भण्डारण क्षमता का निर्माण करने हेतु आस्ट्रेलिया, कनाड़ा और संयुक्त राज्य अमरिका से सम्भव सहायता देने संबंधी संकेत मिले है । तथापि, इस संबंध मे अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है ।

(ख) विश्व बैंक की सहायता प्राप्त भंडारण कार्यक्रम के अधीन बंदरगाह साईलो के निर्माण करने के लिए लगभग 17 करोड़ रुपये के परिव्यय की परिकल्पना की गई है ।

दिल्ली में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को उनकी पात्रता से एक टाइप कम का क्वार्टर आबंटित करने की पद्धति का समाप्त किया जाना

1691. **डा० बसंत कुमार पंडीत :** क्या निर्माण और आवास तथा पुर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को उनकी पात्रता से एक टाइप कम का क्वार्टर आबंटित करने की पद्धति को समाप्त करने के क्या कारण है;

(ख) क्या इस परिवर्तन के कारण वे कर्मचारी जो आबंटन की सूची में वरिष्ठ है तथा अपनी पात्रता से एक टाइप कम का क्वार्टर लेने के इच्छुक है क्वार्टर प्राप्त करने से वंचित हो गए है तथा अपने टाइप की पात्रता की सूची में कनिष्ठ हो गए है तथा जब तक वे अपनी सूची में वरिष्ठ होंगे तब तक उनके वेतनमान में वृद्धि के कारण पात्रता में परिवर्तन होने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार का विचार अपने इस निर्णय में संशोधन करने तथा भूतलक्षी प्रभाव से यथा स्थिति कायम करने का है; और

(घ) क्या सरकार का विचार कोई ऐसी योजना भी बनाने का है जिससे कम से कम उन कर्मचारियों को सरकारी मकान मिल सके जो दस साल की अवधि से भी अधिक समय से नौकरी कर रहे हैं तथा जिनका दिल्ली में अपना कोई मकान नहीं है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) टाइप-II से IV तक के पात्र अधिकारियों के बारे में एक श्रेणी नीचे का वास आबंटित करने की प्रणाली समाप्त करने का निर्णय एक दशक पूर्व लिया गया था। यह निर्णय निम्न टाइप में परितुष्टि की कम प्रतिशतता को देखते हुए किया गया था।

(ख) कोई सांख्यिकीय आंकड़े उपलब्ध नहीं है तथापि एक निर्णय के अनुसार जिन अधिकारियों के नाम टाइप-I, II तथा III के लिए प्रतीक्षा सूची में शामिल किए गए थे लेकिन उन्हें कोई मकान आबंटित नहीं किया गया क्योंकि उनकी ऐसे आबंटन के लिए बारी नहीं आई थी और वे इस दौरान अगले आबंटन वर्ष के आरम्भ से उच्चतर टाइप के लिए पात्र बन गए। उनकी अग्रता तिथि के आधार पर आबंटन वर्ष के आरम्भ होने से पूर्व उनकी पात्रता के टाइप से निचले टाइप के आबंटन के लिए ऐसे अधिकारियो के अभ्यावेदन पर विचार किया जा सकता है। ऐसे अधिकारी जो उच्चतर टाइपों नामत: टाइप-V तथा उससे उपर के पात्र हो गए है, वे अपने निचले टाइप के आबंटन के लिए आवेदन कर सकते हैं।

(ग) जी, नहीं। जब अगले आबंटन वर्ष के लिए आवेदन पत्र मांगे जाएंगे तो सुझाव पर यथोचित विचार किया जाएगा।

(घ) अधिकारियो की प्रतीक्षा की अवधि को कम करने के लिए सामान्य पूल वास के मकानों की संख्या में पर्याप्त रूप से वृद्धि करने का प्रस्ताव है।

दिल्ली नगर निगम की वित्तीय सहायता

1692. **श्री बसन्त कुमार पंडित** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली नगर निगम ने ग्रामीण क्षेत्रों तथा शहरीकृत ग्रामों के सम्बन्ध में विशिष्ट दायित्वों को पूरा करने के लिए चालू वित्तीय वर्ष के लिए एक करोड़ रुपये की अतिरिक्त वित्तीय सहायता के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि स्थायी समिति के सभापति ने केन्द्रीय निर्माण तथा आवास मंत्री से इन योजनाओं पर बातचीत की है; और

(ग) क्या सरकार को ऐसी योजनाओं के लिए विशिष्ट सहायता अनुदान के बारे में मोरारका आयोग की सिफारिशों की जानकारी है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकंदर बख्त) : (क) (ख) तथा (ग) : जी, हां ।

(घ) दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र योजना में पहले ही सम्मिलित ग्रामीण क्षेत्र प्लान योजनाओं के लिए खर्च की सीमा तक सहायता अनुदान पहले से दिया जाता है । एक करोड़ रुपये की अतिरिक्त वित्तीय सहायता के अनुरोध पर विशेष निर्णय अभी तक नहीं लिया गया है ।

Non-vacation of Government Accommodation by Ex-Executive Councillors, Ex-Ministers and Ex-Members

1693. **Shri Rameshwar Patidar** : Will the Minister of **Works, Housing & Supply and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether the former Executive Councillors, Ministers and Members of Parliament have still not vacated Government accommodation;

(b) if so, their names; and

(c) the action taken so far for getting the Government accommodation vacated?

The Minister of Works and Housing and Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht) : (a) to (c) : No former Minister, who is not a Member of either House of Parliament, is occupying accommodation.

11 former M.Ps and 1 former Executive Councillor have still not vacated Government accommodation. Their names are indicated in the statement annexed. Action under the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 is in progress. In the case of Shri Mahavir Tyagi, he was allowed to retain the accommodation upto the period ending 1-11-77 on grounds of ill health. The case of Shri Mahavir Tyagi is under review.

STATEMENT

Statement showing the names of former members of Parliament/Executive Councillor who have still not vacated Government Accommodation

General Pool Accommodation

1. Shri Tulmohan Ram.

Lok Sabha Pool Accommodation

2. Shri Mohinder Singh Gill.
3. Shri Kartik Oran.
4. Shri Jambuwant Dhote.
5. Shri H. N. Mukherjee.
6. Shri S. S. Mohapatra.

7. Shri S. M. Banerjee.
8. Shri Vijai Pal Singh.
9. Shri V. Shankar Giri.

Rajya Sabha Pool Accommodation.

10. Shri B. T. Kulkarni.

Rajya Sabha Pool Accommodation.

11. Shri Mange Ram.

Case under Review

12. Shri Mahavir Tyagi.

Factors for Selecting Major Irrigation Schemes

†1694. **Shri Ramanand Tiwari :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) the factors taken into account while selecting major irrigation schemes;

(b) the arrangements made by the Department of Irrigation and the Central Water Commission to assess the cost and advantages of schemes; and

(c) whether opinion of expert economist is sought in this regard as suggested by the World Bank?

The Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala): (a) Schemes having culturable command area of more than 10000 hectares are, at present, being classified as Major Irrigation Projects. Irrigation is a State subject and irrigation projects are planned, investigated and formulated by the State Governments on the basis of their techno-economic feasibility.

(b) & (c): The Project report submitted by the State Governments are examined in the specialised Directorates of the Central Water Commission, Water Management Division in the Department of Agriculture and the Finance Section of the Department of Irrigation. The economic viability of irrigation projects is judged on the basis of benefit cost ratio and projects having benefit cost ratio of 1.5:1 or more are considered acceptable, except that in case of schemes in drought areas, a lower figure of benefit cost ratio upto 1:1 is accepted.

Imbalance in Education between Rural and Urban Areas

†1695. **Shri Ramanand Tiwari :** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) the number of students in the urban areas for whom a teacher has been appointed in the schools and also the number of students in the rural areas for whom a teacher has been appointed; and

(b) the reasons for disparity, if any, and steps likely to be taken to remove the imbalance between rural and urban areas ?

The Minister of State in the Ministry of Education, Social Welfare and Culture (Smt. Renuka Devi Barakataki): (a) According to the data compiled in the third educational survey the teacher-pupil ratio in urban and also in the rural areas for all stages of school education combined is 1:32.

(b) In view of reply to para (a) the question of disparity and imbalance does not arise.

रेगिस्तानी भूमि की प्रतिशतता

1696. **श्री एन० के० शेजवलकर** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में रेगिस्तान से प्रभावित भूमि की प्रतिशतता कितनी हैं; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान उसे उपजाऊ बनाने के लिए क्या विशेष कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) भारतीय रेगिस्तान का क्षेत्रफल उप रेगिस्तान के रूप में 3.2 लाख वर्ग किलोमीटर है जिसमें मुख्य रूप से राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और कर्नाटक शामिल है और शीत रेगिस्तान का क्षेत्रफल 0.7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है। जिसमें लद्दाख (जम्मू कश्मीर) शामिल है उष्ण मरुस्थल राजस्थान में (61%), गुजरात में (20%), पंजाब और हरियाणा में (9%) और दूसरे राज्यों जैसे महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु के छुटपुट इलाकों में (10%) फैला हुआ है।

(ख) (i) केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर जिसकी स्थापना सन् 1959 में हुई थी देश के मरुस्थलीय क्षेत्रों में कृषि की पैदावार बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी का विकास करने के उद्देश्य से सघन अनुसंधान कर रहा है।

(ii) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत सरकार इन क्षेत्रों के आर्थिक सुधार के लिए एक सूखा प्रवृत्त क्षेत्र कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है। पांचवीं योजना में इस कार्यक्रम के लिए 181.50 करोड़ रुपये की राशि रखी गयी है इस वर्ष से (1976-77) एक मरुस्थल विकास कार्यक्रम भी आरम्भ किया गया है। इस वर्ष इस कार्यक्रम के लिए 6.10 करोड़ की राशि निर्धारित की गई है।

सूखा प्रवृत्त क्षेत्र कार्यक्रम में विश्व बैंक भी कुल 3 करोड़ 50 लाख डालर की सहायता दे रहा है जो कि इन 6 प्रायोजनाओं को चलाने के लिए होगी :– अनन्तपुर (आन्ध्र प्रदेश), बीजापुर (कर्नाटक), अहमदनगर और शोलापुर (महाराष्ट्र), जोधपुर और नागौर (राजस्थान)।

(iii) राजस्थान नहर निर्माणाधीन है जिससे कि गंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर सामान्य सिंचाई द्वारा 11 लाख 40 हजार हेक्टर और उठाऊ सिंचाई द्वारा 51 हजार हैक्टर में सिंचाई की जा सकेगी।

(iv) "मरुस्थल विकास" पर राष्ट्रीय कृषि आयोग की रिपोर्ट केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा आगामी पंचवर्षीय योजना में कार्यान्वयन के लिए विचाराधीन है।

केन्द्र से परामर्श करके राज्य द्वारा तैयार की गई सिंचाई सम्बन्धी बृहद् योजना

1697. **श्री अहमद एम० पटेल** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से परामर्श करके अपने राज्य में सिंचाई के सम्बन्ध में एक बृहद् योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो वे राज्य कौन-कौन से हैं; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) से (ग) : कुछ राज्यों ने अपने इलाकों में सिंचाई के सम्भावित भावी-विकास की रूपरेखा तैयार की है। किन्तु इस्तेमाल में लाए जा सकने वाले सम्पूर्ण जल का प्रयोग करने वालों स्कीमों और भावी-विकास के लिए उनकी सापेक्ष प्राथमिकताओं को निर्धारित करने वाली विस्तृत मास्टर योजनाएं केन्द्रीय सरकार के परामर्श से तैयार नहीं की गई हैं।

धर्मशाला में खेलकूद प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना

1698. **श्री एम० ए० हनान अलहाज :**

श्री दुर्गाचंद :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय खेलों में के लिए खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने हेतु सरकार का विचार धर्मशाला (हिमाचल प्रदेश) में एक खेलकूद प्रशिक्षण संस्थान खोलने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस संस्थान के कब तक आरम्भ होने की संभावना है तथा इस पर अनुमानतः कितनी धनराशि खर्च होगी ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कालपात्र तथा नेहरू पात्र से संबंधित गुम हुई फाइलें

1699. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने काल पात्र तथा नेहरू पात्र से सम्बन्धित कुछ फाइलें अथवा कागजातों के गुम हो जाने के बारे में कोई जांच की है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) कालपात्र और नेहरू पात्र से सम्बन्धित गुप्त फाइलों एवं कागजातों के बारे में कोई औपचारिक जांच तो नहीं की गई है तथापि यह जानने के लिए कि क्या इस विषय से संबंधित कोई फाइलें तथा कागज़ उन के यहां हैं, इस संबंध में भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद तथा निर्माण एवं आवास मंत्रालय से लिखा पढ़ी की गई है। उनके उत्तरों को ध्यान में रखते हुए आगे की कार्रवाई के बारे में निर्णय किया जाएगा।

(ख) उक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आरम्भ की जाने वाली योजनाओं का ब्यौरा

1700. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसी योजनाओं का ब्यौरा क्या है जिन्हें दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा इस वर्ष पूरा किया जाना था परन्तु जिन्हें अब तक क्रियान्वित नहीं किया गया है;

(ख) इस वर्ष और आगामी वर्ष में प्लाटों के विकास और मकानों के निर्माण आदि का लक्ष्य क्या है;

(ग) क्या दिल्ली में ही हर वर्ष मकानों की कमी में वृद्धि होती जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस समस्या को हल करने के लिए गत चार महीनों में क्या विशिष्ट कार्यवाही की गई है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जिन योजनाओं को चालू वित्तीय वर्ष के दौरान आरम्भ करने का प्रस्ताव था लेकिन दिल्ली विकास प्राधिकरण में अत्यधिक वित्तीय कठिनाईयों के कारण उन्ह आरम्भ नहीं किया जा सका, उनकी सूची संलग्न अनुलग्नक में दी गई है। तथापि, इन योजनाओं को चालू वित्तीय वर्ष के दौरान पूरा करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं० एल० टी० 1191/77]

(ख) चालू वित्तीय वर्ष तथा आगामी वित्तीय वर्ष के दौरान प्लाटों के विकास के लिए कोई विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है सिवाय झुग्गी झोपड़ी के प्लाटों के जिन के लिए चालू वित्तीय वर्ष का लक्ष्य 35,000 तथा आगामी वित्तीय वर्ष का लक्ष्य 20,000 है। झुग्गी झोपड़ी उन्मूलन योजना के अधीन इन वर्षों में कोई टेनामेंट बनाने का प्रस्ताव नहीं है। तथापि, चालू वित्तीय वर्ष में 852 गन्दी बस्ती टेनामेंट्स् बनाने का प्रस्ताव है तथा ऐसे 1272 टेनामेंट आगामी वित्तीय वर्ष में बनाने का प्रस्ताव है बशर्ते की निधियां उपलब्ध हों।

(ग) जी हां।

(घ) निधियों की कमी के कारण इस समस्या के समाधान में कठिनाइयां पैदा हो गई हैं। इस स्थिति का सामना करने के लिए स्वयं वित्त व्यवस्था करने की योजना आरम्भ की गई है तथा आवास और नगर विकास निगम तथा सामान्य बीमा निगम से ऋण लेने के लिए प्रयत्न किए जा रहें हैं। ऋण पत्र जारी करने का भी प्रस्ताव है। दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास उपलब्ध दुकानों, मकानों और प्लाटों की वसूली तथा बिक्री शीघ्र करके आन्तरिक संसाधन जुटाने के लिए भी प्रयत्न किए जा रहे हैं।

बस्तियों को अधिकार में लेने के बारे में दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा दिल्ली नगर निगम में विवाद

1701. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या सरकार को पता है कि बस्तियों को अधिकार में लेने के बारे में दिल्ली विकास प्राधिकरण और दिल्ली नगर निगम में विवाद हैं;

(ख) यदि हां, तो उन बस्तियों के नाम क्या हैं तथा यह विवाद कितने समय से चल रहा है; और

(ग) दोनों संगठनों के पारस्परिक विवाद को शीघ्र हल करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी हां, यह विवाद सेवाओं को अधिकार में लेने के कमी प्रभारों के भुगतान के बारे में है।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है।

(ग) 11 कालोनियों के सम्बन्ध में विवाद मध्यस्थता को भेज दिया गया है। शेष के बारे में विवादों को निपटाने के लिए पांच अधिकारियों से युक्त एक समिति बनाई गई है।

मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में झुंझुनिया खरपतवार का फैलाव

1702. **श्री पी० के० कोडियन** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान मध्यप्रदेश के आदिवासी गांवोंमें तेजीसे फैल रही घातक झुंझुनियां खरपतवार, जिससे जिगर (लीवर) की बीमारियां हो रही हैं, के समाचारों की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (ए० आई० आई० एम० एस०) ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के महानिदेशक को खरपतवार को समाप्त करने के बारे में दीर्घावधि उपाय करने के लिये कहा है; और

(ग) यदि हां, तो इस बीच क्या उपाय किये गये हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) :(क) जी हां, श्रीमान। हमें यह पता चला है कि मध्यप्रदेश के सरगुजा जिले के कुसमी ब्लाक के कुछ गांवों में जिगर की बीमारी से कुछ मौतें हुई है जो झुंझुनियां के बीजों की मिलावट हुए "गोधली" अनाज (मिलेट) के खाने के कारण हुई बताई गयी है।

(ख) जी हां, श्रीमान। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के महानिदेशक की अध्यक्षता में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् तथा भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् के संयुक्त वैज्ञानिक पैनल ने अपनी बैठक में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (ए० आई० आई० एम० एस०) के एक दल की इस खरपतवार की जिगर को क्षति पहुंचाने में भूमिका पर विचार-विमर्श किया था। इस पैनल ने "झुंझनियां" खरपतवार के साथ-साथ समूल नष्ट की सिफारिश की है।

(ग) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के अनुरोध पर जवाहरलाल नेहरू कृषि विद्यालय, जबलपुर ने इस क्षेत्र का सर्वेक्षण किया है और इस खरपतवार पर नियंत्रण करने के लिये अनुसंधान प्रारंभ की है। मध्य प्रदेश के राज्य कृषि विभाग ने "झुंझुनियां" प्रभावित गांवों से इसे समूल नष्ट करने के एक कार्यक्रम को चलाने के लिये 42,000 रुपये को स्वीकृति दी थी। सरगुजा जिले के निवाडी खुर्द स्थित कारमेल हस्पताल के कर्मचारियों ने भी व्यापक स्तर पर इसे उखाड़ने का अभियान चलाया था। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर के विज्ञानियों के एक दल ने इस क्षेत्र का मई और अक्तूबर 1977 में दो बार दौरा किया और इस खरपतवार के पोषण, वर्गीकरण तथा सस्य सम्बन्धी पहलुओं पर एक विस्तृत तकनीकी रिपोर्ट तैयार की है। इस पहलू पर, दो अनुसंधान स्कीमों पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्वीकृति की प्रक्रिया चालू है।

जनकपुरी एल० आई० जी० फ्लेटों में नागरिक सुविधायें

1703. **श्री पी० के० कोडियन :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनकपुरी में डी० डी० ए० द्वारा निर्मित एल० आई० जी० फ्लैटों के निवासियों ने, अधिकारियों द्वारा उन्हें पर्याप्त नागरिक सुविधायें उपलब्ध न करने की स्थिति में नगर निगम के करों का और डी० डी० ए० को अपनी किश्तों का भुगतान बन्द करने की धमकी दी है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

अनधिकृत कालोनियों को जल सप्लाई

1704. **श्री पी० के० कोडियन :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली जल प्रदाय तथा मल निस्सारण संस्थान ने अनधिकृत कालोनियां को जल सप्लाई करने का निर्णय ले लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस निर्णय को कहां तक क्रियान्वित किया गया है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी अभी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय को अनुदान

1705. **श्री के० राम मूर्ति :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय को उसकी स्थापना से अब तक कुल कितना अनुदान दिया गया है ; और

(ख) संग्रहालय तथा पुस्तकालय की नई इमारत पर कितनी धनराशि खर्च की गई तथा इमारत के रखरखाव पर प्रति वर्ष कितनी राशि खर्च होती है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) सोसायटीज पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय एक सोसायटी के रूप में 1 अप्रैल, 1966 को स्थापित किया गया था । तब से नये पुस्तकालय भवन के निर्माण, उपस्करों, पुस्तकों, फर्नीचर, इत्यादि की खरीद और सामान्य अनुरक्षण के लिए 2,24,93,844 रु० की राशि, सहायक अनुदान के रूप में दी जा चुकी है ।

(ख) नये भवन के निर्माण पर अब तक हुआ व्यय 55,90,377 रु० है । यह राशि उपरोक्त कुल राशि, जो सहायक अनुदान के रूप में दी गई है, में शामिल है । भवन के अनुरक्षण की देख भाल केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा की जा रही है ।

भारतीय खाद्य निगम को राज सहायता के बारे में समितियां

1706. **श्री के० राम मूर्ति :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम को राज सहायता में कटौती करने के मामले की जांच करने के लिये सरकार ने दो समितियां बनाने का निर्णय किया है जिनमें एक मंत्रीमण्डल स्तर की होगी तथा दूसरी वरिष्ठ अधिकारी स्तर की ; और

(ख) यदि हां, तो उन समितियों के प्रतिवेदन कब तक प्राप्त होने की सम्भावना है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) समितियां अभी भी इस मामले पर विचार कर रह ही है ।

Rice, Wheat and Sugar for Madhya Pradesh for 1976-77

1707. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Agriculture & Irrigation** be pleased to state :

(a) the quota of rice, wheat and sugar fixed for Madhya Pradesh during the financial year 1976-77; and

(b) the quantity of foodgrains supplied to the State during the above period?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Bhanu Pratap Singh) : (a) About 277.5 thousand tonnes of wheat and 166.41 thousand tonnes of sugar were allotted by the Central Government to the Government of Madhya Pradesh for the financial year 1976-77. No rice was allotted to the State during this period.

(b) The total offtake of foodgrains (wheat and coarsegrains) against the allocations was about 78.6 thousand tonnes.

Arrangement to Supply Water in Desert Areas

1708. **Shri S. S. Somani :**
Shri Daulat Ram Saran :

Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether Central Government have sanctioned funds to ensure supply of water to the people living in the desert areas of various States :

(b) whether a long-term scheme has been formulated for the purpose in consultation with the Chief Ministers of States; and

(c) if so, the outlines thereof and the priority attached to Rajasthan in this scheme and the amount sanctioned for Rajasthan alongwith the names of the Schemes to be implemented there?

The Minister of Works and Housing and Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht): (a) to (c) A Centrally sponsored Accelerated Rural Water Supply Programme to execute the drinking water supply schemes of problem villages in the country has been formulated by the Government of India in consultation with the Planning Commission and the Ministry of Finance. It envisages the coverage of all problem villages within 6-7 years.

Under this Programme the States of Rajasthan and Gujarat have been allocated the sums of Rs. 250 lakhs and Rs. 260 lakhs respectively during 1977-78 which include Rs. 50 lakhs and Rs. 30 lakhs respectively for execution of water supply schemes of problem villages situated in their desert areas.

Scheme for Improvement of Cattle Breed

1709. **Shri S. S. Somani :**
Shri K. Mallanna :

Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether Government of India have formulated any scheme for the improvement of cattle breeds;

(b) whether Animal Production and Health Commission for Asia is also giving financial assistance to India; and

(c) if so, the amount thereof and the form in which it is being given?

The Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala): (a) Yes, Sir.

(b) No financial assistance has been received so far.

(c) Does not arise.

दिल्ली स्कूल टीचर्स कोआपरेटिव हाऊस बिल्डिंग सोसाइटी, दिल्ली

1710. **श्री टी० एस० नेगी :** क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली स्कूल टिचर्स को-आपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसायटी दिल्ली के मामलों की जांच करने के लिए नियुक्त जांच अधिकारी का प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा जाएगा और संसद सदस्यों को परिचालित किया जाएगा ;

(ख) क्या आपात स्थिति के दौरान रजिस्ट्रार कोआपरेटिव सोसाइटीस, दिल्ली द्वारा निर्वाचित तथा कथित प्रबन्ध समिति के विरूद्ध कुछ मामले दिल्ली में न्यायालयों में विचाराधीन पड़े हैं, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण ब्यौरा क्या है और उन मामलों की नवीनत स्थिति क्या है ;

(ग) क्या आपात स्थिति के दौरान तथा कथित प्रबन्ध समिति ने कार्यभार सम्भालने के बाद सोसायटी के अध्यापक तथा गैर अध्यापक सदस्यों के रूप में अनेक नए नाम दर्ज किये थे ; और

(घ) यदि हां, तो उनकी अलग अलग संख्या कितनी है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) बम्बई सहकारी समिति अधिनियम, 1925 जिसे दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र में लागू किया गया, के अन्तर्गत तीन बार अर्थात 1963, 1966 तथा 1972 में जांच की गई ।

माननीय सदस्य ने यह स्पष्ट नहीं किया कि वह किस रिपोर्ट का उल्लेख कर रहे हैं। लेकिन सभी रिपोर्ट पुरानी है । इसके अलावा अधिनियम के अनुच्छेद 55(4) के अधिन समिति को रिपोर्ट का केवल सार देना है । अतः इन रिपोर्टों को सभा पटल पर रखने का सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) जी, हां । दो रिट याचिकाए अर्थात न० 581/77 तथा नं० 659/77 दिल्ली के उच्च-न्यायालय में दायर की गई है । दो रिट याचिकाओं में जो प्रार्थनाएं की गई है, अनुलग्नक I तथा II में दी गई है । सी० डब्ल्यू० नं० 581/77 पर सुनवाई 1-12-77 को निश्चित की गई है । सी०डब्ल्य० नं० 659/77 पर सुनवाई 5-12-77 को निश्चित की गई है । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 1192/77]**

(ग) समिति ने इस बात से इन्कार किया है कि उन्हों ने किसी अध्यापक या गैर अध्यापक का सदस्य के रूप में नया नामांकन नहीं किया है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

1985-86 तक खाद्यान्न का उत्पादन

1711. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बता ने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान अन्तर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसन्धान संस्थान द्वारा किए गए अध्ययन की ओर दिलाया गया है जिसमें यह कहा गया है कि यदि आगामि वर्षों में उत्पादन की दिशा में सुधार नहीं होता तो भारत को 1985–86 तक 140 से 170 लाख टन खाद्यान्न की कमी को सामना करना होगा ; और

(ख) यदि हां, तो अध्ययन का ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख) खाद्य जरूरतों को पूरा करने के लिए 36 कम आमदनी, खाद्य में अपर्याप्त, विकासशील विपणन अर्थ-व्यवस्थावाले देशों (भारत संहित) में खाद्य उत्पादन में वृद्धि करने के लिए अगले 15 वर्षों में आवश्यक विनियोजन का अनुमान लगाने के उद्देश्य से खाद्य उत्पादन और विनियोजन विषयक सलाहकार दल के अनुरोध पर वाशिंगटन के अन्तर्राष्ट्रीय खाद्य निति अनुसन्धान सस्थान ने अध्ययन किया है । इस अध्ययन की प्रगति रिपोर्ट के अनुसार, जिसपर वाशिंगटन में सितम्बर, 1977 में खाद्य उत्पादन और विनियोजन विषयक सलाहकार दल की चौथी बैठक में विचार किया गया था । विभिन्न अनुमानों के अन्तर्गत 1990 तक

भारत में गहू को 43 से 394 लाख मीटरी टन की कमी होने का अनुमान लगाया गया है। अभी इस बारे में कोई मत निश्चित नहीं किया जा सकता क्योंकि अध्ययन अभी प्राथमिक चरण में ही है। तथापि राष्ट्रीय कृषि आयोग में अनुमानों के अनुसार, 1985 की मांग और पूर्ति में प्राय: सन्तुलन रहेगा।

केन्द्र द्वारा मकानों के निर्माण के लिए अनुदान

1712. **श्री सोमनाथ चटर्जी :** क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1975, 1976 और 1977 में अक्तूबर तक केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न राज्य सरकारों को मकान बनाने के लिये कितना अनुदान दिया तथा उसका राज्यवार ब्यौरा क्या है ; और

(ख) इस अवधि में कितने मकान बनाये गए ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) बागान कर्मचारियों के लिए सहायता प्राप्त आवास योजना के जो एक केन्द्रीय योजना है, को छोड़कर निर्माण और आवास मंत्रालय द्वारा आरम्भ की गई शेष सभी सामाजिक आवास योजनाएं राज्य क्षेत्र में है और राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जाती है। जहां तक बागान कर्मचारियों के लिए सहायता प्राप्त केन्द्रीय योजना का सम्बन्ध है, केन्द्रीय सरकार द्वारा उन छः राज्य सरकारों को निम्नलिखित अनुदान की राशि दी गई थी जो योजना का कार्यान्वयन कर रही है :—

राज्य का नाम	1975	1976	1977 (अक्तूबर, 1977 तक)
	(लाख रुपयों में)		
असम . . .	10.00	8.00	40.00
त्रिपुरा . . .	0.20	0.50	1.00
पश्चिम बंगाल . .	21.60	17.00	30.00
कर्नाटक . . .	शून्य	शून्य	शून्य
केरल . . .	6.00	8.50	14.00
तमिलनाडु . .	2.20	शून्य	शून्य
कुल	40.00	34.00	85.00

(ख) उपर्युक्त योजना के अन्तर्गत स्वीकृत मकानों की संख्या 18,779 है अब तक बनाये गए मकानों की संख्या 9615 है।

Central Grants to States for Dairy Development

1713. **Shri Subhash Ahuja :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) the amount of Central grants and loan provided during the last three years, Year-wise, to different States for dairy development; and

(b) the criteria followed in the allocation of this amount ?

The Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala) : (a) Central assistance to the States is given on the basis of the State Plan as a whole and is not related to any specific head of development, scheme or project. The assistance is released in the form of block grant at 30 per cent and block loan at 70 per cent. In the case of hill States and hill and tribal areas, the block grant is 90 per cent & block loan is 10 per cent.

(b) Does not arise.

Revision of Pay Scales of Part-time Teachers in Madhya Pradesh

†1714. **Shri Subhash Ahuja :** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) the action being taken by Government on the proposal of revision of pay scales of part-time teachers of "upshalas" (schools) being run by the Central Government in Madhya Pradesh; and

(b) whether Government are considering a proposal to absorb them in regular service on the basis of experience?

The Minister of State in the Ministry of Education, Social Welfare and Culture (Smt. Renuka Devi Barakataki) : (a) and (b) : The information is being collected from the State Government of Madhya Pradesh and will be laid on the table of the House.

विश्वविद्यालय द्वारा उच्च शिक्षा के बारे में सर्वेक्षण

1715. **श्री ओ० पो० अलगेशन :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों को कालेजों के समन्वित विकास के लिए उच्च शिक्षा के बारे में सर्वेक्षण करने का सुझाव दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इन सर्वेक्षणों का मुख्य उद्देश्य क्या है ;

(ग) क्या विश्वविद्यालयों ने ये सर्वेक्षण शुरू कर दिये हैं, जिससे इन्हें छठी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया जा सके ; और

(घ) ये सर्वेक्षण कितने विश्वविद्यालयों ने किए हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क), (ख), (ग) और (घ) : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, आयोग ने 1 नवम्बर, 1977 को राज्य सरकारों तथा विश्वविद्यालयों से कालेजों के विकास के स्वरूप सहित उनके समन्वित विकास के लिए सर्वेक्षण करने का अनुरोध किया है ताकि प्रत्येक विश्वविद्यालय में सुनियोजित आधार पर उच्च शिक्षा की सुविधाएं पैदा की जा सकें। आयोग ने यह सुझाव भी दिया है कि यदि ऐसी सर्वेक्षण रिपोर्टें अगली योजना अवधि के पहले से उपलब्ध कर दी जाएं तो इससे उच्च शिक्षा की संस्थाओं के उचित विकास में सहायता मिलेगी। उन विश्वविद्यालयों की संख्या, जिन्हों ने ऐसे सर्वेक्षण आरम्भ कर दिए हैं, इस समय उपलब्ध नहीं है।

मथुरा रोड पर आश्रम का विकास

1716. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मथुरा रोड़, नई दिल्ली में स्थित आश्रम के विकास के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सीवर और जल लाइनें बिछाई है किन्तु इन सीवर लाइनों से मिलने वाली नालियों, सड़कों और पीने के पानी के बारे में अभी तक कोई प्रबन्ध नहीं किया गया ; और

(ख) यदि हां, हो इस बस्ती मे सभी सुविधाएं देने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) तथा (ख) : दिल्ली विकास प्राधिकरण ने मथुरा रोड़ पर स्थित हरिनगर आश्रम के शहरी ग्रामां में सीवर तथा जल-पूर्ति लाइने बिछा दी है। इस गांव से गुजरने वाली मौजूदा नाली जिसमें घरों का गन्दा पानी तथा वर्षा के दौरान बरसाती पानी बहता है उसे गांवों में उपयुक्त स्थानों पर लगाए गए सीवरों के साथ जोड़ दिया गया है। इस गांव में जलपूर्ति व्यवस्था थी आरम्भ कर दी गई है। सीवर तथा जलपूर्ति लाइनें बिछाते समय जिन सडकों को काटा/तोड़ा गया था उनकी मरम्मत कर दी गई है तथा सिवाय कुछ गलियों के सभी सड़कों को पुनः पहले जैसा ही बना दिया गया है जिनका कार्य चालू वित्तीय वर्ष के दौरान आरम्भ कर दिया जाएगा तथा पूरा कर दिया जाएगा।

Discussion with States for Sugarcane Price

1717. **Shri Daya Ram Shakya** : Will the Minister of **Agriculture & Irrigation** be pleased to state :

(a) Whether Central Government have had some discussions with state Government for giving reasonable price of sugarcane to the farmers producing Sugarcane before the commissioning of sugar mills in November-December, 1977; and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Bhanu Pratap Singh) : (a) No. Sir. However, before taking a final decision on statutory minimum cane price for the sugar year 1977-78, an expert body, the

Agricultural Prices Commission, was consulted by Government. The Agricultural Prices Commission had discussions with all important sugarcane producing States before submitting its recommendations on the price policy for sugarcane for 1977-78. Views suggestions from all sugar producing States/Union Territories, leading Associations of Sugar Mills/Cane growers and other concerned Departments of Central Government were also invited by the Department of Food. After taking into account all these views/suggestions/recommendations and other relevant factors having a bearing on the case, it was finally decided to fix the minimum cane price at Rs. 8.50 per quintal linked to a basic recovery of 8.5% under Clause 3(1) of the Sugarcane (Control) Order, 1966.

(b) Does not arise.

Decentralization of Work in Delhi Milk Scheme

1718. **Shri Daya Ram Shakya :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether the work regarding issue and transfer of milk tokens is done only at the Head Office of Delhi Milk Scheme which causes great inconvenience to the people of all the areas in the city;

(b) whether keeping in view the problems of people, Government propose to decentralise the above work and entrust it to area offices; and

(c) if so, the time by which this arrangement is likely to be introduced ?

The Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala): (a) Yes. Sir. Although some inconvenience is unavoidable, the present system ensures issue or transfer of milk tokens within one day. From June, 1977, however, five zonal offices were set up on an experimental basis in areas of Moti Bagh/R. K. Puram, Lajpat Nagar, Chandni Chowk, Sabzi Mandi/ Kamla Nagar/Roop Nagar and Janak Puri. These Zonal Offices functioned for about 2-3 months and according to the reports received from the Field Officers token holders did not avail of the facility during this period.

(b) No Sir.

(c) Does not arise.

Location of water in drought-hit Bijapur, Karnataka

1719. **Shri Daya Ram Shakya :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether the Central Ground Water Board has located water in drought-hit Bijapur District in Karnataka State through exploratory drilling;

(b) if so, whether the Board propose to introduce similar operations in other drought-hit areas; and

(c) if not, the reasons therefor?

The Minister for Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala): (a) Yes.

Out of a total area of 17,123 sq. km. of the district, the Board has completed systematic hydrogeological survey in an area of 3,810 sq. km. upto March 1977. In addition, an area of 4,000 sq. km. has been covered by rapid reconnaissance surveys and rural water supply investigations in selected parts of the district.

The Board is at present undertaking exploratory drilling in the area to delineate prospective ground water horizon. 4 exploratory and 1 slim hole have so far been drilled. The bore holes drilled range in depth from 60 to 100 meters and yield from about 3000 to 6000 glns. of water per hour (13.500 to 27,000 litres per hour). Further exploratory drilling is being continued.

Based on the results obtained from these investigations detailed recommendations on the development of the resource would be made.

(b) Yes.

During the year 1977-78 the Board has a programme to cover an additional area of 1500 sq. km. each by systematic hydrogeological surveys in Bijapur, Gulbarga and Raichur districts of Karnataka. Water balance studies in an area of 229 sq. km. in the Gulbarga district have already been completed by the Central Ground Water Board under its Indo-Canadian Ground Water Project. The Board has recommended construction of 529 dug and dug-cum-bore wells to exploit the surplus dynamic resource available in the area. Further exploratory work in this district is proposed to be taken up during 1978-79.

During the next five year period (1978-83), the Central Ground Water Board propose to extend its drilling operations to all the drought areas in the State

(c) Does not arise.

Irrigation Scheme for Giridih District, Bihar

†1720. **Shri R. L. P. Verma:** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) whether the Superintending Engineer and Chief Engineer of Hazaribagh, Department of Irrigation, Bihar has submitted plans and estimates of scheme in the Giridih district in Bihar for approval of the Central Government and there are also 10 other reservoir schemes in this district;

(b) whether this is an important irrigation scheme for the development of agriculture in the industrially backward area in Giridih distrct; and

(c) if the replies to above parts be in the affirmative, whether Government would accord priority and sanction it for its expeditious implementation?

The Minister for Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala): (a) The Government of Bihar have submitted the Pokso reservoir scheme which envisages irrigation of 850 ha. of khariff and 101 ha. of Rabi in Berni Block of Giridih District of Bihar at an estimated cost of Rs. 56.12 lakhs. The scheme is under scrutiny in Central Water Commission in consultation with the State Government. Proposals for other reservoir schemes in the District have not yet been received from the State Government.

(b) & (c) : Irrigation is a State subject and irrigation projects are planned, investigated, formulated, implemented and priorities accorded by the State Government.

Visit of U. S. Team to Study Food Policy and Agricultural Development

1721. **Shri Brij Bhushan Tiwari** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether a 15-member U.S.A. team led by James P. Grant visited India to study the food policy and agricultural development work;

(b) if so, the facts in this regard;

(c) whether this team has offered to start a long term U.S. Aid project in the field of solar energy and agricultural research; and

(d) if so, the reaction of Government thereto?

The Minister for Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala) : (a) to (d) : Mr. James P. Grant representing the Overseas Development Council of U.S.A. (a private organisation) visited India in June, 1977 and had discussions of general character covering various aspects of economic development. However, the question of his making an offer of aid on behalf of U.S. Government did not arise.

महंगी शिक्षा

1722. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) शिक्षा के दिन प्रति दिन महंगी होने के क्या कारण है ; और

(ख) सरकार का इसको रोकने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख) : जहां तक छात्रों का सम्बन्ध है यह कहना ठीक न होगा कि शिक्षा दिन प्रति दिन महंगी होती जा रही है। देश के सभी भागों में सरकारी स्कूलों और स्थानीय निकायों द्वारा संचालित स्कूलों में कक्षा I-V की शिक्षा पहले ही निशुल्क है। उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल मे लड़कों की शिक्षा को छोड़कर सभी राज्यों में कक्षा VI-VIII में भी शिक्षा निशुल्क है। इन राज्यों का लड़कों की शिक्षा को भी VIII कक्षा तक शीघ्र निशुल्क कर देने का प्रस्ताव है बशर्ते कि आवश्यक निधियां उपलब्ध हों। इसके अतिरिक्त सरकार विभिन्न स्तरों पर छात्रवृतियां, मध्यान्ह भोजन तथा अन्य रियायते प्रदान कर रही है। पुस्तक बैंकों को स्थापना करने और सस्ती पाठ्यपुस्तके तथा लेखन सामग्री के निर्माण हेतु कागज इत्यादि प्रदान करने मे भी सरकार सहायता दे रही है। तथापि, सामान्य निर्वाह व्यय बढ़ जाने के साथ-साथ वस्तुओं की आम कीमतें भी बढ़ गई हैं और सरकार शिक्षा की लागत को, विशेषकर कमजोर वर्गों के लिए, कम करने की आवश्यकता के प्रति सजग है। छात्रों के लिए लागत को कम करने के गत वर्षों के प्रयत्नों के साथ ही शिक्षा में सरकारी निवेश काफी बढ़ गया है।

Policy regarding setting up of new colleges

†1723. **Shri Keshavrao Dhongde:** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state the number of States which have submitted proposals to Central Government for setting up new colleges and Government's policy in this regard?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder): The State Governments do not require the approval of the University Grants Commission or the Central Government for the establishment of new colleges. The Government are of the view that facilities for higher education should not be expanded in an unplanned manner and that there should be an adequate survey of the needs for higher education in a particular area, after taking into account the available facilities, before new colleges are established.

Lift Irrigation Scheme in Vishpuri, Maharashtra

†1724. **Shri Keshavrao Dhongde:** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) whether the Central Government have approved the scheme of lift irrigation for Vishpuri near Nanded in Marathwada division of Maharashtra;

(b) the reasons why the work on this scheme has been stopped despite the fact that funds have been sanctioned therefor; and

(c) whether Government have directed the State Government not to start work on this scheme?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Bhanu Pratap Singh): (a) & (b): The project report of Lower Godavari project (Ishtapuri Lift Irrigation Scheme) also known as Lift Irrigation Scheme for Vishpuri near Nanded was received in Central Water Commission from the Government of Maharashtra in October, 1975. The comments of the Central Water Commission were sent to the State Government in July, 1976 and November, 1976; replies to which are awaited from the State Government.

The Government of Maharashtra have reported that modified scheme, in view of inter-State agreement of 19th December, 1975 on Godavari water, is under consideration of State Government and the scheme is yet to be administratively approved. The work has not, therefore, been started by them on this scheme even though budget provision has been made for the scheme.

(c) No, Sir.

कन्याकुमारी, तमिलनाडु में मत्स्य विकास

1726. **श्री कुमारी अनन्तन :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिलें मे मत्स्य के विकास के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा कुल कितनी धनराशि खर्च की गई, और

(ख) इसके क्या परिणाम प्राप्त हुए ।

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला):(क) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में मत्स्य के विकास के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई धन खर्च नहीं किया गया था ।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता ।

उर्दू भाषा का विकास

1728. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश मे उर्दू भाषा और उर्दू संस्कृति के विकास के लिए यदि कोई कार्यवाही की गई है या की जा रही है तो वह क्या है ।

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : सरकार उर्दू की तरक्की हेतु ब्यूरो जो उर्दू मे शैक्षिक साहित्य का प्रकाशन कर रहा है, की स्थापना द्वारा उर्दू भाषा और उर्दू संस्कृति के विकास को बढ़ावा दे रही है । सरकार राष्ट्रीय पुस्तक न्यास और साहित्य अकादमि तथा उर्दू की तरक्की के काम में लेंगे विभिन्न स्वैच्छिक संगठनों को भी सहायता दे रही है । राष्ट्रीय पुस्तक न्यास भारतीय इतिहास, संस्कृति और बाल-साहित्य समेत विभिन्न विषयों पर पुस्तकें प्रकाशित करता रहा है । साहित्य अकादमी ने भी अनेक पुस्तकें प्रकाशित की हैं, जिनमें साहित्यिक और सामान्य पुस्तकें शामिल हैं । इसके अतिरिक्त, अकादमी ने प्रतीष्ठित उर्दू लेखकों को पुरस्कार भी प्रदान की हैं । भारत सरकार द्वारा सोलन और पटियाला मे स्थापित क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों (केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान के अधीन) मे उर्दू शिक्षकों को तैयार करने हेतु प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालयों को अनुदान

1729. **श्री समर गुह** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1969–70 से 1973–74 तक के अवधि में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा केन्द्रीय और राज्य विश्वविद्यालयों को दिए गए अनुदान की राशि संबंधी तथ्य क्या है ;

(ख) केन्द्रीय और राज्य विश्वविद्यालयों की उसी अवधि में प्रति विद्यार्थी प्रतिवर्ष दिये गये अनुदान का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि में प्रत्येक विश्वविद्यालय में भर्ती होने वाले विश्वविद्यार्थीयों की संख्या का ब्योरा क्या है;

(घ) उक्त अवधि में कालेजों में इसी प्रकार के आंकड़ो का ब्यौरा क्या है; और

(ड) उक्त व्यय में विभिन्नता का क्या औचित्य है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 1969–70 से 1973–74 के दौरान केन्द्रीय विश्वविद्यालयों और राज्य विश्वविद्यालयों को क्रमशः 2214.32 लाख रु० और 4907.60 लाख रुपये की कुल राशि के अनुदान दिए गए ।

(ख) विश्वविद्यालयों और कालेजों को अनुदान प्रतिवर्ष, प्रति छात्र के आधार पर स्वीकृत नहीं किये जाते ।

(ग) और (घ) : 1969–70 से 1973–74 के अवधि के दौरान प्रत्येक विश्वविद्यालय और उससे सम्बद्ध सभी महाविद्यालयों में दाखिला, संलग्न विवरण में अलग से दिखाया गया है।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1193/77]

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय और विश्वभारती विश्वविद्यालय को अनुदान

1730. **श्री समर गुह** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग केन्द्रीय विश्व विद्यालयों को मिलने वाले अनुदान में से सबसे अधिक अनुदान जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय को मिलता है और सबसे कम अनुदान विश्व-भारती विश्वविद्यालय को मिलता है ?

(ख) यदि हां, तो (1) विद्यार्थियों के नामांकन (2) दिये गये कुल अनुदान और (3) चौथी योजना की अवधि में दोनो विश्वविद्यालयों के संबंध में प्रति विद्यार्थी व्यय के संबंध में तथ्य क्या हैं ; और

(ग) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के लिये अधिक व्यय के क्या कारण हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को दिया गया वार्षिक अनुरक्षण अनुदान, अलीगढ़, बनारस तथा दिल्ली विश्वविद्यालयों को दिये गये अनुदानों से कम है, परन्तु यह विश्व भारती को दिये गये अनुदान से अधिक है। शिलांग तथा हैदराबाद के केंद्रीय विश्वविद्यालय इस समय केवल योजनागत अनुदान ले रहे हैं। 1976–77 के दौरान अनुरक्षण अनुदानों के अलग अलग आंकड़े निम्न प्रकार हैं :—

(लाखो में)

बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	दिल्ली विश्वविद्यालय	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय	विश्व भारती
717.50	557.50	365.00	165.00	145.00

(ख) तथा (ग) : चौथी योजना के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दोनों विश्व-विद्यालयों को दिये गये अनुदानों तथा दाखिले को भी दर्शाने वाले दो विवरण संलग्न हैं ।

चौथी योजना के दौरान जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को दिये गये कुल अनुदानों में, भूमि अर्जन तथा विकास भवनों के निर्माण, उपस्कर इत्यादि जैसे पूंजीगत स्वरूप के भारी अनावर्ती व्यय भी शामिल हैं। अतः चौथी योजना के दौरान इन दो विश्वविद्यालयों को दिये गये कुल अनुदानों के आधार पर प्रति विद्यार्थी व्यय की तुलना उपयुक्त नहीं होगी ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी० 1194/77]

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों द्वारा नियोजित अध्यापकों की संख्या

1731. **श्री समर गुह :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में नियोजित अध्यापकों के आंकड़ों का अलग-अलग ब्यौरा क्या है ;

(ख) वर्ष 1974-76 के दौरान इन विश्वविद्यायों द्वारा नामांकित किए गये विद्यार्थियों के आंकडों का अलग-अलग ब्यौरा क्यां है;

(ग) विभिन्न केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों पर प्रति विद्यार्थी कितना व्यय होता है; और

(घ) ऐसे व्यय के बारे में भिन्नता होने का औचित्य क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) तथा (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, 1974–75 तथा 1975–76 के दौरान केन्द्रीय विश्वविद्यालयों द्वारा नियोजित अध्यापकों तथा नामांकित किये गये विद्यार्थियो के अलग-अलग आंकड़े निम्न प्रकार हैं :—

विश्वविद्यालय का नाम	1974–75		1975–76	
	अध्यापक	विद्यार्थी	अध्यापक	विद्यार्थी
अलीगढ़, मुस्लिम विश्वविद्यालय .	879	8,826	906	9,596
बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय .	1,199	13,415	1,060	11,917
दिल्ली विश्वविद्यालय . .	599	11,643	574	9,112
विश्व भारती . . .	330	1,538	348	1,578
उत्तर-पूर्वी पर्वतीय विश्वविद्यालय .	40	285	57	403
हैदराबाद विश्वविद्यालय .	*	*	2	47
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय .	210	2,120	235	2,039

*हैदराबाद विश्वविद्यालय अधिनियम 2–10–1974 से ही लागू हुआ है।

(ग) तथा (घ) : विश्वविद्यालय पर व्यय, उसके विकास को अवस्था, उस द्वारा उपलब्ध की गई सुविधाओं, जो प्रत्येक विश्वविद्यालय की भिन्न-भिन्न होती हैं, तथा विश्वविद्यालय की किस्म पर भी निर्भर करता है। जबकि कुछेक केन्द्रीय विश्वविद्यालय चिकित्सा, इंजीनियरी तथा कृषि शिक्षा की सुविधाएं प्रदान करते हैं, अन्य ये सुविधाएं प्रदान नहीं करते। इसी प्रकार, इन विश्वविद्यालयों में कुछेक बहुत हद तक एकात्मक तथा आवासोय हैं जब कि अन्य सम्बद्ध देने वाले विश्वविद्यालय हैं जिनमें स्नातकोत्तर स्तर पर अध्यापन और अनुसंधान सुविधाएं बांटने की व्यवथा है। अत: विभिन्न केन्द्रोय विश्वविद्यालयों के बोच प्रति विद्यार्थी व्यय को तुलना वास्तविक नहीं होगी।

बिहार में भूख के कारण मौतें होना

1732. **श्री ओ० वी० अलगेशन :**
श्री लखन लाल कपूर :

क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार राज्य में अक्तूबर के महीने में अकाल के कारण तीन मौतें हो जाने संबंधी समाचार की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है और यदि हां, तो यह बात कहां तक सच है ;

(ख) क्या इस वर्ष किसी अन्य राज्य में भी अकाल पड़ने के कारण मौतें हुई हैं; और

(ग) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं, जहां अकाल पड़ा है और उनकी सहायता करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) :(क), (ख) और (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जाएगी।

Shri Vuvraj (Katihar): This question about land is the concern of the whole country. People are being ejected throughout the country. Land ceiling acts enacted in different States are also defective. It is a very important question. I request for a half-an-hour discussion.

अध्यक्ष महोदय : आप आधे घंटे की चर्चा की सूचना दे दीजिए। मैं उस पर विचार करूंगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमण्ड हार्बर) : मैंने ऐसी सूचना दी है और मैं उस पर कुछ कहना चाहता हूं तब आप विनिर्णय दें।

अध्यक्ष महोदय : किस बारे में।

श्री ज्योतिर्मय बसु : स्थगन प्रस्ताव के बारे में।

अध्यक्ष महोदय : आप मेरे कक्ष में आकर चर्चा कर सकते हैं। अध्यक्ष द्वारा इस बारे में पहले ही निदेश दिया गया है कि यदि अध्यक्ष अपना विनिर्णय दे चुके हों तो उस पर कोई चर्चा या व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। फिर भी यदि सदस्य महोदय चाहें कि अध्यक्ष उस पर पुनर्विचार करे तो वह बाद में किसी समय अध्यक्ष से उनके कक्ष में मिल सकते हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मुझे कुछ और भी कहना है।

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित न किया जाये।

श्री ज्योतिर्मय बसु : * *

अध्यक्ष महोदय: मैंने कहा है कि कुछ भी सम्मिलित न किया जाये। यदि ऐसा किया जाता है तो मुझे कार्यवाही करनी पड़ेगी। जो मैंने भी कहा है उसे भी सम्मिलित न किया जाये।

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री वयालार रवि (चिरचिकोल) : (**व्यवधान**) हमने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। यह एक बड़ा गम्भीर प्रश्न है विशेषकर जबकि राज्यों में लाखों व्यक्ति प्रभावित हुए हैं और हजारो मृत्यु की गोद में चले गये। और यह सरकार उसका राजनीतिक लाभ उठाने की इच्छुक है।

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही में शामिल न किया जाये।

श्री वयालार रवि : * * * *

श्री सी० एम० स्टीफन : स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी गई है। आपने इसे अस्वीकार कर दिया है या वह विचाराधीन है ?

अध्यक्ष महोदय : स्थगन प्रस्ताव तो एक प्रकार से अस्वीकार कर दिया गया। मामले पर चर्चा किस रूप में की जाये। इस पर विचार किया जायेगा। यदि आवश्यक हुआ तो चर्चा की जायेगी।

श्री सी० एम० स्टीफन (इदक्की) : हमने भी स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। मुझे उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली।

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रस्ताव 11.50 बजे मेरे आने से काफी पहले आया था।

श्री सी० एम० स्टीफन : क्या वह विचाराधीन है ?

अध्यक्ष महोदय : जी हां।

श्री वयालार रवि : * * * *

सभा-पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

नागालैंड राज्य के सम्बन्ध में पहले जारी की गई उद्घोषणा को रद्द करने के लिए राष्ट्रपति की उद्घोषणा

गृह मंत्री श्री चरण सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) संविधान के अनुच्छेद 356 के खंड (2) के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 25 नवम्बर, 1977 को जारी की गई उद्घोषणा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो संविधान के अनुच्छेद 356(3) के अन्तर्गत दिनांक 25 नवम्बर, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 719 (ङ) में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा नागालैण्ड राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा 22 मार्च, 1975 को जारी की गई उद्घोषणा रद्द की गई है।

दिल्ली विश्वविद्यालय के वर्ष 1975-76 के प्रमाणित लेखे और लेखा परीक्षा प्रतिवेदन तथा एक विवरण

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) दिल्ली विश्वविद्यालय के वर्ष 1975–76 के प्रमाणित लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन।

****कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

(दो) उपर्युक्त पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए सं० एल० टी० 1178/77]

(2) प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम 1961 की धारा 23 की उपधारा (4) के अन्तर्गत भारतीय प्रोद्योगिकी संस्थान, बम्बई के वर्ष 1975-76 के प्रमाणित लेखे (हिन्दी संस्करण)* की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए सं० एल० टी० 1179/77]

(3) (एक) विक्टोरिया स्मारक हाल, कलकत्ता के न्यासधारियो की कार्यकारी समिति के वर्ष 1976–77 के प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखे का प्रमाणित विवरण ।

(दो) उपर्युक्त प्रतिवेदन से सरकार की सहमति संबंधी ब्यौरा देने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए सं० एल० टी० 1180/77]

दिल्ली विक्रय कर अधिनियम, सीमा शुल्क अधिनियम और केन्द्रीय उत्पात शुल्क नियम के अधीन अधिसूचनाए

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : महोदय, श्री जुल्फिकारुल्लाह की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं

(1) दिल्ली विक्रय कर अधिनियम 1955 की धारा 72 के अन्तर्गत दिल्ली विक्रय कर (दूसरा संशोधन) नियम, 1977 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 16 नवम्बर, 1977 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० 4 (55)/77–फिन (जी) में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए सं० एल० टी० 1181/77]

(2) सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रति :—

(एक) सा० सां० नि० 1572 जो दिनांक 12 नवम्बर, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) सा० सां० नि० 708 (ङ) और 709 (ङ) जो दिनांक 19 नवम्बर, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थीं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिए सं० एल० टी० 1182/77]

(7) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गयी निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) सा० सां० नि० 608 (ङ) जो दिनांक 12 सितम्बर, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) सा० सां० नि० 712 (ङ) जो दिनांक 21 नवम्बर, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिए सं० एल टी० 1183/77।]

राज्य सभा से संदेश
MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव : मुझे राज्य सभा से प्राप्त एक संदेश की सूचना देनी है कि राज्य सभा लोक सभा द्वारा 16 नवम्बर, 1977 को पास किये गये अन्तर्देशीय बाष्प जलयान (संशोधन) विधेयक, 1977 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई है ।

लोक लेखा समिति
PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

14 वां प्रतिवेदन

श्री सी० एम० स्टीफन : मैं संचार मंत्रालय से संबंधित भारत के नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक के वर्ष 1974-75 के प्रतिवेदन, संघ सरकार (डाक और तार) में सम्मिलित टेलीफोन एक्सचेंजों के बारे में पैराग्राफ 13, 15, 16, 17, 18 और 20 पर लोक लेखा समिति का चौदहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

ग्रेशम एन्ड क्रेवन इंडिया (प्राइवेट) लिमिटेड उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण विधेयक के बारे में याचिका

PETITION *Re* : GRESHAM AND CRAVEN OF INDIA (PRIVATE) LTD. (ACQUISITION AND TRANSFER OF UNDERTAKINGS) BILL

श्री दीनेन भट्टाचार्य : मैं ग्रेशम एण्ड क्रेवन आफ इंडिया (प्राइवेट) लिमिटेड (उपक्रमों का अजन और अन्तरण) विधेयक, 1977 के बारे में श्री सुकुमार चौधरी तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं ।

कार्य मंत्रणा समिति
BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

सातवां प्रतिवेदन

संसदीय कार्य और श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं :—

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के सातवें प्रतिवेदन से, जो 24 नवम्बर, 1977 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के सातवें प्रतिवेदन से, जो 24 नवम्बर, 1977 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीश संख्या) संशोधन विधेयक
SUPREME COURT (NUMBER OF JUDGES) AMENDMENT BILL

विधि, न्याय और कम्पनी कार्यमंत्री (श्री शान्ति भूषण) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :
उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीश संख्या) अधिनियम, 1956 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीश संख्या) अधिनियम, 1956 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

श्री शान्ति भूषण : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं ।

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) उपकर विधेयक
WATER (PREVENTION AND CONTROL OF POLLUTION) CESS BILL

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकंदर बख्त) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :
"जल प्रदूषण के निवारण तथा नियंत्रण के लिये जल (प्रदूषण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अधीन गठित केन्द्रीय बोर्ड और राज्य बोर्डों के साधनों में वृद्धि करने की दृष्टि से कुछ उद्योग चलाने वाले व्यक्तियों और स्थानीय प्राधिकरण द्वारा उपभोग किये गये जल पर उपकर के उद्ग्रहण और संग्रहण का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

नदियों और नहरों के प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिये संविधान के अनुच्छेद 252 के अन्तर्गत संसद् ने जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 अधिनियमित किया था । उपरोक्त अधिनियम के अधीन जल प्रदूषण तथा नियंत्रण के लिये केन्द्रीय बोर्ड तथा राज्य बोर्डों का यह सुनिश्चित करने के लिये गठन किया गया कि घरेलू एवं औद्योगिक नि:स्राव की समुचित अभिक्रिया किये बिना

उसे जल के बहाव में छोड़ने नहीं दिया जाये। अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों को अधिनियम के प्रावधानों को कार्यान्वित करने के लिये केन्द्रीय बोर्ड तथा राज्यों के बोर्डों को धन देने की व्यवस्था करनी पड़ती है। अतः संसाधन सीमित होने के कारण ये सरकारें बोर्डों को उपयुक्त मात्रा में धन की व्यवस्था नहीं कर पाती हैं जिसके फलस्वरूप जल प्रदूषण नियंत्रण का कार्य कारगर रूप से नहीं हुआ है। अतः बोर्डों को अपना कार्य संचालन करने के उद्देश्य से उन्हें समुचित धन की व्यवस्था करने के लिये वर्तमान विधान की आवश्यकता है।

स्थानीय प्राधिकरणों तथा कुछ विशिष्ट उद्योगों पर उपकर लगाने का प्रस्ताव किया गया है। उपकर लगाने का आधार उद्योगों और स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला जल है।

अभिक्रिया उपकरण लगाने के लिये 70% छूट देने का प्रस्ताव किया गया है। आशा है उद्योग और स्थानीय प्राधिकरण इस छूट का लाभ उठाने के लिये अधिकाधिक अभिक्रिया उपकरण लगायेंगे।

इस समय यह उपकर विधेयक केवल उन्हीं राज्यों पर लागू होगा जिन्होंने जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 अंगीकार किया है। जिन राज्यों ने अधिनियम को लागू नहीं किया है उन्हें ऐसा करने के लिये कहा जा रहा है ताकि समूचे देश में जल प्रदूषण नियंत्रण संबंधी कदम उठाने में एकरूपता और समन्वय स्थापित हो।

केन्द्रीय सरकार के लिये यह आवश्यक नहीं है कि वह राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता दें। 1974 के अधिनियम के अनुसार राज्य सरकारें ही इन बोर्डों को वित्तीय सहायता देंगी। अतः उपरोक्त उपकर विधेयक का उद्देश्य केवल बोर्डों के संसाधनों को बढ़ाना है ताकि वे अपना कार्य कारगर ढंग से कर सकें। यदि किसी राज्य सरकार द्वारा एकत्र किया गया उपकर-धन राज्य के बोर्ड की आवश्यकताओं से कम है तो वह राज्य सरकार ही उस घाटे या कमी को पूरा करेगी।

यह विधेयक केवल कराधान के लिये ही नहीं है बल्कि इससे प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को अपनी प्रदूषण गतिविधियां कम करने हेतु प्रोत्साहन देना भी है। इस के लिये उनके द्वारा देय उपकर की राशि भी घटाई जा सकती है। इस प्रक्रिया में जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिये आवश्यक वैज्ञानिक एवं प्रशासनिक कदम उठाने के लिये इस उपकर से केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों को कुछ राजस्व भी प्राप्त हो जायेगा।

श्री पी० राजगोपाल नायडू (चित्तूर) : महोदय, इस विधेयक का उद्देश्य केवल जब प्रदूषण का नियंत्रण है। अब शहरीकरण और औद्योगीकरण से वायुदूषण और शोरगुल से भी वातावरण में दूषण हो रहा है। अतः इस अधिनियम का इस तरह संशोधन किया जाये ताकि इसमें वायू प्रदूषण और शोरगुल से वातावरण प्रदूषण भी शामिल किया जाये।

मल प्रदूषण अत्यन्त घातक हो गया है। मल से नगरों के आसपास बहने वाली नदियां दूषित हो रही हैं। मल प्रदूषण दूर करने के उद्देश्य से केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकारों से समन्वय स्थापित करना चाहिये।

इस विधेयक में शराब बनाने वाले कारखाने शामिल नहीं किये गये हैं। चित्तूर में शराब बनाने वाला कारखाना वायु में गैस-धुंआ छोड़ता है और इससे सारा जल दूषित हो जाता है जिसके फलस्वरूप

[श्री पी० राजगोपाल नायडू]

वहां के लोगों को स्वच्छ जल पीने को नहीं मिलता। अतः शराब खानों को भी विधेयक में जोड़ा जाना चाहिये।

लाइसेंस जारी करने में अधिकारियों को बहुत सावधानी बरतनी चाहिये जब तक मालिक अपने उद्योगों में प्रदूषण रोकने के उपाय न करें उन्हें लाइसेंस नहीं देने चाहिये।

मंत्री जी सुनिश्चित करें कि यह विधेयक सभी राज्यों में कार्यान्वित किया जाये। अन्य राज्यों को भी इस बात से सहमत करना चाहिये कि संविधान के अनुसार संकल्प पारित करें और इसे समान रूप से लागू किया जाये।

Shri Durga Chand (Kangra): Sir, it is a very important Bill but all of our objectives are not likely to be achieved through this Bill. The question of pollution is not confined to industries alone. The problem was there even in villages. In Himachal Pradesh most of the factories are located near the rivers and their water got polluted with the result that the people living in villages do not get fresh drinking water. The only solution to this problem is to bring forward a comprehensive Bill whereby pollution is controlled throughout the Country.

The people living in rural areas must get fresh drinking water. If the Government do not have resources they may levy a cess but they must see that all people are able to get fresh water at least within ten years.

डा० सरदीश राय (बोलपुर) : महोदय, मैं विधेयक का स्वागत करता हूं। यद्यपि यह एक सराहनीय विधेयक है। परइसमें कुछेक उपबंध बहुत ही घातक हैं। सरकार ने घरेलू उपयोग में आने वाले जल पर भी यह उपकर लगा दिया है और घरेलू उपभोक्ताओं पर भी एक पैसे प्रति किलो लीटर की दर से कर लगाया जायेगा, यह उपबंध ठीक नहीं है।

उद्योग को कतिपय छूट दी गयी है। जैसे यदि कोई उद्योग निःस्राव सामग्री का उपयोग करेगा तो उसे 70 प्रतिशत की छूट होगी। छूट लेने के लिये वे ऐसे संयंत्र लगा लेते हैं। दूसरी ओर पेय जल वालों पर भार डाला जा रहा है।

विधेयक में उपकर विलम्ब से भुगतान करने के लिये उस पर ब्याज लगाने सम्बन्धी तालिका दी गई है। ब्याज की दर $12\frac{1}{2}\%$ है। जब उद्योग बैंकों से ऋण लेते हैं तो उन्हें 15 या 16 प्रतिशत ब्याज देना पड़ता है। लेकिन यदि वे उपकर का विलम्ब से भुगतान करते हैं तो उन्हें $12\frac{1}{2}$ प्रतिशत की दर से ब्याज देना पड़ेगा। ऐसी परिस्थितियों में उपकर की वसूली बहुत कठिन हो जायेगी। जब तक इस ब्याज की दर बैंक दर से नहीं बढ़ाई जायेगी इस उपकर की वसूली करना सम्भव नहीं।

इस विधेयक में उपकर लगाने के लिये 15 मदों का उल्लेख किया गया है। इसमें रेयन को शामिल नहीं किया गया। रेयन कारखानों के द्वारा जो गन्द निःस्राव छोड़ा जाता है उससे बहुत अधिक प्रदूषण फैलता है। मंत्री जी यह स्पष्ट करें कि क्या रेयन को कपड़ा उद्योग में शामिल किया गया है या नहीं।

घरेलू प्रयोग में आने वाले पानी पर लगाया गया उपकर समाप्त किया जाना चाहिये। एक पैसे प्रति किलो लीटर राशि बहुत कम लगती है लेकिन एक बार यह कर लग गया तो उसकी दर बढ़ती ही रहेगी और यह भार बढ़ जायेगा।

Shri Vijay Kumar Malhotra (South Delhi): To my mind this Bill which proposes to impose this cess is badly needed, but, in India we are not paying adequate attention to the effects of invironmental pollution. we are quite unware of it. When this Bill was introduced in 1974, Government had assured that certain steps would be taken in this behalf and that no industries would be allowed to be set up beside rivers and water would not be allowed to be polluted.

The work done in this behalf by Central Board and State Boards during the last three years has been very unsatisfactory. This matter was first discussed in Parliament in 1962. A Committee was formed and now after 12 years the Report for 1976-77, says that the Board has completed preparation of the inventory of relevant industries within the Union Territory of Delhi and Daman and deliveation of effluent characteristics and effluent standards and their control measures are in advanced stage of completion.

While we are only in the preparative stage, the world has done a lot of work in this behalf.

We could benefit from their achievements.

It would have been better if the Minister could tell us by when the amendments to the 1974 Act as recommended by Central Board would be passed and recommendations implemented.

Notices were served on 575 industries located in Union Territories but no prosecution was launched by Central Board or State Boards under any of the provisions of the Act since 1974. The result is river waters continue to be polluted by effluents.

The Minister tells that the proposed cess will fetch 3½ crores of rupees but this amount would be spent over payment of salary to the Board's officers. It is not clear how the required action would be taken.

In Delhi, effluents from private industries are polluting the Yamuna river waters with the result that the fishes in the Yamuna die in every season. D.D.T. factory's effluents fall into river Yamuna. One can imagine how deletarious this water which is supplied for drinking from Okhla, can be. People get jaundice and other diseases by consuming this water. The river Ganga in Hubli is also in the same state; fishes die in its water also. Why are Public Undertakings not taking steps to prevent polluation of waters from effluents? The present Janata Government should take effective steps in this behalf.

Plants have been put up at certain places but they remain to be shown pieces only. None of the industries including the public industries, is spending so much as is needed to put up a plant. Proper action is not being taken.

After the Act came into being, a new industrial township came into existence near Okhla, the effluent of which falls into the Yamuna. The Act was passed to prevent any industries coming up near rivers but in 1976 itself such a big township came up beside the Yamuna.

Similarly fishes are dying in sea waters upto 10 kilometers off the coast.

[Shri Vijay Kumar Malhotra]

There is a Report from UNO and a very big Conference was held in Stockholm which was attended by the ex Prime Minister who had assured that certain steps would be taken in this behalf but subsequently no action was taken.

The provision of 3½ crores in the Act is a petty amount. If you consider the matter as more serious than the atomic warfare, then you will have to do more than merely providing the Boards with 3 crores of rupees.

About 5 lakhs of villages in our country do not have potable water. Action should be taken on one level to prevent both environmental and water pollution there. Those industries who do not put up a plant during a stipulated period should be closed down. Just because we want that industrial production should increase, we should not risk the lives of cattles, of people of the country. I would ask the Minister to deal with this problem in right earnestness as is being done elsewhere in the world.

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे (अहमदनगर) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। हम भारतीय लोग इस समस्या के प्रति इतने सचेत नहीं रहे हैं जितना कि होना चाहिये था। भूतपूर्व कांग्रेस सरकार भी इस समस्या के बारे में कुछ विशेष नहीं कर सकी थी। हमने उस ओर ध्यान नहीं दिया है कि प्रदूषण से हमारे सामाजिक जीवन को कितनी हानि हो रही है। जल प्रदूषण से स्वास्थ्य के लिये भारी खतरा है। हम लोगों के स्वास्थ्य को सुधारने के लिये सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं परन्तु यदि स्वच्छ पेय जल उपलब्ध नहीं होगा तो स्वास्थ्य में क्या सुधार होगा।

लोगों के इलाज पर रुपया व्यय करने से अच्छा यह होगा कि हम उनको प्रदूषण से बचाने पर अधिक रुपया खर्च करें। जैसा कि श्री मल्होत्रा ने अभी कहा है 3.5 करोड़ रुपये बिल्कुल अपर्याप्त है। देश में इस बात का अध्ययन होना चाहिये कि प्रदूषित जल तथा वायु के प्रयोग से जो लोग बीमार होते हैं उस से कितनी हानि होता है।

अमरीका में एन्वायरमेन्टल प्रोटेक्शन एजन्सी ने अनुमान लगाया है कि वायु तथा जल प्रदूषण से बीमार होने, काम करने के समय नष्ट होने, इलाज के बिलों पर तथा असामयिक मृत्यु के कारण 60 लाख 10 हजार डालर की हानि होती है। फसलों तथा वनस्पति को 10 लाख डालर प्रतिवर्ष की हानि; विभिन्न पदार्थों को 4 लाख 70 हजार डालर प्रति वर्ष की हानि होती है। वायु प्रदूषण से 16 लाख 10 हजार डालर प्रति वर्ष की हानि होती है। वायु प्रदूषण से कुल 10 लाख 65 हजार डालर प्रति वर्ष की हानि होती है।

यदि हमारे देश में भी ऐसा अध्ययन किया जाय तो बहुत खराब चित्र उभरेगा और यदि हम कुछ और अधिक काम करेंगे तो अच्छा नतीजा निकलेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : आप लंच के बाद जारी रखे।

The Lok Sabha adjourned for lunch till Fourteen of the Clock.

The Lok Sabha re-assembled after lunch at ten minutes past Fourteen of the clock.

जल (प्रदुषण निवारण तथा नियंत्रण) उपकर विधेयक—जारी
WATER (PREVENTION AND CONTROL OF POPULATION) CESS BILL *Contd.*

[डॉ० सुशीला नायर पीठासीन हुईं]
[DR. SUSHILA NAYAR *in the Chair*]

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : मैं कह रहा था कि उन लोगों के इलाज पर सैकडों करोड़ रुपया व्यय करने की क्या तुक है जबकि वे गन्दा, प्रदूषित जल पीने के कारण बीमार हो जाते हैं। मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय प्रदूषण निवारण के अर्थशास्त्र पर अपना शोध करेंगे न कि 3.50 करोड़ रुपयों के लिए जोकि इस समस्या के लिये पर्याप्त नहीं है, लेने के लिए सदन के सम्मुख आयेंगे।

दूसरे, हम जो विभाग बनाते हैं तो हमारे बजट का 80 प्रतिशत तो कर्मचारियों के वेतन पर ही व्यय हो जाता है। 1974 के कानून को लागू करने के लिये अधिक रुपये की आवश्यकता होती है। यह कोई पार्टी का विषय नहीं है। यदि आप 20 प्रतिशत कर्मचारियों के वेतन पर खर्च करें तथा 80 प्रतिशत रुपया प्रदूषण निवारण पर व्यय करने का आश्वासन दें तो सम्पूर्ण सदन आप का समर्थन करेगा।

बात केवल औद्योगिक एफ्लयूयेंट भी नहीं है अथवा नगर निगम आदि की गन्दगी आदि से होने वाले प्रदूषण का प्रश्न नहीं है। कश्मीर में डाल लेक की बुरी दशा है। उसे झील नहीं कहा जा सकता। आंध्र में कोललेक में यदि यही दशा रही तो वह समाप्त हो जायेगा। 1974 का विधेयक भी जब संसद के समक्ष आया था तो वह अपर्याप्त था। ऐसा विधेयक होना चाहिये जिसमें शोर व ध्वनि प्रदूषण भी सम्मिलित हो।

यह मामला इतना गंभीर है कि प्रदूषण का प्रभाव वनस्पति, जीवों तथा मनुष्यों पर पड़ रहा है।

विश्वविख्यात जलवायु कोविज्ञ श्री होरार्ग सौल्शनर के अनुसार मनुष्य ने प्रकृति की मौखाकृति को बदल दिया है। इस करण मैमल और चिडियों की 200 किस्में पिछले 2000 वर्षों में समाप्त हो गई हैं और उनमें से 130 तो पिछले 400 वर्षों में गायब हो गई हैं और 65 पिछले 50 वर्षों में गायब हुई हैं।

आज के नेशनल हेरल्ड में एक समाचार के अनुसार हिमालया की परिस्थिति व्यवस्था में संकट उत्पन्न हो गया है। हिमालय का बहुत सा वन्य जीवन तथा चिड़ियां अगले 20 वर्षों में नष्ट हो जायेंगे यदि उनके संरक्षण के लिए कदम नहीं उठाये जाते।

प्रकृति का संरक्षण भी प्रकृति के प्रदूषण का एक अंग है।

प्रदूषण को रोकने के सारी कोशिश व्यर्थ हो जायगी यदि, जन संख्या की वृद्धि की दर 1 प्रतिशत नहीं ले आई जाती। यह मेरा ही विचार नहीं है; वैज्ञानिक भी इस बात से सहमत हैं कि विश्व में स्थान सीमित है अतः जन संख्या वृद्धि यदि 1 प्रतिशत नहीं लाई जाती तो प्रदूषण को रोकने के सारे प्रयास विफल हो जायेंगे।

[श्री अण्णासाहेब पी० शिंदे]

देश में गंगा का ही पानी नहीं नहर तक का पानी प्रदूषित हो जाता है। अतः एक व्यापक विधेयक लाने की आवश्यकता है। 1974 के विधेयक में भी त्रुटियां थीं। औद्योगिक प्रदूषण करने वालों तथा अन्य प्रदूषण करने वालों को सजा क्यों न दी जाये ? ऐसा प्रवधान किया जाय कि नगरपालिका अथवा गैर सरकारी उद्योग जो जलवायु का प्रदूषण करें स्वतः सम्बद्ध अधिकारियों को इस बारे में सूचित करने के लिये उत्तरदायी हों। यदि नगरपालिकायें और डिस्ट्रिक बोर्ड इस बात की सूचना नहीं देते तो उनके विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये कानून बनाये जाने चाहिये।

इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि एक ऐसा कानून बनाया जाना चाहिये जिसके द्वारा कोई भी स्वतंत्र नागरिक जल प्रदूषण करने वाले किसी उद्योग अथवा नगरपालिका पर मुकदमा चला सके। केवल सरकारी विभाग कार्यवाही नहीं कर पायेंगे। तभी नागरिकों के हितों की रक्षा की जा सकेगी।

वनों को सुरक्षा करने के लिये भी कार्यवाही करनी होगी क्योंकि परिस्थितिजन्य व्यवस्था की भी सुरक्षा करनी होगी।

इन सुझावों के साथ मैं विधेयक का स्वागत करता हूँ।

श्री शंभुनाथ चतुर्वेदी (आगरा) : प्रतिवेदन का अध्ययन करने से पता चलता है कि बैठकों और कार्यक्रमों का तो बहुत आयोजन किया जाता है परन्तु कार्य कुछ भी नहीं होता। वस्तुतः प्रतिवेदन में यह बिलकुल भी नहीं बताया गया है कि प्रदूषण नियंत्रण के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है।

यमुना भी उन नदियों में से एक है जिनका अध्ययन किया गया है। यमुना एक पावन नदी है किन्तु अब यह मलकुण्ड बन गई है। इसमें नहाने के लिये भी पानी नहीं है। मल व्ययन लाइनों का निर्माण करने के बावजूद इसमें बहुत अधिक मल गिरता है। नगर में पानी का पानी भी पर्याप्त नहीं रहता है। पता नहीं इस नदी के प्रदूषण को रोकने के लिये अब तक क्या कार्य किया गया है।

हम पर्यटकों के लिये होटलों पर होटल बना रहे हैं। लेकिन चारों ओर फैले दूषित पर्यावरण की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है।

यह सच है कि यह समस्या कठोर दण्ड की व्यवस्था करके हल नहीं हो सकती। प्राथमिक कक्षाओं में ही स्वास्थ्य और सफाई को पाठ्यक्रम का अंग बनाकर स्वास्थ्य और सफाई सम्बधी शिक्षात्मक प्रचार किया जाना चाहिये।

बड़ी विचित्र बात है कि हम पानी की खपत पर तो उपकर लगा रहे हैं लेकिन प्रदूषकों पर नहीं। इस कराधान का यह परिणाम होगा कि प्रत्येक व्यक्ति पानी की कम खपत करेगा। इसमें प्रदूषण तत्वों का और अधिक जमाव हो पायेगा। वस्तुतः प्रदूषण तत्वों और निःस्त्रावों पर ही कर लगाया जाये। चूंकि उद्योग ही शरारत करते है इसलिये उनसे पानी साफ करने के लिये संयंत्र लगाने के लिये कहा जाये ताकि निःस्त्राव से जल दूषित न हो।

मैं इस बात से सहमत हूं कि इस उपकर के माध्यम से स्थानीय निकायों को दण्डित न किया जाये, क्योंकि ये निकाय उपकर का भार उपभोक्ताओं पर डाल देंगे। सरकार को यह धन एकत्र करने के लिये कोई तरीका ढूंढ़ना चाहिये ।

श्री चित्र बसु (बारासाट) : ऐसा प्रतीत होता है कि यह विधेयक उन उद्योगपतियों के पक्ष में है जो वास्तव में जल प्रदूषण के लिये जिम्मेदार है। खण्ड 14 के अनुसार यदि राज्य बोर्ड अथवा किसी अन्य संगठन को यह पता लग भी जाये कि किसी एजेंसी ने अपराध किया है तो भी वे न्यायालय में नहीं जा सकते। केवल केन्द्रीय सरकार ही ऐसा कर सकती है।

आप उन नगरपालिकाओं, निगमों और ऐसे संगठनों पर उपकर लगाना चाहते हैं जो जनता को निःशल्क और स्वच्छ पानी की सप्लाई करते हैं। ये संस्थायें इस उपकर को जनता से वसूल करेगी। अतः इस उपकर का भार अन्ततः आम गरीब जनता पर ही पड़ेगा। यह उचित नहीं है।

इस समूची व्यवस्था से पता चलता है कि धन एकत्र करके उसे भारत की संचित निधि में जमा कर दिया जायेगा और उसके बाद सरकार यह निर्णय करेंगी कि एकत्र किये गये इस धन में से सरकारी निकायों और राज्य सरकारों को कितना धन मिलेगा। परन्तु यह अक्सर देखा गया है कि राज्यों से इकट्ठी की गई राशि उन्हें मिलने वाले धन से अधिक होती है। इसलिये एकत्र किये गये साधनों को राज्य सरकारों आदि को बांटने तथा तत्सम्बन्धी सिद्धांतों को भी विधेयक में जोड़ दिया जाये। स्थानीय निकायों पर लगे उपकर को समाप्त किया जाये।

श्री ए० मुरुगेसन (चिदम्बरम) : कल कारखानों द्वारा नदियों में गन्दा पानी छोड़ने से राष्ट्र के जन-स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जहां कहीं नदियां या नालें हैं वहां पर पानी सार्वजनिक भूमि पर इकट्ठा होने दिया जाता है।

मूल विधेयक 1974 में पास किया गया था। अभी केवल 15 राज्यों में ही अधिनियमों के उपबन्धों को लागू किया गया है। शेष राज्यों को इसे लागू करने के लिये क्यों नहीं कहा गया? इसके अतिरिक्त राज्य धन की कमी के कारण उपबन्धों को लागू नहीं कर सके हैं। इसलिए यह अच्छा है कि इस विधेयक के द्वारा उप-कर लगाया जा रहा है और इस प्रकार इकट्ठा होने वाले धन को राज्य बोर्डों को दिया जायेगा। परन्तु दूसरी अनुसूची में उपकर की दरों को प्रति लिटर बढ़ाकर 3 पैसे, 4 पैसे, 5 पैसे और 10 पैसे कर दिया जाये। केन्द्र सरकार को चाहिए कि वह इस समस्या को हल करने के लिए राज्यों में प्रशिक्षित और अनुभवी लोगों को लगाये।

Dr. Ramji Singh (Bhagalpur): The problem of water pollution is very serious. The amount of Rs. 3 crores likely to be collected as a cess would be totally insufficient to solve this problem. Therefore, I have moved an amendment to provide for increase in cess if found necessary in future.

Our rivers have been greatly polluted by industrial effluents. Even Ganga, which is considered as a sacred river, is not spared. It has created even food problem because river pollution is affecting availability of fish.

There is no need to show any leniency to industrial units which are responsible for water pollution. They should be made to pay heavily for this water pollution.

Shri Laxmi Narain Nayak (Khajuraho): The need for pure drinking water cannot be over-emphasized. But the problem of water pollution cannot be solved only by imposition of cess. The crux of the problem is where to channelise the polluted water. The need, therefore, is to see that the polluted water is diverted to a certain point and is not used in any way. If any industrial unit violates the directives of the Government in this regard, it should be penalised. The provisions of the Act should be strictly enforced.

श्री के० ए०राजन (त्रिपूर): जलप्रदूषण के लिये मुख्य रूप से उद्योगपति जिम्मेदार हैं। परन्तु इस उप-कर का भार अन्ततः जनता पर पड़ेगा और इसके लिए जिम्मेदार उद्योगपति साफ बच जायेंगे। इसलिए यदि हम वास्तव में उद्देश्य की पूर्ति चाहते है तो विधेयक को और अधिक कठोर बनाया जाये ।

Shri Ugrasen (Deoria): The scope of the Bill is limited. It is necessary to enlarge it and we really want to have any useful purpose.

There is no need to emphasise the well-known fact that rivers should be free from every kind of pollution. But the industrial effluent has become a menance to the purity of water of the rivers.

Imposition of cess will not solve this problem. There is need to see that the water which flows into the rivers as industrial effluent is clean.

To solve this problem effecting, it will be better if a central autonomous corporation is constituted and there are State Corporations to work under it. The money should be given from Central Budget.

It is desirable that distillery are also included in the industries specified in the Bill since they are also responsible for water pollution.

There should be no cess on water for domestic use. Secondly, there is utilization of water in one country to the extent of only 20 percent while in other countries, it is 80-90 percent. There is, therefore, need to prepare a scheme for the maximum utilization of water.

It will be better if there is a separate ministry to deal with this problem in an effective manner.

Shri Ram Murti (Bareilly): There is no denying the fact that the industrial units are responsible for water pollution. It is, therefore, incumbent upon them to clean their effluents and use them again. They should not divert the impure water to river. Government should make it mandatory for these industries. Wherever there are industries, laboratories should also be opened there for this purpose.

There is need to bring under the Bill environmental pollution also, which is also a great health hazard.

Shri Yuvraj (Katihar) : It will be proper if local bodies are exempted from the payment of cess since their resources are limited. They cannot properly provide civil facilities to the people.

It will also be proper of the State Board is authorised to prosecute the defaulting industrialists on the basis of reports of laboratories working under it.

The industrial units are solely for pollution of river waters. Therefore, the amount of cess to be imposed upon them should be increased. Not only that, there is need to exercise severe control on these industries to check water pollution. There should be provision for severe punishment for those industries which are doing it for their personal interest.

The Minister of Works and Housing and Supply (Shri Sikandar Bakht): I am grateful to the Hon. Members for taking active part in the debate on the subject. An Hon. Member has said that rayon has not been included in the schedule.

[MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*
उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

Textile has been included in the schedule and rayon comes under textile. Therefore rayon is in schedule No. 10 and distillery is in schedule No. 15.

An Hon. Member has said that there has been increase in pollution in Yamuna river. If this is due to the fact that Government of Uttar Pradesh has established a big industrial complex—'Noida' on this river. The establishment of this industrial complex has not only polluted water of this river but it has also violated National Capital Region.

Reference has also been made about air pollution. I would like to mention here that a Bill in this regard has already been placed before the Cabinet which shall be brought soon before the Parliament.

It has been asked as to have the cess amounting to Rs. 3.5 crores would be utilised. I would like to make it clear that this amount is earmarked to cover the administrative expenditure only. It is not for installing any plant. Only the pollutor will instal the plant.

So far as the amendments are concerned, I have qualified them.

Shri Yuvraj: Water is essential for purification, and you are imposing cess on water.

Shri Sikandar Bakhat: Only the water, that would be consumed is subject to cess.

It has been suggested in amendments 1 to 11, 18 and 21 that no cess should be imposed on water for domestic use. But it would be discrimination with industries.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"जल प्रदूषण के निवारण तथा नियंत्रण के लिये जल प्रदूषण (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण)

[उपाध्यक्ष महोदय]

अधिनियम, 1974 के अधीन गठित केन्द्रीय बोर्ड और राज्य बोर्डों के साधनों में वृद्धि करने की दृष्टि से कुछ उद्योग चलाने वाले व्यक्तियों और स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा उपभोग किये गये जल पर उपकर के उद्ग्रहण और संग्रहण का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय: अब खण्ड 2 को लेंगे। श्रीमती रांगणेकर उपस्थित नहीं हैं। प्रश्न यह है कि :
"खण्ड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted.

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।
Clause 2 was added to the Bill.

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम खण्ड 3 को लेंगे। श्रीमती रांगणेकर यहां उपस्थित नहीं हैं। डा० रामजी सिंह का आप अपना संशोधन प्रस्तुत करेंगे अथवा नहीं।

डा० रामजी सिंह : मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं।

श्री युवराज : मैं भी अपना संशोधन वापस लेता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है कि :

"खण्ड तीन विधेयक का अग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted.

खण्ड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।
Clause 3 was added to the Bill.

उपाध्यक्ष महोदय: अब खण्ड 4 है। लेकिन श्रीमती रांगणेकर यहां उपस्थित नहीं है। अतः प्रश्न यह है कि :

"खण्ड 4 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted.

खंड 4 विधेयक में जोंड़ दिया गया।
Clause 4 was added to the Bill.

उपाध्यक्ष महोदय : खण्ड 5। श्रीमती रांगणेकर यहां उपस्थित नहीं है । अतः प्रश्न यह है कि :

"खण्ड 5 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

खण्ड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया ।
Clause 5 was added to the Bill.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खण्ड 6 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

खण्ड 6 विधेयक में जोड़ दिया गया ।
Clause 6 was added to the Bill.

उपाध्यक्ष महोदय : खण्ड 7। डा० पी० एन सिंह भी यहां उपस्थित नहीं हैं। अतः प्रश्न यह है कि :
"खण्ड 7 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

खण्ड 7 विधेयक में जोड़ दिया गया।
Clause 7 was added to the Bill.

उपाध्यक्ष महोदय : खण्ड 8 । श्री चित्त बसु, क्या आप अपना संशोधन संख्या 15 प्रस्तुत करना चाहते है ?

श्री चित्त बसु : जी हां, श्रीमन् । मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"पृष्ठ 3, पंक्ति 25 से 28 का लोप किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"पृष्ठ 3, पंक्ति 25 से 28 का लोप किया जाये ।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।
The motion was negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खण्ड 8 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

खण्ड 8 विधेयक में जोड़ दिया गया ।
Clause 8 was added to the Bill.

खण्ड 9 से 13 विधेयक में जोड़ दिए गए ।
Clauses 9 to 13 were added to the Bill.

उपाध्यक्ष महोदय : अब खण्ड 14 है ।

श्री चित्त बसु : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"पृष्ठ 4, पंक्ति 38 से 40 का लोप किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :
"पृष्ठ 4, पंक्ति 38 से 40 का लोप किया जाये ।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।
The motion was negatived.

श्री चित्त बसु : मैं मंत्री महोदय से यह सुनना चाहता हूं कि उन्होंने इसे स्वीकृत क्यों नहीं किया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : वह पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं ।

श्री चित्त बसु : आपने मंत्री महोदय को रोका है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने किसी को नहीं रोका है । मैंने केवल यही कहा था कि संशोधनों को प्रस्तुत करने से पहले उन्हें स्वीकृत करना अथवा अस्वीकृत करना उचित नहीं है । इस खण्ड के सभी संशोधन अस्वीकृत कर दिये गये हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खण्ड 14 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

खण्ड 14 विधेयक में जोड़ दिया गया ।
Clause 14 was added to the Bill.

खण्ड 15 से 17 विधेयक में जोड़ दिए गए ।
Clauses 14 to 17 were added to the Bill.

अनुसूची (एक) और (दो) विधेयक में जोड़ दिए गए।
Schedules I and II were added to the Bill.

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पुरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।
Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री सिकन्दर बख्त : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"विधेयक पास किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"विधेयक पास किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted.

अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक
Advocates (Amendment) Bill

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"अधिवक्ता अधिनियम, 1961 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

यह विधेयक बहुत ही सत्य सा है तथा इसका संबंध तीन बातों से है। पहला मामला राज्यों और भारत की बार कौंसिलों के अध्यक्ष और उपाध्यक्षों से संबंधित है। 1976 के संशोधन से पहले सभी बार कौंसिलों को अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनने का अधिकार था। 1976 के संशोधन के बाद ही उनका यह अधिकार उनसे छीना गया। इसके बदले पदेन अध्यक्ष और पदाध्यक्ष को नियुक्ति की व्यवस्था की गई।

इस विधेयक की एक व्यवस्था यह है कि फिर से पुरानी स्थिति रखी जाए अर्थात् बार कौंसिलों को अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनने की स्वायत्तता और स्वतंत्रता निभाते हैं इसलिये इनके निर्वाचित प्रतिनिधियों को अपना अध्यक्ष चुनने का अधिकार होना चाहिय। इस विधेयक को लाने के पीछे यही औचित्य है।

दूसरी बात है बार कौंसिल का कार्य काल पहले इसका कार्यकाल चार वर्ष था। संविधान में विधान सभाओं और लोक सभा का कार्यकाल पांच वर्ष रखा गया है। इसलिये इस विधेयक में बार कौंसिलों का कार्यकाल 4 वर्ष से बढ़ा कर पांच वर्ष करने का प्रस्ताव है। इसका कारण यह है कि चुनाव एक मंहगी प्रक्रिया है और फिर वे बार बार कराने होते हैं। विधान सभाओं और लोक सभा पर लागू होने वाली पांच वर्ष की प्रतिक्रिया बार कौंसिलों के संबंध में भी अपनानी होती है। इसलिये इस विधेयक के अनुसार निर्वाचित बार कौंसिल का कार्य काल भो चार वर्ष के स्थान पर पांच वर्ष करने का प्रस्ताव है।

तीसरा महत्वपूर्ण मामला कलकत्ता उच्च न्यायालय में अटार्नी को समस्या से सम्बन्धित है। अधिवक्ता अधिनियम के अनुसार अधिवक्ताओं को एक ही श्रेणी रखने की व्यवस्था को जा रही है जबकि 1976 के संशोधन से पहले जिन अधिवक्ताओं ने विधि स्नातक की उपाधि नहीं ली है उनके लिए विशेष व्यवस्था थी। 1976 के संशोधन के बाद इस विशेष व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया।

[श्री शान्ति भूषण]

ऐसे अधिवक्ता कलकत्ता और बम्बई उच्च न्यायालयों में हैं। बम्बई उच्च न्यायालयों के संबंध में कोई समस्या नहीं है क्योंकि अटार्नी की परीक्षा देने से पहले एक व्यक्ति का विधि स्नातक होना आवश्यक है और इसलिये वे स्वयं को अधिवक्ता के रूप में दर्ज करा सकते हैं।

परन्तु कलकत्ता उच्च न्यायालय के संबंध में स्थिति भिन्न है। वहां बिना विधि स्नातक हुए अटार्नी को परीक्षा दे सकते हैं और बहुत से व्यक्तियो ने इसके लिये अपने नाम दर्ज कराए और उनमें से बहुत से उसे पास भी कर चुके हैं---यद्यपि वह अंतिम परीक्षा नहीं है। 1976 के संशोधन के कारण जो लोग विधि का ज्ञान प्राप्त करने में काफी चुके थे और जिन्होंने प्रारंभिक अथवा मध्यवर्ती परीक्षा पास कर ली थी परन्तु अन्तिम परीक्षा 31 दिसम्बर, 1976 से पहले पास नहीं की थी उन्हें भी इस अथाचित कठिनाई में डाल दिया गया कि वे अंतिम परीक्षा पास नहीं कर सकते। सरकार ने यह अनुभव किया कि यह उन पर अनावश्यक कठिनाई डालना है इसलिये इस विधेयक के द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि कलकत्ता उच्च न्यायालय 31 दिसम्बर, 1980 तक परीक्षा आयोजित कर सकता है जिससे, कम से कम उन लोगों को जिन्होंने पहली परीक्षा पास कर ली है, 31 दिसम्बर, 1980 तक अंतिम परीक्षा पास करने का अवसर दिया जा सके।

उपाध्यक्ष लहोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि :

"अधिवक्ता अधिनियम, 1961 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय।"

डा० वी० ए० सइद मोहम्मद (कालीकट) : यह विधेयक 31 अक्तूबर, 1977 को लागू किए गए अध्यादेश की जगह लेने के लिये लाया गया है। इसका अर्थ यह हुआ अध्यादेश संसद् की बैठक के 14 दिन पहले ही जारी किया गया। विधेयक के उद्देश्य और कारण संबंधी वक्तव्य तथा तुरन्त अध्यादेश जारी करने के स्पष्टीकरण से यह पता चलता है कि अध्यादेश जारी करने का एकमात्र कारण यही था कि, बार या उच्च न्यायालय जनवरी में परोक्षा लेता है, इसलिये अध्यादेश के द्वारा इसे तुरन्त लागू किया जाना तो देरी होने का खतरा है। ऐंसे छोटें से मामले में यदि परीक्षाएं जनवरो के पहले सप्ताह में न हो कर अन्तिम सप्ताह में हो जाती है तो कोई पहाड़ नहीं टूट जाता। विधि मंत्री यह विधेयक सत्र के पहले दिन या दूसरे दिन ला सकते थे।

1976 में जब अधिवक्ता संशोधन विधेयक पेश किया गया था तब यह कहा गया था कि 1968 में मूल विधेयक पास करते समय यह व्यवस्था थी कि महान्यायवादी भारत की बार कौंसिल का अध्यक्ष होगा और विभिन्न राज्यों की बार कौंसिल के अध्यक्ष भी इसी प्रकार वहां के महान्यायवादो होंगे। बाद में यह सोचा गया कि बार कौंसिलों की स्वायत्तता बनाने के लिए इनका चुनाव किया जाए। विधि मंत्री ने बताया है कि ऐसे अभ्यावेदन आए हैं कि फिर से 1961 को स्थिति लागू कर दी जाए। उस समय भी ऐंसे अभ्यावेदन आए थें कि चुनाव को प्रक्रिया में बार कौंसिलों को, सुचारु रूप से काम करने में अव्यवस्था पैदा कर दी है। इसलिये फिर से 1961 की स्थिति में जाना आवश्यक समझा गया।

विधि मंत्री का यह वक्तव्य बड़ा साहस पूर्ण है कि इस कदम की बड़ो आलोचना को जा रही है। परन्तु यह नहीं बताया गया कि क्या पहलो व्यवस्था बार कौंसिलों के कार्यकरण के लिये हानिकरथी। पहले भी बड़ी संख्या में बार एसोसिएशन परिवर्तन करने के पक्ष में तथा विपक्ष में समान रूप से विभाजित

थे। काफी विचार करने के पश्चात् हम 1961 वाली स्थिति पर पहुंचे। मैं नहीं समझ सकता कि क्या इन आठ महीनों के दौरान स्थिति में इतना परिवर्तन हो गया है कि पहले जो परिवर्तन किया गया था उसे बार एसोसिएशन के हितों के लिये पूर्णतया अनावश्यक समझा गया है। फिर भी कोई तथ्य नहीं बताए गए और परिवर्तन करना न्यायोचित ठहराया जा रहा है। पता नहीं मंत्री जी ने यह सिद्धांत कहां से लिया है कि निर्वाचित निकाय 5 वर्षों के लिये होते हैं और इसलिये उनकी कार्यकाल की अवधि 5 वर्ष होनी चाहिये। यदि सरकार आश्वासन दे कि बार में सर्वोच्च हित के लिये कुछ परिवर्तन होना चाहिये तो निश्चय ही मैं विधेयक का समर्थन करूंगा। किन्तु यदि ऐसा केवल भूतपूर्व सरकार द्वारा किये गए परिवर्तन को समाप्त करने के लिये किया जा रहा है तो मैं इसका समर्थन नहीं कर सकता।

Shri Ganga Singh (Mandi): I welcome and support the Advocates (Amendment) Bill, 1977. During emergency a number of black laws were enacted. Amendment made in 1976 in the Advocates Act was also a black law. It is the duty of the present Government to undo the wrongs of the previous Government and the people have given mandate to the present Government for this purpose.

It is stated that there was no criticism of the law and no representations were received to amend it. But it is a legislation enacted during the period of emergency, and Government now deserve all praise for doing away with such provisions as are detrimental to the efficient functioning of Bar Councils. The Chairman of the Bar Council nominated earlier should not be allowed to become Chairman again. With these words, I support the Bill.

श्री शशांकशेखर सान्याल (जंगीपुर) : मैं पुरःस्थापित किये गये विधेयक का समर्थन करता हूं।

[डा० सुशीला नायर पीठासीन हुई
DR. SUSHILA NAYAR *in the Chair*]

मैं अधिवक्ता विधेयक सम्बन्धी प्रवर समिति, जिसकी अध्यक्षता श्री हाथी ने की थी, का सदस्य भी रहा हूं। किन्तु लोकतांत्रिक परम्पराओं में महान्यायवादी या महाधिवक्ता को सरकारी मनोनीत के रूप में उच्च पदों पर नियुक्त करना अनुचित है और उन्हें वहां से हटाया जाना चाहिये।

जहां तक कालावधि का संबंध है, 5 वर्ष की अवधि ठीक है। मंत्री जी को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि इस पर किसी का एकाधिकार न हो। अतः जो वकील एक बार इसमें रह चुके हैं, उन्हे अगली कालावधि में इसमें रहने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये।

जहां तक समस्या का संबंध है, मुख्यतः उन लोगों को अवसर दिया जा रहा है जो कि हमेशा ही इस क्षेत्र में रहे हैं। मंत्री जो को ऐसे उपाय करने चाहिये जिससे कि राज्य वकीलों के हितो की देखभाल भली भांति कर सके। उनके लिये आकस्मिक लाभों, वृद्ध आयु लाभों, मृत्यु लाभो आदि जैसे स्थायी लाभों के लिये कुछ उपबन्ध किये जाएं। फिर भी मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

Shri Durga Chand (Kangra): The Advocate (Amendment) Bill that has been brought here now is very commendable. The amendment that was made in the original Advocates Act in 1976 sought to impose Government control over the Bar Councils. The present Government is committed to undo the wrongs that had been done during the period of emergency. It is well and good that the Law Minister by bringing this measure has undone

[Shri Durga Chand]

such a wrong. No curbs should be imposed on the working of the Bar Councils. However, I support the Bill whole heartedly and want that it should be passed unanimously.

*श्री ए० मुरूगेसन (चिदम्बरम) : सभापति महोदया, अखिल भारतीय अन्ना द्रमुक की ओर से मैं अधिवक्ता संशोधन विधेयक पर कुछ कहना चाहता हूं ।

इस विधेयक का उद्देश्य भूतपूर्व कांग्रेस सरकार द्वारा भारत के लोगों पर आपात स्थिति के दौरान की गई ज्यादतियों को समाप्त करना है। तत्कालीन केन्द्रीय सरकार नेआपात स्थिति के दौरान राज्य वार कौंसिलों की स्वायत्तता समाप्त कर दी थी। यद्यपि 1976 में अधिवक्ता अधिनियम, 6119 में संशोधन करने का समूचे देश में विरोध किया गया किन्तु आपात स्थिति के दौरान किसी बात का विरोध करने के फलस्वरूप भुगतने वाले परिणामों के डर से असहमति की यह आवाज़ दब कर रह गई ।

आम चुनावों के दौरान जनता पार्टी ने लोगों को आश्वासन दिया कि यदि हम सत्ता में आ गए तो हम अधिवक्ता अधिनियम की आपात स्थिति से पूर्व की स्थिति को पुद: कायम कर देंगे और आपात स्थिति के दौरान पास संशोधन का निरसन कर देंगे। हर्ष की बात है कि राष्ट्रपति ने इस उद्देश्य के लिये अध्यादेश जारी किया है और यह विधेयक उस अध्यादेश का स्थान ले रहा है।

मैं केन्द्रीय सरकार को बधाई देता हूं कि उसने राज्यवार कौंसिलो की स्वायत्तता को पुन:कायम किया है और राज्य वार कौंसिल को सदस्यता की कालावधि 4 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष कर दी है। विधि मत्री को कोई ऐसा स्थायी विधायी उपाय करना चाहिये जो किसी भी सरकार को देश के कानूनों में इस तरह के संशोधन करने की अनुमति न दे ।

Dr. Ramji Singh (Bhagalpur) : The Law Minister deserves congratulations for bringing forth this legislative measure because it would wipe away the black spot of emergency. It is said that an ordinance was uncalled for when Parliament was going to assemble just after 14 days. But I feel that this measure ought to have been, brought here much earlier. It is a matter of regret that even at present, there are some members who support the draconian measure adopted during the period of emergency. It is stated that a large number of Bar Associations, had supported it, but it was a support obtained during the emergency. Therefore, it is wrong to say that it was widely supported.

Chowdhry Balbir Singh (Hoshiarpur) : During General elections, Congress party used its power and money, but people of India have given full defeat to the Congress Party. The previous government put restrictions on Advocates. The Law Minister by bringing forth this Bill has taken a very right step. It is rightly stated that the Government should not have promulgated an ordinance when Parliament was going to assemble very shortly. Reference was made to expenditure incurred in the election of Chairman of Bar Councils. But the fact is that we cannot avoid it in a democracy. However, I support the provisions of this Bill.

*तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिंदी रुपांतर

Summarised translated version of the English Speech delivered in the Tamil.

A Committee should be set up to look into the deficiencies in the working of Bar Councils. Measures should be taken to see that poor people get justice without any high cost.

श्री सौगत राय (बैरकपर) : मैं इस विधेयक का विरोध नहीं करूंगा क्योंकि गत आठ महीनों से हमारे दल ने यह निश्चय किया है कि छोटी-छोटी बातों पर हम सरकार का विरोध नहीं करेंगे और हम केवल मात्र विरोध के लिये सरकार का विरोध नहीं करेंगे।

जनता पार्टी आपात स्थिति का नाम लेकर चुनाव जीत गई। लेकिन आज क्या हो रहा है? गत 8 महीनों से मूल्य बढ़ रहे हैं; कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ चुकी है। जनता पार्टी प्रजातंत्र की दुहाई देती है। लेकिन मध्य प्रदेश में सरकार ने लघु-आंसुका लागू किया है। जम्मू-कश्मीर में आंसुका फिर से लागू कर दिया गया है...**व्यवधान**।

विधि मंत्री ने अध्यादेश जारी करने में जल्दबाजी की है। संसद के सत्र के आरम्भ होने में केवल 14 दिन शेष थे, फिर अध्यादेश जारी करने की क्या आवश्यकता थी। बार कांउसिल एक महत्वपूर्ण निकाय है। चुनावों के कारण बार कौन्सिल तेजी से विभिन्न दलो में विभाजित हो रही थी। ऐसी बार कांउसिल समुचित ढंग से न्याय नहीं दे सकती थी, गलती करने वाले लोगो कि विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं कर सकती थी और विधिव्यवसाय में अनुशासन नहीं ला सकी सकती थी। इसलिये अधिवक्ता अधिनियम में संशोधन करने की आवश्यकता पड़ी।

लगभग तीन या चार वर्ष पूर्व न्यायाधीशों की वरिष्ठता की उपेक्षा करके कनिष्ठ न्यायाधीशों की पदोन्नति देने पर बहुत शोर शराबा हुआ था। अब लगभग 60 न्यायाधीशों की वरिष्ठता की उपेक्षा करके श्री देसाई को उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। यह न्यायोचित कैसे हो सकता है।

हम संशोधनों का विरोध नहीं करते। लेकिन सरकार को कई जिम्मेदारियां निभानी है। यदि सरकार उसे अच्छी तरह निभाती है तो हम मात्र विरोध के लिये विधेयक का विरोध नहीं करेंगे।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi-Sadar): While supporting the Bill, I would like to know one or two points from the Hon. Minister. The Courts in Delhi do not have adequate accommodation. The lawyers do not have chambers to function properly.

वकील गत सात या आठ महीनों से आन्दोलन कर रहे हैं। नई दिल्ली में कार्य कर रहे वकीलों के लिए एक नए भवन का निर्माण किया जाना चाहिए। जिन वकीली के चैम्बर आपाद स्थिति के दौरान गिराये गए थे, उनके लिए नए चेम्बर बनाए जाने चाहिए। यह काम शीघ्र किया जाना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय शीघ्र ही कार्यवाही करेंगे।

Shri Manohar Lal (Kanpur): I support the Bill. But I want the ban on Professor Advocates for teaching Graduates may be removed.

श्री जगन्नाथ राव (बरहामपुर) : मैं मंत्री महोदय से जानना हूं कि क्या राज्यों के महा अधिवक्ता अपने राज्यों की बार काउंसिल के चैयरमैन के पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए खड़े हो सकते हैं और क्या महान्यायवादी भारत के बार काउंसिल के चैयरमैन के लिए चुनाव लड़ सकता है?

श्री शशि भूषण : इस विधेयक के सम्बन्ध में मैं सर्व प्रथम यह कहना चाहूंगा कि एक दृष्टि-कोण से यह विधेयक एक क्रान्तिकारी युग का सूत्र पात करता है। अभी तक सरकार ऐसे विधेयक लाती रही है जिन के द्वारा वह अपनी शक्तियो में वृद्धि करती रही है अथवा केन्द्रीकरण करती रही है। गत चुनावो के पश्चात् ऐसा पहली बार हो रहा है कि सरकार ने ऐसा विधयेक प्रस्तुत किया है जिससे कि सरकार की शक्तियां कम होंगी। यह तो परिवर्तन समूचे देश में हुआ है, सदन में दोनों पक्ष के सदस्यो तथा सारे देश को उसका स्वागत करना चाहिये।

चूकि केन्द्र में तथा अनेक राज्यों में जनता पार्टी की सरकार है अतः भारत सरकार अटार्नी जनरल की नियुक्ति करती है तथा राज्य सरकारे एडवोकेट-जनरल की नियुक्ति करती है जो कि राज्यों की बार काउन्सिलों तथा अखिल भारतीय बार काउन्सिल के पदेन चेयरमन हैं। फिर भी सरकार इस विधेयक को लाई है क्योकि सरकार समूचे देश के हित को देख रही है न कि व्यक्तिगत हितो की ओर वह अपने हाथों में अधिक शक्ति नहीं रखना चाहती।

मैं सर्व प्रथम डा० सैयद मुहम्मद तथा अन्य माननीय सदस्यों द्वारा जो प्रश्न उठाये गये हैं उनका उत्तर देना चाहता हूं।

इस आलोचना के पीछे जो भावना है मैं उसका स्वागत करता हूं। अध्यादेश जारी करने की शक्ति का प्रयोग कम से कम तथा अत्यन्त आवश्यकता के समय ही कहना चाहिये। यह आलोचना भी की गई है कि सरकार को इस विधेयक को बहुत पहले ही लाना चाहिये था। मेरी इच्छा थी कि जून से पहले ही यह विधेयक पेश कर सकता। कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा यह परीक्षायें सामान्यता जनवरी तथा जून में ली जाती है। कलकत्ता उच्च न्यायालय की यह परीक्षा लेने के लिए विधेयक के समर्थन करने वाले उपबन्धों के बारे में कुछ विवाद उत्पन्न हो गया था कि क्या ऐसा किया जाना चाहिये था और कितने समय के लिये और क्या यह सहूलियत उनको भी दी जाये जो केवल एक ही परीक्षा पास कर सके हैं आदि। इस सब पहलुओं पर विचार करने पर कुछ समय लग गया और इस लिए इस विधेयक को पिछले सत्र में पेश करना संभव नही हो सका। अब इन विवादास्पद बातों पर पूर्णतया अध्ययन कर लिया गया है और अब जब कि एक नीति बना ली गई है तो जैसा कि विपक्ष के माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है, अब दो विकल्प सामने हैं।

पहला तो यह है कि हमे संसद के सत्र के आरम्भ होने तक प्रतीक्षा करनी चाहिये थी और अध्यादेश जारी करने के स्थान पर सीधे विधेयक ही लाना चाहिये था। दूसरा विकल्प यह था कि सीधे अध्यादेश जारी कर दिया जाये और जब संसद का सत्र आरंभ हो तब इस के स्थान पर विधेयक पेश कर दिया जाये। चूंकि कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा परीक्षा लेने के लिए बनाये गए पहले के नियमो को रद्द कर दिया गया था अतः इस विधेयक द्वारा इन परीक्षाओं को लेने के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय का समुचित नियम बनाने के लिए पुनः शक्ति दी गई है। यदि अध्यादेश जारी नहीं किया गया होता और सामान्य प्रक्रिया से विधेयक पारित कराया गया होता तो उसमें कुछ महीनों का समय लग जाता और इसका परिणाम यह होता कि कलकत्ता उच्च न्यायालय के लिये जनवरी में परीक्षा लेना असंभव हो जाता और अभ्यार्थियो को जून में होने वाली परीक्षा में बैठने के छः महीने बाद बैठना पड़ता। अध्यादेश उन अभ्यार्थियो के छः महीने बचाने के लिए जारी किया गया था।

यह बडी प्रसन्नता की बात है कि इस विधेयक के समस्त उपबन्धों को सभी वर्गों की ओर से समर्थन मिला है और उनका उदय से स्वागत किया गया है।

डा० सय्यद मुहम्मद से पदेन चेयरमन को नियुक्ति के सम्बन्ध में यह कहा है कि बार विभाजित हुआ करती थी और चेयरमैन के चुनाव से बार विभाजित होती थी तथा परस्पर विरोधी गुटबंदी हो जाती थी। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। मैं उत्तर प्रदेश की बार काउन्सिल का चैयरमैन चुना गया था। मैं एडवोकेट जनरल था। यह नहीं कहा जा सकता कि बार काउन्सिल में विभिन्न राय नहीं हो सकती । हम चाहते हैं कि लोकतंत्र में विभिन्न मामलों पर ठीक ढंग से विभिन्न राय हो। विभिन्न राय व्यक्त की जाय और फिर मतैक्य पर पहुंचा जाये और उसी मतैक्य के आधार पर आगे बढ़ा जाय। अतः यदि राय में विभिन्नता हो तो यह नहीं कहा जा सकता कि यह बुरा है और एक निर्वाचित चेयरमैन के स्थान पर सरकार द्वारा मनोंनीत चेयरमन हो।

परन्तु यदि ऐसा है तो केवल चेयरमैन और वाइस-चेयरमैन के चुनाव के लिए इस अवसर का लाभ उठाया गया। बार काउंसिल के सदस्यों का जो चुनाव होता है उसमें विभिन्न राज्यों के बारे में हजारों सदस्य भाग लेते हैं। इसमें कोई कठिनाई नहीं है। यह कैसे कहा जा सकता है कि जब चेयरमैन तथा वाइस चेयरमन का चुनाव होता है तो कोई संकट पैदा हो जाता है।

मैं मानता हूं कि इस विधेयक को प्रस्तुत करने में विलम्ब हुआ है क्योंकि जहां तक अधिवक्ता अधिनियम में किए गए संशोधन का प्रश्न है उसका उद्देश्य केवल मनोनोत के स्थान पर निर्वाचित चेयरमन को रखना ही नहीं है। यदि ऐसा ही होता तो वह बहुत पहले हो कर दिया गया होता। चूंकि कलकत्ता का मामला विवादास्पद था और उस पर गहराई से विचार करना था और लोगों के साथ विचार विमर्श करने के बाद ही कोई दृष्टिकोण अपनाना था, इसी लिए इसे पेश करने में विलम्ब हुआ ।

न्यायाधीश देसाई को नियुक्ति का उल्लेख किया गया है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में राजनीति बीच में नहीं लाई जानी चाहिये और न ही लाई जायेगी । उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों कि नियुक्ति से वरिष्ठता की उपेक्षा का कोई सम्बन्ध नहीं है। वरिष्ठता की उपेक्षा की बात का सम्बन्ध उच्चतम अथाव उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति से ठीक है। उच्चतम न्यायालय में नियुक्तियों के मामले में प्रत्येक व्यक्ति की यही राय कही है कि नियुक्तियां गुणावगुण तथा योग्यता आदि के आधार पर की जानी चाहिये। अतः यह चयन का मामला है। तो यदि यह चयन का प्रश्न है तो फिर मेरे लिये यह उचित नहीं होगा कि मैं न्यायपालिका के मूल्यांकन के स्थान पर अपना मूल्यांकन प्रतिस्थापित करूं। ऐसा करने से न्यायापालिका की स्वतंत्रता ही समाप्त हो जायगी। इसी कारण सरकार ने यह मामला उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों पर छोड़ दिया है कि वे ही यह तय करेंगे कि उनको राय में कौन व्यक्ति नियुक्ति के लिए सर्वाधिक सक्षम है। उन दो व्यक्तियों को विशिष्ट योग्यता आदि के आधार पर वे उच्चतम न्यायालय में उनकी नियुक्ति की गई ।

विधेयक में यह उपबन्ध किया गया है कि पुराने निर्वाचित चेयरमैन स्वतः ही इस पद पर न आय । बात यह है कि जब तक चुनाव नहीं होते तब तक पदन चेयरमैन तथा वाइस चेयरमैन अपने इस पद पर कार्य करते रहेंगे ; उन्हे पदेन चेयरमन तथा वाइस चेअरमैन नहीं कहा, जायगा।

श्री शशि भूषण

चुनाव होने पर वे अपना कार्य करते रहेंगे । यह सुझाव दिया गया है कि पुराने चेयरमैन आदि को रखा जाना चाहिये था। एक बार जब ऐसे चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की कार्यविधि पूरी हो जाती है और नियुक्ति की पद्धति को पुनः शुरू कर दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में यह ठीक होगा कि वर्तमान सदस्यों को अपना चेयरमैन तथा वाइस चेयरमैन निर्वाचित करने का अधिकार पुनः दे दिया जाय ।

श्री शशांक शंकर सन्याल ने मेरे बारे में जो प्रशंसा के शब्द कहे हैं उनके लिए मैं उनका आभारी हूं। उन्होंने पहली बार सरकार का विरोध न करके विधेयक का समर्थन किया है। अतः इस केवल कारण ही यह एक क्रान्तिकारी विधेयक है। उन्होंने कहा है कि इस संशोधन का जो आपात काल में किया गया था, बहुत विरोध हुआ था। बार काउन्सिल आफ इण्डिया ने एक प्रस्ताव पास करके मनोनीत चेयरमैन के उपबन्ध की निंदा की थी। राज्यों के बार काउन्सिलों ने भी ऐसा ही किया था ।

मुख्य प्रश्न यह है कि हम इस बार की स्वतंत्रता के सिद्धान्त पर विचार कर रहे हैं। बार एक बहुत जिम्मेदार निकाय है और स्वतंत्रता आन्दोलन विभिन्न संकटों में और आपात काल में लोकतंत्र की पुनर्स्थापना के लिए जो शानदार भूमिका इसने निभाई है उसकी सराहना की गई है। अतः लोकतंत्र में जबकि "बार" को इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी पडती है तब हमें बार की स्वतंत्रता के सिद्धान्त को स्वीकार करना होगा ताकि एक जिम्मेदार निकाय के रूप में "बार" स्वयं अपने कार्यों की देखभाल करे इस मामले में चेयरमैन को मनोनीत करने का कोई कारण नहीं दिखाई देता ।

श्री सन्याल ने एक महवपूर्ण सुझाव यह दिया है कि "बार" के सदस्यों की सुरक्षा के सम्बन्ध में कुछ उपबन्ध किया जाय। उन्होंने "बार" तथा बार काउन्सिलों के सदस्यों का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया है। मैं आशा करता हूं वे इस सम्बन्ध में कुछ कदम उठायेंगे । कई राज्यों की बार काउंसिलों के सदस्यों ने 5,000 अथवा 10,000 रुपयों की सामूहिक बीमा योजना शुरू की है ताकि यदि बार के किसी सदस्य को मृत्यु हो जाय तो यह राशि सामूहिक बीमे में से उसके परिवार को दे दी जाय। मैं विश्वास करता हूं कि सभी बार काउन्सिल ऐसे उपाय करेंगी।

श्री बलवीर सिंह ने यह कहा है कि न्याय को कम खर्चीला बनाया जाय और न्याय शीघ्रता से और बिना असाधारण विलम्ब के मिले। हम सभी इस मामले पर विचार कर रहे है। अभी हाल में बार काउन्सिल आफ इन्डिया ने एक संकल्प पारित किया है। मैंने पहले कहा है कि ऐसे उपाय निकाले जाय जिन से किसी भी व्यक्ति को अधिक से अधिक एक वर्ष के भीतर अन्तिम न्याय मिल जाय । इसके लिए हमारी पद्धति में कोई भारी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। विद्यमान पद्धति में कुछ परिवर्तन करके ही यह परिणाम सुनिश्चित किये जा सकते है। यह प्रसन्नता की बात है कि हाल ही में बार काउन्सिल ने एक संकल्प पारित करके इस विचार का स्वागत किया है। उप-समिति इस मामले पर विचार कर रही है। मैं आशा करता हूं कि देश में बार काउन्सिलें भी इस समस्या का अध्ययन करेंगी ताकि सामान्य व्यक्ति को उचित समय में न्याय मिल जाय ।

श्री कंवर लाल गुप्त द्वारा दिल्ली में वकीलों के चम्बरों को गिराने की बात कही गई है। वकील कुशलता से कार्य कर सके यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए जा रहे है।

यह कहा गया है कि ला प्रोफेसर शिक्षण के साथ साथ वकालत नहीं कर सकते। वे या तो शिक्षा संस्थाओं में शिक्षण कार्य कर सकते हैं या फिर वकालत कर सकते हैं। बार काउन्सिल ने यह निर्णय किया है और यह निर्णय बहुमत का है। बार काउन्सिल में ही मतभेद है। यह प्रश्न ही ऐसा है कि जिस पर दो राय हो सकती है। बार काउन्सिल के अधिकांश सदस्यों का यह मत कि जो लोग शिक्ष. संस्थाओं में पढ़ाना चाहते हैं उन्हें वकालात छोड़नी होगी और जो वकालत करना चाहते है वह शिक्षण कार्य नहीं कर सकते। दोनों कार्य एक साथ करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

अध्यापकों की ओर से सरकार को अनेक अभ्यावेदन दिए गए हैं। सरकार इस प्रश्न पर विचार करेगी कि क्या इस मामले में वह कुछ भूमिका अदा कर सकती है अथवा नहीं।

जब तक एडवोकेट जनरल और एटार्नी जनरल की चुनावों में भाग लेने का प्रश्न है इस सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है। यदि वे बार काउन्सिल के सदस्य हैं तो निश्चय ही वह चुने जा सकते हैं। जब मैं एडवोकेट जनरल था तो दो बार मुझे चेयरमैन निर्वाचित किया गया था।

इन शब्दों के साथ मैं सदन से विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव करता हूं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"अधिवक्ता अधिनियम, 1961 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :
"खण्ड 2 से 8 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted.

खण्ड 2 से 8 विधेयक में जोड़ दिए गए।
Clauses 2 to 8 were added to the Bill.

खण्ड 1, अधिनियन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।
Clause 1, the enacting formula and the title were added to the Bill.

श्री शान्ति भूषण : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"विधेयक पास किया जाए।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"विधेयक पास किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

स्मिथ, स्टेनीस्ट्रीट एण्ड कंपनी लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) विधेयक

SMITH, STENISTREET AND COMPANY LIMITED (ACQUISITION AND TRANSFER OF UNDERTAKINGS) BILL

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

लोकहित में मैसर्स स्मिथ, टेन्नीस्ट्रीट एण्ड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता के अधिकार, हक और हित के अर्जन और अन्तरण का तथा उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय"।

सरकार ने 1972 में इस रुग्ण एकक को अपने अधिकार में लिया था। हमें इस बात का निर्णय करना है कि क्या, इस एकक का अर्जन करके कार्य जारी रखा जाए या इसे उन लोगों के हाथों में फिर से सौंप दिया जाए, जोकि इस एकक को तबाही के बाजार पर ले आए हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पूर्वी क्षेत्र में विशेष कर पश्चिम बंगाल में कोई भी अच्छा फार्मेस्यूटिकल काम्पलेक्स नहीं है। सरकार ने जनहित में इस विशिष्ट कम्पनी का अर्जन करने का निर्णय किया है।

पश्चिम बंगाल की सरकार ट्रेड यूनियन और इस कम्पनी का प्रबन्धक वर्ग सभी सरकार द्वारा इस कम्पनी के अधिग्रहण के पक्ष में है। हाथी समिति ने भी अधिग्रहण के प्रश्न पर विचार किया था और उसने सिफारिश की है कि जनहित में इस उपक्रम का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाना चाहिए। इसलिए मैंने सभा के समक्ष यह अहानिकारक विधेयक पेश किया है और मुझे आशा है कि सभा इसे स्वीकार करेगी।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि :

लोकहित में मैसर्स स्मिथ, स्टेनीस्ट्रीट एण्ड कम्पनी लिमिटेड, के कलकत्ता कि अधिकार, हक और हित के अर्जन और अन्तरण का तथा उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री सौगत राय (बरकपुर) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। सरकार तथा मन्त्री महोदय दोनों ही इस विधेयक को लाने के लिए बधाई के पात्र है। यह एक रुग्ण कम्पनी है। 1972 में सरकार ने इसका अस्थायी तौर पर अधिग्रहण किया था। उस समय इण्डियन ड्रग्स और फार्मेस्यूटिकल्स को इस कम्पनी के प्राधिकृत नियंत्रण के रूप में नियुक्त किया गया था। अब सरकार ने कम्पनी का स्थायी रूप से अधिग्रहण करने के पहले जो कुछ कार्यवाही हो चुकी है, उसे स्थायी बनाने का निर्णय किया है।

यह समझ नहीं आता कि ऊंचे दाम वसूल करने के बावजूद भी पूर्वी क्षेत्र की दवाइयों की कम्पनियां कैसे रुग्ण हो गई जबकि पश्चिम भारत की कम्पनियां काफी अच्छी चल रही हैं। इस मामले पर ध्यान देने की आवश्यकता है। हाथी समिति ने पूर्वी भारत के फार्मेस्यूटिकल उद्योग के इस प्रश्न पर विचार किया था और उसने कुछ सुझाव भी दिये हैं। किस प्रकार पूर्वी भारत में फार्मेस्यूटिकल उद्योग के लिए स्थायी आधार बनाया जा सकता है। मंत्री महोदय मामले के इस पहलू की जांच करें।

बंगाल कैमिकल एण्ड फार्मेस्यूटिकल वर्कस को रुग्ण घोषित किया गया है। यद्यपि सरकार ने इस कम्पनी को अपने अधिकार में लेने के निर्णय को घोषित कर दिया है फिर भी इस निर्णय की सूचना को सरकारी बजट में जारी नहीं किया गया है। परिणामस्वरूप कर्मचारियों को नोटिस दिया गया है कि उन्हें इस महीने की तनख्वाह नहीं दी जाएगी। मंत्री महोदय यह सुनिश्चित करें कि अधिग्रहण में जो यह विलंब हो रहा है उसे शीघ्र दूर किया जाए।

कोई भी कम्पनी कर्मचारियों के कारण रुग्ण नहीं होती। वह कुप्रबंध के कारण रुग्ण होता है। मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि वह इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मेस्यूटिकल्स को उसका नियंत्रक बनाने के बजाय उसको सीधे ही अपने अधिकार में ले लें।

बजट सत्र के दौरान पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय का बजट पेश करते समय मंत्री महोदय ने दवाइयों के मूल्यों के संबंध में कुछ ठोस आश्वासन दिए थे। लेकिन मंत्री महोदय के वायदों और सदभावनाओं के बावजूद भी गत छह महीनों से दवाइयों की कीमतों में कोई कमी नहीं हुई है। इस संबंध में उन्हें तत्काल कार्यवाही करनी चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का पूरा पूरा समर्थन करता हूं।

डा० सरदीश राय (बोलपुर) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं लेकिन जिस ढंग से इसे पेश किया गया है वह आपत्तिजनक है। इसे अध्यादेश के रूप में लाया गया है। यदि कार्यवाही उचित समय पर की जाती तो इस उपक्रम का अधिग्रहण किया जा सकता था।

इस कम्पनी के कर्मचारी काफी अरसे से कम्पनी के राष्ट्रीयकरण की मांग कर रहे हैं। वर्तमान लोक सभा के प्रथम सत्र में भी केन्द्रीय मंत्रालय से इस कम्पनी को अपने अधिकार में लेने का अनुरोध किया था। लेकिन यह सरकार भी गत सरकार की भांति कार्य कर रही है। इसी लिए कम्पनी के अर्जन हेतु अध्यादेश लाया गया।

गत पांच वर्षों से इस कम्पनी का प्रबंध सरकार के हाथों में है और इस दौरान उत्पादन में समुचित वृद्धि हुई है लेकिन कर्मचारियों को इससे कुछ लाभ नहीं हुआ है।

हाथी समिति ने इस कम्पनी को अपने अधिकार में लेने की सिफारिश ही नहीं की है अपितु उसके विकास के संबंध में भी उल्लेख किया है। उनकी मशीनरी आधुनिक बनाई जानी चाहिए।

देश के पूर्वी भाग ने दवाईयों और फार्मेस्यूटिकल्स के उत्पादन का मार्ग प्रशस्त किया। देश में सबसे पहले 1901 में पश्चिम बंगाल में फार्मेस्यूटिकल उद्योग अर्थात् बंगाल कैमिकल्स की स्थापना हुई। लेकिन यह बहुत दुख की बात है कि इस क्षेत्र में इस उद्योग की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन पश्चिम

[डा० सरदीश राय]

भारत में यह उद्योग फल-फूल रहा है । सरकार को उन कारणों का पता लगाना चाहिए जिनसे इस उद्योग को धक्का पहुंचा है ।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं ।

*श्री ए० मुरुगेसन (चिदाम्बरम) : यह उपक्रम दवाईयों और फार्मस्यूटिकल्स बनाता है । इसे 1970 से घाटा हो रहा था अत: सरकार ने 1972 को इसे अपने हाथ मे ले लिया और गत पांच वर्षों से सरकार इसे चला रही है । इस विधेयक का उद्देश्य इस एकक का राष्ट्रीयकरण करना है ।

भूतपूर्व प्रबंन्धकों को मुआवज़े के रूप में 3 करोड़ 74 हज़ार रुपये की राशि का भुगतान करने की व्यवस्था की गई है । जनता पार्टी की सरकार कांग्रेस सरकार की भांति यह कदम उठा रही है । कांग्रेस सरकार भी अर्जन के समय उपक्रमों के प्रबंधकों को भारी राशि मुआवज़े के रूप में देती थी । मुझे यह भय है कि केन्द्र सरकार की इस कार्यवाही से शह पाकर जनता पार्टी की सरकारे भी इस तरह की कार्यवाही न करने लगे । सरकार को करापवंचकों को मुआवज़े की राशि का भुगतान करते समय करदाताओं के धन का अत्यधिक सतर्कता से उपयोग करना चाहिए ।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं ।

पैट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : यह कहना सही नही है कि इस मामले में हमारी ओर से विलम्ब हुआ है । हमसे जितना जलदी हो सकता था हमने किया । कुछ कानूनी प्रक्रियाओं के कारण विलंब हुआ । हमने मई में सत्ता का कार्य संभाला और सि म्बर में हम्ने निर्णय ले लिया । भूतपूर्व सरकार 1972 से 1977 तक इस बारे में कुछ निर्णय नहीं ले पाई । इसके लिए हमें बधाई दी जानी चाहिए ।

बंगाल कैमिकल्स के बारे में प्रश्न किया गया है । भारत सरकार बंगाल कैमिकल्स को केवल एक फार्मेस्यूटिकल एकक के रूप में ही नहीं मानती अपितु इसे आचार्य प्रफुल्ल चन्द्र रे की यादगार के रूप में मानती है अत: हम इसे खत्म नहीं होने देंगे क्योंकि इसी ने देश में समूचे रसायन उद्योग की नींव डाली है । हम इसका पुनरुत्थान करेंगे और यह काम इस ढंग से किया जाएगा जिससे कि सभी सदस्य संतुष्ट होंगे ।

मुआवज़े की राशि के संबध में भी उल्लेख किया गया है । हमने जो कुछ राशि उन्हे दी है उससे वह अपना कर्जा ही उतार पाएंगे । विधेयक में इस संबध में एक खण्ड है । यह राशि कम्पनी को नहीं मिलेगी अपितु यह राशि मुआवजा आयुक्त को मिलेगी जिसका भगतान वह विभिन्न लोगों को करेगा । अत: यह कहना बिलकुल अनुचित है कि जनता के धन का इस प्रकार दुरुपयोग किया जा रहा है ।

*तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेज़ी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपांतर ।

*Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Tamil.

बंगाल के एक सदस्य ने कहा है कि कर्मचारियों को गत पांच वर्षों के दौरान कुछ नहीं दिया गया है। यह बात बिलकुल झूट है। 1971 में कर्मचारियों के वेतन बिल 49.91 लाख रुपये के थे और 1976-77 में उतने ही कर्मचारियों के वेतन बिल 60 लाख रुपये के थ ।

इससे स्पष्ट है कि मजूरी में वृद्धि हुई है ।

मैं केवल लागत के परिणामस्वरूप हुए भारी खर्चे के बारे में चिन्तित हूं। इस विषय पर चर्चा की जाएगी। मैंने आज दुपहर ही पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री को बताया है कि मैं इस सारे मामले की जांच कराने का इच्छुक हूं। मुझे विश्वास है कि पश्चिम बंगाल की सरकार इस संबंध में अवश्य कार्यवाही करेगी। पश्चिम बंगाल की सरकार अधिकाधिक नए फार्मेस्यूटिकल उद्योगों की स्थापना करना चाहती है। जहां तक बंगाल कमिकल्स का संबंध है यह मामला शीघ्र ही सभा के समक्ष लाया जाएगा। विधेयक में जो राष्ट्रीयकरण की व्यवस्था है वह बिल्कुल उचित है ।

इन शब्दों के साथ में विधेयक को सभा के समक्ष विचारार्थ रखता हूं ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है: "कि लोक हित में मैसर्स स्मिथ, स्टेनीस्ट्रीट एण्ड कम्पनी लिमिटेड कलकत्ता के अधिकार, हक और हित में अर्जन और अन्तरण का तथा उससे सम्बधित या उसके अनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

खण्ड 2 से 6

सभापति महोदय : प्रश्न यह है की :
"खण्ड 2 से 6 विधेयक का अंग बने" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

खण्ड 2 से 6 विधेयक में जोड़ दिए गए ।
Clauses 2 to 6 were added to the Bill.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :
"खण्ड 7, 8 और 9 विधयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

खण्ड 7, 8 और 9 विधेयक में जोड़ दिए गए ।

Clauses 7, 8 and 9 were added to the Bill.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खण्ड 10 से 34, अनुसूची, खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना तथा विधेयक का नाम विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

खण्ड 10 से 34, अनुसूची खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए ।

Clauses 10 to 34, the Schedule clause 1, the enacting formula, the preamble and the title were added to the Bill.

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"विधेयक पास किया जाए ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"विधेयक पास किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी (शेयरों का अर्जन) संशोधन विधेयक
Indian Iron and Steel Company (Acquisition of Shares) Amendment Bill

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी (शेयरों का अर्जन) अधिनियम, 1976 का संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"

सरकार ने इस कम्पनी को अपने अधिकार में ले लिया है और सारा पैसा कमिश्नर को शेयरधारियों को वितरीत करने के लिए दे दिया गया है । शेयर धारियों की नामावली के संबध में कुछ कठिनाइयों सामने आ रही है क्योंकि कुछ शेयरधारी स्टाक एक्सचेंज में चले गए थे और जब तक सरकार वास्तव में इन शेयरों को प्राप्त करके अपने नाम पर हस्तांतरित नही करा लेती तब तक इस स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड की आनुषंगिक संस्था नही बनाया जा सकता । यह बहुत छोटा सा परिवर्तन है इसे सभा को स्वीकार करना चाहिए ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी (शेयरों का अर्जन) अधिनियम, 1976 का संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

खण्ड 2

सभापति महोदय : क्या श्री चतुर्वेदी अपना संशोधन संख्या 1 प्रस्तुत कर रहे है ?

श्री शंभुनाथ चतुर्वेदी (आगरा) : जी हां ।

श्री बीजू पटनायक : मैं यह संशोधन स्वीकार करता हूं ।

संशोधन किया गया

पृष्ठ 2, "(1) पंक्ति 3 और 4 में "जो कि नियत दिन से पहले लागू किया गया था" ("which was executed before the appointed day") शब्दों का लोप किया जाए ।

(2) पंक्ति 4 में "समझौता" "instrument" के बाद "विधिवत लागू" ("duly executed") अंत:स्थापित किया जाए **(श्री शंभुनाथ चतुर्वेदी)**

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :
"खण्ड 2, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

खण्ड 2, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।
Clause 2, as amended, was added to the Bill.

खण्ड 3

श्री शंभुनाथ चतुर्वेदी : मैं अपना संशोधित संख्या 2 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री बीजू पटनायक : मेरे विचार में इस संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है, अत: माननीय सदस्य अपना संशोधन वापिस ले लें ।

श्री शंभुनाथ चतुर्वेदी : मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं ।

संशोधन सभा की अनुमति से वापिस लिया गया ।
The amendment was, by leave, withdrawn.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खण्ड 3 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

खण्ड 3 विधेयक में जोड दिया गया ।
Clause 3 was added to the Bill.

खण्ड 4 और 5 विधेयक में जोड़ दिए गए ।
Clauses 4 and 5 were added to the Bill.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड दिये गये ।
Clause 1, enacting formula and the title were added to the Bill.

श्री बीजू पटनायक : मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"विधेयक संशोधित रूप में पास किया जाए ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"विधेयक संशोधित रूप में, पास किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : इस विधेयक को भी पारित कर दिया जाए ।

सभापति महोदय : इस समय 6 बजे है सभा की क्या राय है क्या सदस्य कुछ और समय के लिए बैठना चाहते हैं ।

श्री वयालार रवि : इस विषय पर कल विचार किया जाए ।

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 29 नवंबर, 1977/8 अग्रहायण, 1899 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the clock on Tuesday, November 29, 1977/Agrahayana 8, 1899 (Saka).

भा०स०मु०ना०—से० 6—341 लोक सभा 77—2-3-78—200.